गुरुवार,
५ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूमि दृढ़ीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य

*५१७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न अभिप्रायों के लिये भूमि के दृढ़ीकरण सम्बन्धी तरीकों को काम में लाये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान विद्यालय, रुड़की, करनाल दृढ़ीकरण अनुसन्धान केन्द्र, करनाल तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्यों के परिणामों को देश भर में लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ;

(ख) क्या यह अनुसन्धान कार्य किसी भी भांति सरकारी भवन निर्माण कार्यों में सहायक हैं ;

(ग) क्या यह प्रणालियां सरकार की औद्योगिक गृह निर्माण योजना में किसी प्रकार से सहायक सिद्ध होंगी; तथा

(घ) क्या चूने का पंक या भूमि दृढ़ीकरक रुड़की के अतिरिक्त किन्हीं अन्य स्थानों पर उपयोगी सिद्ध हुआ है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (घ). अब तक प्राप्त हुई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२**]

और अधिक सूचना एकत्रित की जा रही है और अग्रेतर प्राप्त सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्टेटमेंट (विवरण) दिया गया है उस में यह बतलाया गया है कि कई जगहों पर अनुसन्धान किये जा रहे हैं और ऐक्सपैरीमेंट (प्रयोग) किये जा रहे हैं, तो यह अनुसन्धान कब तक कामयाब हो जावेंगे और इस दिशा में कब काम जारी हो जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इन अनुसन्धानों के बारे में जो रिपोर्ट अभी तक मालूम हुई है उस से यह अनुमान किया जा सकता है कि जहां तक सोइल स्टैबीलाइज़ेशन (भूमि दृढ़ीकरण) का सम्बन्ध है उस से ऐसी जगहों पर तो सस्ते मकान बनाये जा सकते हैं, जहां पर कि वर्षा कम होती है । बाकी और जगहों के बारे में अभी ठीक तौर से कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में यह रिसर्च स्टेशन स्थित हैं, जैसे रुड़की और करनाल में और जहां पर ऐसे मकान सोइल स्टेबीलाइज़ेशन से बनाये जा रहे हैं और उन को दो तीन साल तक वाच (निरीक्षण) भी किया जा चुका है और मालूम हुआ है कि वह कामयाब हुए हैं तो अब क्यों इस दिशा में और जगहों पर काम शुरू नहीं किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : सोइल स्टैबीलाइज़ेशन क्रिया द्वारा मिट्टी का इस्तेमाल करनाल में सड़कें बनाने के काम में भी हुआ है। रुड़की में स्टेबीलाइज़ेशन सोइल पर और भी रिसर्च (अनुसन्धान) हो रहा है। इन मकानों के बारे में जो जगह जगह बनाये गये हैं अभी कोई आखिरी राय नहीं दी जा सकती।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि इन अनुसन्धानों के बारे में बाहर से कोई विशेषज्ञों को बुलाने की सोच हो रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं। इस समय तो कोई ऐसा प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि रेलवे विभाग में जो बहुत सा कोयला खराब जाता है, कोयले की राख वगैरह, उस को भी इस्तेमाल करने पर विचार किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। जो वेस्ट मैटीरियल (रद्दी सामान) आम तौर पर पाया जाता है उस के इस्तेमाल के लिये जो अनुसन्धान किये गये हैं उन का परिणाम यह निकला है कि जहां पर यह सामान पाया जाता है उस के आस पास ही उस का इस्तेमाल हो सकता है। अधिक दूर ले जाने में उस का खर्च बढ़ जाता है इसलिये उस का ठीक इस्तेमाल नहीं हो सकता।

तेलगाना में साम्यवादी

*५१८ **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तेलंगाना के साम्यवादियों द्वारा कब और कहां शस्त्रों का अप्रतिबन्ध समर्पण किया गया ?

(ख) क्या उसके बाद से शस्त्रों का कोई और समर्पण हुआ ?

(ग) यदि हां, तो कब और कहां, किस के द्वारा तथा कितने शस्त्र का समर्पण हुआ ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) हैदराबाद जिले के रंगपुरम गांव के निकट १ नवम्बर, १९५२ को।

(ख) जी हां।

(ग) शस्त्रों के समर्पण का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या २३**]

श्री पी० टी० चाको : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन सौंपे गये शस्त्रों से ऐसा कोई प्रमाण मिला है जिस से यह जाना जा सके कि यह मुक्तिदायक शस्त्र उन को मिले कहां से थे ?

डा० काटजू : इस सम्ब ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का कोई अनुमान है कि वहां साम्यवादियों के पास अभी कितने शस्त्र हैं ?

डा० काटजू : मेरी ओर से दिया गया ऐसा कोई वक्तव्य बिल्कुल अनुमान पर ही

आधारित होगा । यह कहा गया था कि १५०० या २००० अभी होंगे, परन्तु मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह सब आर्म्स (शस्त्र) हिन्दुस्तान में बने हुए हैं या बाहर के बने हुए हैं ?

डा० काटजू : बाहर के भी और अन्दर के भी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार इस बात की तहकीकात करेगी कि वह जितने भी आर्म्स हैं वे कहां कहां के बने हुए हैं ?

डा० काटजू : जरूर, मैं हैदराबाद गवर्नमेंट से यह कहूंगा ।

श्री हेडा : क्या यह बात सच नहीं है कि जो हथियार मिले हैं उन में से अक्सर ऐसे हैं कि जो किसी काम के नहीं थे, यानी काम आने वाले नहीं थे ?

डा० काटजू : मैं भी उन्हें देखने हैदराबाद गया था । यह कहना बड़ा मुश्किल है कि आया वे बिल्कुल बेकार हैं या कुछ काम में आ सकते हैं, मगर हैं थोड़े बहुत ।

डा० सुरेश चन्द्र : विवरण से हमें ज्ञात होता है कि इन शस्त्रों या बन्दूकों को अधिकतर को हैदराबाद विधान सभा के पी० डी० एफ० सदस्यों द्वारा दिया गया था । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है कि उन के पास अब भी शस्त्र हैं या नहीं ?

डा० काटजू : सरकार की सूचना यह है कि उन के पास और भी शस्त्र हैं । परन्तु किसी बहुत उच्च स्थान से उन्हें उन शस्त्रों को न देने के आदेश मिले हैं ।

श्री ए० एम० टामस : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्हों ने शस्त्र सौंपे थे, कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ?

डा० काटजू : मेरे विचार से हैदराबाद राज्य सरकार जो भी कार्यवाही करना उचित समझ रही है कर रही है ?

न्याय तथा व्यवस्था (त्रिपुरा और मनीपुर)

*५१९. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में मनीपुर और त्रिपुरा में न्याय तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ सुधार हुआ है ;

(ख) इन राज्यों के अन्तिम दौरे के बाद, क्या उन्हों ने राज्य के प्रशासन में लोकप्रिय व्यक्तियों का समावेश करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा की पाकिस्तानी सीमा के जिराटिया कृषक त्रिपुरा से बहुत अधिक परिमाण में धान ले जा रहे हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जहां तक मनीपुर का सम्बन्ध है, सुधार का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है क्यों कि वहां उस राज्य में न्याय तथा व्यवस्था सम्बन्धी अवस्था में कोई खराबी नहीं हुई है । त्रिपुरा में अवस्था निश्चय रूप से सुधर रही है ।

(ख) जी हां, भाग ग में की सरकार सम्बन्धी अधिनियम, १९५१ में प्रस्तावित परामर्षदात्री परिषदें इन राज्यों में शीघ्र ही स्थापित कर दी जायेंगी ।

(ग) पाकिस्तान तथा त्रिपुरा के मध्य सीमा कोई ५६० मील लंबी है, और यह संभव है कि त्रिपुरा से कुछ धान का चौर्यानन हो रहा हो । जितना भी संभव हो सक रहा है हम चौर्यानन को रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की स्थिति में हैं कि क्या त्रिपुरा की समस्त भूमि पर सरकार का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण है ?

डा० काटजू : मैं प्रश्न को समझा नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की स्थिति में हैं कि अब सरकार ने त्रिपुरा की समस्त भूमि पर अपना पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कर लिया है ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे ज्ञात है, मैं अग्रेतर जांच करने के लिये इस प्रश्न की अग्रेतर पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि दोनों ओर की जिरातिया प्रजा के सम्बन्ध में कोई पारस्परिक समझौता है, और यदि है, तो क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

डा० काटजू : मैं ब्यौरा नहीं दे सकता हूं । पर मैं वहां गया हूं, और मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि वह एक उबड़ खाबड़ भूमि खंड है, और यातायात तथा संचरण सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को इस ओर से उधर या उधर से इधर आने से रोकना बिल्कुल असंभव है ।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा प्रश्न था, कि क्या वर्तमान पारपत्र प्रणाली के अन्तर्गत कोई विशेष प्रवासाज्ञ प्रणाली इन जिरातिया प्रजाजनों के लिये लागू की गई है, यदि है तो क्या यह प्रणाली दोनों राज्य-क्षेत्रों के जिराटिया प्रजाजनों पर लागू होती है ?

डा० काटजू : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा में यातायात व्यवस्था इतनी बुरी है, कि कई स्थानों में सरकार को यह ज्ञात तक नहीं होता है कि वहां हो क्या रहा है ?

डा० काटजू : संभव है ऐसा होने पर इस बात पर निर्भर है कि आप कहां हों और कहां से सूचना प्राप्त करना चाहते हों । मेरे विचार से राजस्थान के भी कुछ भागों में कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां से समाचार प्राप्त करना कठिन तथा दुष्कर होगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यह तो अनुपात का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का अर्थ यातायात के साधनों के सम्बन्ध में एक सामान्य तर्क वितर्क करना होगा ।

भाग 'ग' में के राज्यों में मद्रणालय

*५२०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) सरकारी मुद्रणालयों के अतिरिक्त अन्य मुद्रणालयों के खाते में भाग 'ग' में के राज्यों को दी गई धनराशियों का परिमाण, प्रत्येक मामले में सन् १९४९ से अब तक राज्यवार व्यय हुई धनराशि बताई जाये;

(ख) जितना भी कार्य कराया गया है, उस में से कितना कार्य राज्य के अन्दर स्थित मुद्रणालयों द्वारा किया गया है और कितना राज्य के बाहर स्थित मुद्रणालयों में, तथा

(ग) क्या कोई ऐसे मुद्रणालय भी हैं जो सम्बद्ध राज्यों के क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं हैं, परन्तु जो वहां केवलमात्र पंजीबद्ध ही हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४**]

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो स्टेटमेंट (विवरण) रक्खा गया है उस से मालूम होता है कि हिमाचल प्रदेश और भूपाल में सरकारी प्रेसों में कोई काम नहीं हुआ और विन्ध्य-प्रदेश में करीब एक तिहाई काम गवर्नमेंट प्रेस के बाहर किया गया, मैं जानना चाहता

हूं कि क्या कारण है कि यह तमाम काम गवर्नमेंट प्रेस में नहीं किया जाता है और अगर वहां प्रेसेज़ नहीं हैं तो क्या यह सही नहीं होगा कि वहां पर प्रेस कायम किये जायें ?

डा० काटजू : मैं आप से निवेदन करूंगा कि जो आप को मज़ीद मालूमात चाहिये वह सब मुझे लिख कर दे दें, तो मैं उन के बारे मे दरयाफ्त करूंगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि यहां के प्रेसेज़ बाहर के प्रेसों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्या वहां के स्थानीय प्रेसेज़ को कोई प्रेफ्रेंस या प्राथमिकता दी जाती है ?

डा० काटजू : आप जब मुझे सब सवाल अपने दे देंगे, तो मैं उन के बारे में मालूम कर के आप को जवाब दे दूंगा ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान, कि क्या सभी भाग 'ग' में के राज्यों के स्वयं अपने मुद्रणालय हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन राज्यों की सरकारों के ।

डा० काटजू : कुछ के हैं, कुछ के नहीं हैं । मैं आप को निश्चित सूचना नहीं दे सकता हूं ।

जनगणना सम्बन्धी प्रकाशन

*५२१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जनगणना सम्बन्धी सभी प्रकाशन इस वर्ष के अन्त तक मुद्रित तथा प्रकाशित हो जायेंगे; तथा

(ख) क्या विभिन्न विषयों से सम्बन्धित भारतीय जनगणना पुस्तिकायें मुद्रित हो चुकी हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) दो पुस्तिकायें मुद्रित तथा प्रकाशित हो चुकी हैं । सात पुस्तिकायें प्रेस में हैं । वह इन विषयों के सम्बन्ध में हैं :

(१) सन् १९५१ की जनगणना का न्यादर्श सत्याख्यान ।

(२) आयु सम्बन्धी तालिकायें ।

(३) जीवन सम्बन्धी तालिकायें ।

(४) प्रसूतावस्था सम्बन्धी आंकड़े ।

(५) विस्थापित व्यक्ति ।

(६) विशेष वर्ग (जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां)

(७) धर्म ।

उन के मुद्रण को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने के लिये विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

"भाषा", "साक्षरता तथा शिक्षास्तर" और "सामाजिक स्थिति तथा आर्थिक आंकड़ों का संक्षेप" यह तीन और पुस्तिकायें तैयार की जा रही हैं । मार्च, १९५२ के अन्त तक उन के मुद्रण के लिये प्रेस में दे दिये जाने की आशा है ।

श्री रघुरामय्या उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : प्रत्येक पुस्तिका में दिये गये विषय के सम्बन्ध में, उदाहरण के लिये विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी पुस्तिका में, क्या सूचना दी जायेगी ?

श्री दातार : विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो भी सूचना आवश्यक है--जैसे उन की आवश्यकतायें, उन की वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा उन की अवस्था भी ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं कि इन में से कितनों को लाभप्रद धन्धे मिल गये हैं या कितने बस गये हैं ?

श्री दातार : आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये है और उन को इन पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किया जायेगा। और समस्त सूचना संसद् के समक्ष आजायेगी।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह ज्ञात करना चाहता था कि क्या यह आंकड़े पुस्तिका में हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा कि आंकड़े पुस्तिका में होंगे और वह संसद् सदस्यों को उपलब्ध होगी।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात करना चाहता था कि क्या उस में पहले से ही यह सूचना दी हुई है जिन से हम को यह ज्ञात हो सके कि कितने विस्थापित व्यक्तियों को अब तक लाभप्रद धन्धे मिल चुके हैं अथवा वह ठीक तरह से बस गये हैं ?

श्री दातार : यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में किसी प्रथक प्रश्न की सूचना दें, तो मैं बहुत प्रसन्नता से उत्तर दूंगा।

सेठ गोविन्द दास : मर्दुमशुमारी (जन-गणना) के सम्बन्ध में यह जो रिपोर्ट छप रही है या छपने वाली है यह किन किन भाषाओं में छप रही है ?

श्री दातार : मेरी सूचना के अनुसार यह सारा प्रकाशन अंग्रेज़ी भाषा में हो रहा है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि इस देश में हिन्दी जानने वालों की संख्या अंग्रेज़ी जानने वालों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है ?

श्री दातार : ऐसा है :

सेठ गोविन्द दास : फिर क्या कारण है कि सारे कागज़ात हमेशा अंग्रेज़ी में ही छपते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस मामले पर तर्क कर रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि फिर क्या कारण है कि इस तरह के जितने कागज़ात होते हैं वह सदा अंग्रेज़ी में छपते हैं और जिस भाषा को हम ने राज्य भाषा बनाया, उस की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

श्री रघुरामय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या भाषा सम्बन्धी पुस्तिका में जैसा कि सन् १९५१ की जनगणना में किया गया था भाषावार विभाजन ज़िलेवार, ताल्लुकावार और गांववार दिखाया जायेगा ?

श्री दातार : यह ज़िलेवार होगा, और जैसे मद्रास के मामले में वह ताल्लुकावार भी होगा।

श्री रघुरामय्या : क्या सन् १९३१ की भांति यह गांववार भी दिखाया जायेगा, क्योंकि किन्हीं किन्हीं द्विभाषीय ज़िलों में ऐसा करना आवश्यक हो ?

श्री दातार : जी हां, वह गांववार भी होगा।

अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

*५२२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संख्या जिन को सन् १९५२ में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया गया और जिन के

सम्बन्ध में विध्वंसकारी कार्यवाहियों में भाग लेने अथवा सम्मिलित होने का 'सन्देह' किया गया था; तथा

(ख) क्या उन को इस 'सन्देह' के विरुद्ध अपनी सफाई देने के लिये कोई अवसर दिया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) कदाचित् माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के उन मामलों से है जो राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के सुरक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित प्रणाली के अनुसार किये गये है । सन् १९५२ में केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को इस प्रकार सेवा-निवृत्त नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं उन मामलों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं जिन के सम्बन्ध में इन नियमों से सन् १९४९ में लागू किये जाने के बाद कार्यवाही की गई ?

श्री दातार : यदि माननीय मित्र एक अन्य प्रश्न की पूर्व सूचना दें, तो यह आंकड़े मैं उन को दे दूंगा ।

सरदार हुक्म सिंह : जब कि असैनिक सेवा नियमों के अन्तर्गत जांच कराई जाने अथवा संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष सारे मामले का निर्देश किये जाने का इन व्यक्तियों को अधिकार नहीं दिया गया है, तो ऐसे मामलों में कार्यवाही करने की क्या कार्यप्रणाली है ?

श्री दातार : कार्य प्रणाली यह है कि गृह सचिव (सभापति), विधि मंत्रालय के एक प्रतिनिधि, गुप्त वार्ता विभाग के एक प्रतिनिधि और अधिकारी के सम्बद्ध मंत्रालय के एक प्रतिनिधि की एक समिति नियुक्त कर दी जाती है

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या इस वर्ष में इस परामर्श दात्री समिति को कोई मामले निर्देशित किये गये थे ?

श्री दातार : सन् १९५३ में ?

सरदार हुक्म सिंह : सन् १९५२ में ।

श्री दातार : सन् १९५२ में आठ मामले निर्दिष्ट किये गये थे ।

सरदार हुक्म सिंह : उन को दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में उस की क्या सिफारिश थीं ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि किसी को भी अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त नहीं किया गया ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान, कि क्या प्रत्येक मामले में परामर्श-दात्री समिति के परामर्श को माना गया था या कुछ ऐसे मामले भी थे जिन में उसे अमान्य ठहराया गया था ?

श्री दातार : परामर्श सदैव माना जाता है ।

आई ए० एस०, आई० पी० एस० तथा आई० एफ० एस० में आवंटन

*५२३. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सम्मिलित प्रतियोगीय परीक्षा के परिणाम के आधार पर आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा आई० एफ० एस० तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में अभ्यर्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में क्या कोई निश्चित प्रणाली निर्धारित की गई है ?

(ख) सन् १९५२ में हुई सम्मिलित परीक्षा के परिणामों के आधार पर विभिन्न सेवाओं में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या थी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) परीक्षा का परिणाम तीन विभिन्न सूचियों में प्रकाशित किया जाता है ।

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय वैदेशिक सेवाके लिये ;

(२) केन्द्रीय सेवाओं–श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के लिए; तथा

(३) प्रत्येक राज्य पदाली के हेतु पृथक पृथक भारतीय पुलिस सेवा के लिये ।

विभिन्न सेवाओं में अभ्यर्थियों का आवंटन करने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रणाली निर्धारित नहीं की गई है । आवंटन राज्य सरकारों तथा सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों से पूर्णरूपेण परामर्श करने के बाद किया जाता है, और जहां तक संभव होता है, अभ्यर्थी की क्रम संख्या तथा उस के द्वारा प्रकट की गई वरीयता का ध्यान रखा जाता है । परन्तु सभी को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि सार्वजनिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है ।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय वैदेशिक सेवा के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुए हैं । इन दोनों में शीघ्र ही नियुक्तियां की जायेंगी । अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में अभी परीक्षायें हो रही हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या परीक्षा प्रति वर्ष होती है अथवा प्रत्येक छै मास के पश्चात् ?

श्री दातार : परीक्षा वार्षिक होती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं इन प्रतियोगीय परीक्षाओं की अन्तिम परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री दातार : संख्या तो मेरे पास नहीं है, परन्तु वह २००० से अधिक है ।

सरदार हुक्म सिंह : कितने लिये गये हैं ?

श्री दातार : एक सूची तैयार की गई थी—भारतीय प्रशासनिक सेवा में ५३, और भारतीय पुलिस सेवा में १५ इन में से क्रम के अनुसार चुनाव किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ऐसे कोई मामले थे जिनमें परीक्षार्थियों को उन की प्रथम वरीयता नहीं मिल सकी ?

श्री दातार : कुछ मामले ऐसे थे जिन में उन को उन की प्रथम वरीयतायें नहीं मिल सकीं, परन्तु उन को उन की द्वितीय वरीयतायें मिल गई ।

श्री दाभी : मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि इन आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों और पुराने आई० सी० एस० और आई० पी० अधिकारियों के वेतन क्रमों तथा भत्तों में कितना अन्तर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न से असंगत विषय पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री दातार : यह सब बातें सरकारी सूचना पत्र में दी जाती हैं और दिये गये प्रार्थना-पत्रों (फार्मों) में भी होती हैं ।

श्री वीरस्वामी : सन् १९५२ में अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थी आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा आई० एफ० एस० परीक्षाओं में बैठे, और उन से अब तक कितनों को चुना गया है ?

श्री दातार : इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती है । यदि माननीय सदस्य को यह सूचना अपेक्षित हो तो मैं उसे सदन पटल पर रख दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ५२४ ।

श्रीमती रणु चक्रवर्ती: क्या मैं यह निवेदन करूं श्रीमान्, कि हमारे कार्यालय पर पुलिस

द्वारा कब्जा कर लिये जाने के कारण सभी काग़ज़ वहां से बाहर निकाल फेंके गये हैं, अतः हम अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने में भाग नहीं ले सकते हैं । उस के लिये हमारे पास सभी पत्रादि नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या प्रश्न काल में किसी अन्य बात की चर्चा कर रही हैं । वह चाहें तो प्रश्न पूछें चाहे न पूछें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह बात अभिलिखित कराना चाहती हूं श्रीमान्, कि अनुपूरक प्रश्न पूछना संभव नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं यह समझूं कि इस प्रश्न को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी हां, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पूछा नहीं गया है । इस का यह अर्थ है कि इसे वाद विवाद में छापा भी नहीं जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ५२५ नहीं पूछा गया ।

प्रश्न संख्या ५२६ नहीं पूछा गया ।

भुगतान शेष

*५२७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री सन् १९५२-५३ की अवधि में रहे इस देश के भुगतान शेष की स्थिति को बतलाने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : अप्रैल से दिसम्बर १९५२ की अवधि के लिये चालू खाते में भारत के भुगतान शेष में, परीक्षात्मक प्राक्कलनों के आधार पर, ८७.० करोड़ रुपये का अतिरेक था ।

सेवा के लिए अधिवास-स्थान

*५२८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेना की अधिवास-स्थान सम्बन्धी समस्या को सुलझाने के लिये कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इन की अधिवास-स्थान सम्बन्धी मांगें क्या हैं :—

(१) सैनिकों के परिवारों की;

(२) प्रशिक्षण संस्थाओं की;

(३) मूल्यवान उपकरणों तथा गाड़ियों के गोदामों के लिये;

(४) अन्य, तथा

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कितने अतिरिक्त मकान बनाये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) एक योजना सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस प्रस्तावित योजना के अनुसार, उन के व्यय का अनुमान क्रमशः इस प्रकार है :—

(१) सैनिकों के परिवार	२७ करोड़ रुपया
(२) प्रशिक्षण संस्थायें	२५ करोड़ रुपया
(३) मूल्यवान उपकरण तथा गाड़ियों के गोदाम	८० करोड़ रुपया
(४) अन्य	७८ करोड़ रुपया

(ग) १५ अगस्त, १९४७ से, १,३८६ अफसरों तथा सैनिकों के लिये अधिवास-स्थान बनाये गये हैं, और २,०८७ के लिये बन रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या सेना के एकक अब भी डेरे तम्बुओं और अस्थायी इमारतों में रह रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : जी हां, ऐसा ही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या इन एककों के स्थायी स्थानों का निश्चय किया जा चुका है ?

सरदार मजीठिया : जी हां, निश्चय किया जा चुका है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सैनिकों के परिवारों, प्रशिक्षण संस्थाओं तथा मूल्यवान उपकरणों तथा गाड़ियों के गोदामों के लिये अन्तिम रूप से स्थान चुनने की क्या कोई प्रस्थापना है ?

सरदार मजीठिया : जी हां, मैं ने निवेदन किया कि एक योजना विचाराधीन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ५२९ ।

श्री वी० पी० नायर : मुझे एक व्यक्तिगत निवेदन करना है, श्रीमान् । पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारे कार्यालय से सम्बन्धित मामले में प्रतिहिंसात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण मैं कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना नहीं चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, परन्तु क्या वह इस प्रश्न का उत्तर भी चाहते हैं अथवा नहीं ?

श्री वी० पी० नायर : जी नहीं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ५२९ तथा ५३० पूछे नहीं गये ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी

*५३२. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी को भारत सरकार से १.२० करोड़ की पूंजी मिली है ?

(ख) व्यापारिक प्रयोजनों के लिये वायुयान बनाना कब प्रारम्भ होगा ?

(ग) भारतीय वायु सेना के लिये एच० टी० २ प्रशिक्षक तथा पर्सीवल प्रैन्टिस ट्रेनर वायुयानों के प्रारूपण में कम्पनी द्वारा की गई प्रगति क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) भारत सरकार ने अभी तक हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में २,७०,१६,६०० रुपये हिस्सों की पूंजी के रूप में दिये हैं ।

(ख) और (ग). कदाचित माननीय सदस्य वायुयान निर्माण की ओर निर्देश कर रहे हैं । यदि ऐसा है, तो प्रशिक्षक वायुयान एच० टी० २ का निर्माण, जिसे भारतीय वायु सेना तथा नागरिक उड्डयन क्लबों में दोनों में काम में लाया जायेगा, प्रारम्भ कर दिया गया है । पर्सीवल प्रैन्टिस ट्रेनर वायुयान का प्रारूपण तथा निर्माण मैसर्स पर्सीवल प्रैन्टिस, संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन ने किया था । हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में उन का निर्माण उस सार्थ के साथ हुए एक सहायता करार के अनुसार प्रारम्भ किया गया था ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या यह तथ्य है कि पर्सीवल प्रैन्टिस को शाही वायु सेना ने प्रशिक्षण सेवा के अयोग्य होने के कारण अस्वीकृत कर दिया था ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे इस की कोई सूचना नहीं है, श्रीमान् । वह यहां सन्तोषजनक कार्य कर रहा है और हम ने उसे जान बूझ कर चुना था ।

विस्थापित व्यक्तियों से किराये की वसूली

*५३३. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे विस्थापित व्यक्तियों पर, जो माहवारी भत्ता ले रहे हैं, माहवारी किराया बकाया है ?

(ख) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों से वसूल की जाने वाली किराये की राशि कितनी है ?

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को दिया जाने वाला अधिक से अधिक तथा कम से कम माहवारी भत्ता कितना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) आमदनी के सम्बन्ध में कुछ कठौतियां करने के बाद, अधिकतम राशि १०० रुपये प्रति मास और न्यूनतम १० रुपये प्रति मास है ।

श्री गिडवानी : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अनेकों प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं जिन में सुझाव दिया गया है कि दयनीय मामलों में वसूली रोक दी जाये विस्थापित विधवाओं के मामलों में या उन व्यक्तियों के मामलों में, जो किराया नहीं दे सकते हैं, वसूली रोक दी जाये। आप ने स्वयं स्वीकार किया था. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को तर्क नहीं करना चाहिये। वह प्रश्न पूछें ।

श्री जे० के० भौंसले : प्रत्येक मामले पर श्रीमान्, उस के गुण दोषों के अनुसार विचार किया जायेगा ।

श्री गिडवानी : इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या अन्तिम निश्चय किया है ?

श्री जे० के० भौंसले : इन मामलों पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये राज्य सरकारों को आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

नगरीय सम्पत्ति के दावों की जांच

*५३४. **श्री गिडवानी** : (क) क्या पनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मुख्य दावा आयुक्त को विस्थापित व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में अनेकों प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं कि उन के दावों की अभी तक जांच नहीं की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उन के दावों की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले) : (क) जी हां ।

(ख) अधिकांश ऐसे मामलों को निपटा दिया गया है । शेष की जांच की जा रही है और उन के ३१ मार्च, १९५३ तक निपटा दिये जाने की आशा है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि वह दावेदार जिन के दावों की अभी तक जांच नहीं की गई है, अनेकों तार, रजिस्टर्ड चिट्ठियां तथा अन्य प्रकार के पत्र मुख्य दावा आयुक्त को भेजते रहे हैं, और उस ने इन चिट्ठियों की प्राप्ति तक को स्वीकार नहीं किया है ?

श्री जे० के० भौंसले : हम ने एक समय सीमा निश्चित कर दी है जिस तक सभी दावे मुख्य दावा आयुक्त को भेज दिये जाने चाहियें थे। हम तिथि के पश्चात्, ऐसे किसी दावे को स्वीकार नहीं करते हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि कुछ मामलों में दावा अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दावेदारों को उक्त आदेशों में निश्चित की गई उपस्थित होने की तिथि के बाद प्राप्त हुए हैं और इस कारण उन के दावे अस्वीकृत कर दिये गये हैं ?

श्री जे० के० भौंसले : मेरी इच्छा है श्रीमान्, कि इस प्रकार के मामले विशेष रूप से सरकार के ध्यान में लाये जायें और हम उन की बारीकी से जांच करेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने इन अफसरों को यह आदेश दिये हैं कि वह दावों की जांच इस तरह करें कि सरकार की अभिनवीकरण योजना के अनुसार नये आयुक्तों से फिर से इस प्रश्न की जांच करने को न कहना पड़े ?

श्री जे० के० भौंसले : जी हां, श्रीमान् ।

मनीपुर राज्य बैंक

*५३५. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या मनीपुर राज्य बैंक एक पूर्ण रूपेण सरकारी बैंक है;

(ख) यदि है, तो इस बैंक के सम्बन्ध में राज्य सरकार जोखिम तथा उत्तरदायित्व;

(ग) यदि नहीं है, तो राज्य सरकार और उक्त बैंक के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध;

(घ) उस में अब तक विनियोजित धनराशि;

(ङ) विनियोजित धनराशियों में से, सरकार द्वारा तथा जनता द्वारा खरीदे गये हिस्सों की परिमात्रा;

(च) बैंक की दायिता तथा परिसम्पत्;

(छ) क्या यह एक धन अर्जन करने वाली संस्था है अथवा नहीं; तथा

(ज) बैंक का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ज). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या २५]**

श्री एल० जे० सिंह : विवरण से मुझे ज्ञात होता है कि सरकार के पास १४ लाख रुपये के अंकित मूल्य के २८,००० हिस्से हैं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार के धन की तथा जनता के धन की हानि न हो जैसी हानि कि जनता को त्रिपुरा माडर्न बैंक, आसाम बैंक तथा मनीपुर स्थित कलकत्ता कमर्शियल बैंक के परिसमापत् हो जाने पर उठानी पड़ी थी, इस के लिये क्या सुरक्षण किये गये हैं ?

डा० काटजू : अब तक यह बैंक एक धन अर्जन करने वाली, लाभ कमाने वाली संस्था रही ही है । परन्तु विषय के किस पहलू की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है वह सरकार के विचाराधीन है और भारत के रिज़र्व बैंक ने अभी हाल ही में बैंक का निरीक्षण किया है और इस सम्बन्ध में, कि किस प्रकार बैंक को पूर्णतया सुरक्षित तथा दृढ़ आधार पर स्थापित किया जा सकता है, हम उस से परामर्श कर रहे हैं । मेरे विचार से और अधिक सूचना देना वांछनीय नहीं होगा ।

श्री एल० जे० सिंह : मुझे विवरण से ज्ञात हुआ कि "अन्य बैंकिंग सार्थों से उधार", भी एक मद है । "अन्य बैंकिंग सार्थ" कौन से हैं ?

डा० काटजू : मैं आप को और अधिक ब्यौरा नहीं दे सकता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्योंकि राज्य के पास उक्त बैंक के ५० प्रतिशत हिस्से हैं, क्या सरकार के समक्ष ऐसी कोई प्रस्थापना है कि इस बैंक को किसी अन्य दृढ़ बैंक के साथ मिला दिया जाये जिस से कि यह बैंक कहीं निकट भविष्य में परिसमापत न हो जाये ?

डा० काटजू : मैं ने अभी निवेदन किया कि हम रिज़र्व बैंक से परामर्श कर रहे हैं और इसी विषय विशेष पर विचार विमर्श किया जा रहा है ।

श्री ए० सी० गुहा : यदि इस बीच बक हानि पर चलने लगे, तो उस हानि की कौन भरपाई करेगा ?

डा० काटजू : इस समय तो बैंक लाभ पर चल रहा है ।

आसाम के उपद्रवग्रस्त मुस्लिम परिवार

*५३६. **श्री अमजद अली** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५० के आसाम के उपद्रवग्रस्त मुस्लिम परिवारों को दिये जाने के लिये संघ सरकार द्वारा आसाम सरकार को दी गई सम्पूर्ण धन राशि;

(ख) यह अभिप्राय किस के लिये यह धन दिया गया था ;

(ग) क्या यह धन उन को ऋण दिये जाने की इच्छा से दिया गया था ; तथा

(घ) वह अवधि तथा वह ब्याज की दर जिस पर यह ऋण दिये गये थे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले) : (क) २७,८७,१२५ रुपये ।

(ख) जिन को साम्प्रदायिक उपद्रवों में हानि पहुंची थी उन को सहायता तथा पुनर्वास सुविधायें देने के लिये ।

(ग) 'ऋण' तथा 'अनुदान' देने के लिये ।

(घ) धन की वापसी छै से सद वर्ष में होनी है और ब्याज की दर ४ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष है, प्रथम दो वर्षों में कोई ब्याज नहीं ली जायेगी ।

श्री केलप्पन : इस रकम का कितना भाग बांट दिया गया है ?

श्री जे० के० भौंसले : सभी ।

सैनिक प्रयोजनों के लिये शस्त्र तथा उपकरण

*५३७ **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सैनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित शस्त्रों तथा उपकरणों का कितना प्रतिशत भाग स्थानीय उत्पादन से पूरा किया जाता है और कितना प्रतिशत भाग आयातों से ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सैनिक भांडारों और उपकरणों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :—

(१) अघातक प्रकार के सामान्य भांडार तथा उपकरण ।

(२) अघातक प्रकार के प्रविधिक भांडार तथा उपकरण ।

(३) घातक प्रकार के भांडार और विशिष्ट प्रकार के सैनिक शस्त्र तथा उपकरण ।

जहां तक पहली प्रकार का सम्बन्ध है, हम प्रायः आत्मनिर्भर हैं। दूसरी प्रकार के उपकरणों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता कुछ कम है और तीसरे प्रकार के सम्बन्ध में सब से कम है ।

सन् १९५१-५२ (बाद के आंकड़े तुरन्त ही उपलब्ध नहीं हैं) में सशस्त्र बलों के लिये क्रय किये गये शस्त्रों तथा उपकरणों के सम्पूर्ण मूल्य से यह ज्ञात होता है कि भारत में समाहृत किये गये उपकरणों का मूल्य तीनों सेवाओं के लिये क्रय किये गये उपकरणों के मूल्य का कोई ८० प्रतिशत था ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं उन फैक्टरियों के नाम ज्ञात कर सकता हूं जिन में भारत में यह रक्षा उपकरण तथा शस्त्र बनाये गये थे ?

श्री सतीश चन्द्र : हमारी कई आयुध फैक्टरियां हैं । साथ ही इस प्रश्न का सम्बन्ध इस बात से नहीं है कि हम भारत में क्या

कुछ बनाते हैं। जो कुछ मैं ने निवेदन किया है वह भारत में की गई खरीदारी के सम्बन्ध में है।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं उन विदेशी नागरिकों की संख्या जान सकता हूं जो इन शस्त्रों को बनाने वाली फैक्टरियों में कार्य कर रहे हैं ?

सरदार ए० एस० सहगल : यह उत्पन्न नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह उत्पन्न होता है ?

श्री सतीश चन्द्र : जी नहीं, श्रीमान्। यह प्रश्न तो उपकरणों की खरीद के सम्बन्ध में है।

श्री के० डी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अधिकांश आयात किन देशों से किये जाते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : अधिकांश आयात संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन् से किये जाते हैं।

वधिरता सम्बन्धी विशेष समिति

*५३८ **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वह कौन सा विशिष्ट कार्य है जिस के लिये वधिरता सम्बन्धी विशषज्ञसमिति नियुक्त की गई है; तथा

(ख) उक्त समिति द्वारा अब तक किया गया कार्य ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) देश में वधिरता का विस्तार तथा कारणों का अनुमान लगाने और वधिरता को रोकने के लिये उपयुक्त साधनों की सिफारिश करने तथा वधिरों की शिक्षा और उन के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए।

(ख) समिति प्रथम बार १२ और १३ जनवरी, १९५३ को नई दिल्ली में समवेत हुई थी और उस ने कुछ सिफारिशें की हैं जो कि इस समय विचाराधीन हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और प्रतिवेदन दे दिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, उस ने कुछ सिफारिशें की हैं।

सेठ गोविन्द दास : देश में सब से अधिक बहरे किस प्रदेश में हैं ?

श्री क० डी० मालवीय : इस की सूचना तो मेरे पास नहीं है।

\+ \+ \+

काश्मीर को ऋण

*५३९. **श्री के० जी० दशमुख** : (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या काश्मीर की सरकार ने जनवरी १९५३ में छै लाख रुपये का ऋण दिये जाने की प्रार्थना की थी ?

(ख) यदि हां, तो जिस कार्य के लिये काश्मीर राज्य के द्वारा यह ऋण मांगा गया था ?

(ग) क्या भारत सरकार ने यह ऋण देना स्वीकार कर लिया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). जम्मू और काश्मीर की सरकार ने जनवरी १९५३ में जम्मू के संयुक्त पुनर्वास पर्षद् द्वारा सहायता तथा पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों पर किये जाने वाले व्यय के लिये ६,२५,००० रुपये की पेशगी धन राशि की मांग की थी।

---

†† अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अवमार्जित किया गया। सं० सं० प्र०

(ग) जी हां ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस ऋण की अदायगी की क्या शर्तें हैं ?

डा० काटजू : "काश्मीर को सहायता" शीर्ष के अन्तर्गत एक खाता खोला गया है, और इस रकम को उसी खाते में दर्ज कर लिया गया है ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि काश्मीर को आज तक दिये गये ऋणों की कुल रकम कितनी है ?

डा० काटजू : मैं सारी रक़म नहीं बता सकता हूं । जहां तक इस मद का सम्बन्ध है, रकम इतनी ही है ।

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नज़रबन्दी

*५४०. **श्री अमजद अली** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में राजबन्दी बनाये गये व्यक्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि गृह-कार्य उपमंत्री ने परिस्थिति का पुनरीक्षण करने के लिये हाल ही में कई राज्यों का दौरा किया था ?

(ग) क्या निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत राज्य बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की संख्या में वर्ष प्रति वर्ष कमी होती जा रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) मैं ३१ जनवरी, १९५३ के दिन राज्य बन्दियों की संख्या बतलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या २६**]

(ख) उपमंत्री ने हाल ही में अजमेर तथा बम्बई और मद्रास राज्यों के कुछ भागों का दौरा किया था और इस मंत्रालय से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न मामलों की—जिस में यह भी एक था—जांच की थी ।

(ग) जी हां ।

श्री अमजद अली : क्या उन्हों ने आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और हैदराबाद का दौरा किया था ?

श्री दातार : जी नहीं, श्रीमान् ।

मूंगफली की रिती से दूध तैयार करना

*५४१. **श्री हेडा** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मैसूर के केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगकीय अनुसन्धान विद्यालय ने मूंगफली की गिरी से दूध बनाने की प्रणाली को पूर्ण किया है ?

(ख) क्या सरकार जनता से इस दूध की सिफारिश करती है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) मूंगफली की गिरी से दूध बनाने की एक प्रणाली खाद्य प्रौद्योगकीय अनुसन्धान विद्यालय मैसूर ने बनाई है । दूध को गंधहीन करने तथा कसैले स्वाद के अन्तिम चिन्हों तक को हटा देने के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं ।

(ख) विद्यालय में किये गये प्रयोगों के आधार पर विद्यालय के संचालक ने जनता से मूंगफली के दूध से जमाये गये दही को काम में लाने की सिफारिश की है ।

श्री हेडा : क्या परमधाम आश्रम में जो ग्राउंड नट (मूंगफली) से दूध निकालने का प्रयोग होता है उस का भी इस इंस्टीट्यूट में प्रयोग किया गया है और उस का विश्लेषण कर के देखा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, उस के बारे में मैसूर इंस्टीट्यूट की सूचना है ।

सेठ गोविन्ध दास : यह जो मूंगफली से दूध निकाला जाता है, इस दूध के तत्वों में और जो गाय का दूध होता है उस के तत्वों में कुछ अन्तर है या दोनों एक से हैं ? क्या इस के बारे में कोई जांच की गई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): यह कैसे हो सकता है ।

श्री के० डी० मालवीय : गाय के दूध और मूंगफली के दूध के तत्वों में कुछ भेद तो है ही लेकिन उस के जो तत्व हैं वह करीब करीब गाय के दूध के तत्व के बहुत नजदीक हैं ।

सेठ गोविन्ध दास : क्या यह मामला उसी तरह का हो रहा है जिस तरह का कि वनस्पति घी का मामला था ?

श्री क० डी० मालवीय : यह मूंगफली का वैजीटेबिल दूध है ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस दूध में विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता वही है जो कि प्राकृतिक दूध म होती है ?

श्री के० डी० मालवीय : अधिकांश मामलों में मूंगफली के दूध में पोषक तत्व गाय के दूध के न केवल बराबर ही है बल्कि कुछ मामलों में उस से भी अधिक है ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मनुष्य की पाचन शक्ति दोनों प्रकार के दूधों को पचाने में समान रूप से कार्य करती है अर्थात् क्या इस बनावटी दूध को मनुष्य का आमाशय प्राकृतिक दूध की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से पचाता है अथवा नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : अब तक जो प्रयोग किये गये हैं उन से यह स्पष्ट होता है कि जिन व्यक्तियों ने इस दूध को पिया है, उन्हों ने इसे अच्छा पाया है, परन्तु इस के सुपाच्य होने के सम्बन्ध में कोई निश्चित परिणाम निकालने के लिये कुछ और प्रयोग करने की आवश्यकता है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि जिस समय बनस्पति घी पहले पहल निकाला गया था उस वक्त भी इसी तरह की बातें उस के पक्ष में कही गई थीं कि जिस तरह की बातें आज इस प्रकार के दूध के पक्ष में कही जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे तो नहीं मालूम कि बनस्पति घी के पक्ष में आज कोई ऐसी बात कही जा रही है, या जो बातें पहले कही गई थीं उन के बारे में आज कोई सन्देह किया जा रहा है ।

श्री के० जी० देशमुख : यह जो मूंगफली से दूध बनाया जाता है उस की पर पौंड कितनी कीमत आती है ?

श्री क० डी० मालवीय : करीब नौ पैसे फी पौंड ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह दूध कारखानों में बनने लगा है ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी तो देश के दक्षिणी हिस्से में एक कम्पनी को इस का पेटेंट दिया गया है और यह उस कम्पनी के विचार करने की बात है कि वह कब कारखाने से दूध बना कर जनता को बेचना शुरू करेगी ।

डा० सुरेश चन्द्र : यह इंस्टीट्यूट और किन फलों से दूध निकालने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय तो मूंगफली से दूध निकालने का प्रयत्न कर रहा है ।

श्री धुलेकर : क्या ऐसी कोई मशीन बनाई गई है कि जिस से साधारण लोग भी अपने घर में इस का उपयोग कर सकें और उस से दूध निकाल सकें ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार को तो ऐसी किसी मशीन की सूचना नहीं है ।

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दूध का स्वाद कैसा होता है ?

श्री के० डी० मालवीय : यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उन्हें कुछ दिनों में भेज दूंगा ।

कौ० रणवीर सिंह : क्या यह बनस्पति दूध असली दूध में मिलाया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह मिलावट की बात तो सरकार अच्छी नहीं समझती । इन दोनों को अलग अलग खरीदा जा सकता है ।

श्री धुलेकर : क्या यह बनस्पति दूध बाजार में बिक सकेगा और यह कितने दिनों तक ठीक रह सकेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : साधारण दूध जितनी जल्दी बिगड़ जाता है यह उतनी जल्दी नहीं बिगड़ता ।

श्री गणपति राम : क्या इस का घी भी बनाया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

161 PSD

प्रविधिक शिक्षा परिषद् की प्रादेशिक समितियां

*५४४. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त की गई प्रादेशिक समितियों के कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) उन का तुरन्त प्रारम्भ किये जाने वाला कार्यक्रम क्या है और अब तक उन की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

(ग) उन समितियों ने केन्द्रीय सरकार से क्या सिफारिशें की हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७**]

मनीपुर में वेतन क्रम

*५४५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार की यह नीति है कि मनीपुर में आसाम राज्य के वेतन क्रम ज्यों के त्यों लागू कर दिये जायें ?

गृह-कार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू) : जी हां, एक समान स्तर तथा उत्तरदायित्व वाले पदों के सम्बन्ध में । जो पद स्तर तथा उत्तरदायित्व को देखे कुछ निम्न कोटि के हैं उन के लिये कुछ निम्न वेतन क्रम नियत किये गये हैं ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह तथ्य है श्रीमान्, कि भारत सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये कुछ विभागों, जैसे जन वास्तु विभाग, शिक्षा उपआयुक्त के कार्यालय, नगरीय पुलिस तथा मनीपुर राइफ़िल्स के लिये भारत सरकार द्वारा औपचारिक आदेश नहीं दिये गये हैं ?

डा० काटजू : मुझे इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिये । मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना

करूंगा कि वह मुझे एक निजी पत्र भेजें और मैं उन को सारी सूचना दे दूंगा । यह एक बहुत विस्तार की बात है ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जब कि श्रेणी १ और २ के कर्मचारी आसाम वेतन क्रमों के आधार पर पुनरीक्षित किये गये वेतन क्रमों की सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं तो श्रेणी ३ और ४ के कर्मचारियों को इन सुविधाओं से क्यों वंचित किया गया है ?

डा० काटजू : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि मनीपुर के लिये, सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ के लिये तैयार किये गये आयव्ययक प्राक्कलनों में पुनरीक्षित वेतन क्रमों और भत्तों का प्रावधान क्यों नहीं दिया गया है जब कि त्रिपुरा के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है ?

डा० काटजू : इस का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। विस्तृत नियम बनाये गये हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मामले की जांच की जा रही है । प्रत्येक के वेतन क्रम बढ़ा दिये जायेंगे और किसी को भी वेतन में तनिक सी भी कमी नहीं होगी । यह एक बहुत ही प्रविधिक प्रकार का कार्य है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या माननीय मंत्री को किसी भी मनीपुरी से इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

डा० काटजू : मुझे ज्ञान नहीं है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का विकास

*५४६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-५३ में भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिये आवंटित (राज्यवार) की गई थी ;

(ख) उसे किस प्रकार व्यय किया गया है; तथा

(ग) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के प्रादेशिक आयुक्तों के कार्यालयों के संधारण का व्यय भी उपरोक्त अनुदान अथवा निधि में से किया गया था ?

गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : (क) १९ फरवरी, १९५३ के श्री एन० श्रीकान्तन नायर के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४ के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

वह उत्तर इस प्रकार था :

"अनुसूचित जातियों के कल्याण का कार्य मूल रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । अनुसूचित जातियों के लिये विभिन्न राज्यों को भारत सरकार से कोई भी अनुदान नहीं दिये गये । सन् १९५२-५३ में संविधान के अनुच्छेद २७५(क) के अन्तर्गत अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को यह अनुदान दिये गये थे ।"

इस के पश्चात् विभिन्न राज्यों को दिये गये अनुदानों की रकमों का विवरण दिया गया है और सब का योग १७९.७५ लाख रुपये होता है ।

(ख) इन विभिन्न कल्याणकारी तथा विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये, अर्थात्—

(१) कृषि विकास छोटे पमाने की सिंचाई योजनाओं सहित ।

(२) शिक्षा प्रसार (छात्रालय तथा छात्रवृत्तियों सहित) ।

(३) लोक स्वास्थ्य, मलेरिया विरोधी कार्यवाहियों सहित ।

(४) ग्राम्य सड़कें ।

(५) कुटीर उद्योगों का विकास ।

(ग) जी नहीं ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि कुछ राज्यों जैसे मनीपुर और त्रिपुरा को विवरण में दी गई राज्यों की सूची में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री दातार : जहां तक इन राज्यों का सम्बन्ध है, यह भाग ग में के राज्य हैं और सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार को वहन करना है । इसलिये कोई रकम विशेष नहीं दी गई है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई सावधानी बरत रही है कि राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के कल्याण का काम प्रगति कर रहा है ?

श्री दातार : जी हां ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि क्या गत वर्ष तथा इस वर्ष मद्रास राज्य के अनुदानों में कटौती कर दी है, तथा यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दातार : भारत सरकार को कोई सूचना नहीं है; पर हम आवश्यक सूचना मांगेंगे ।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिये काफ़ी रुपया खर्च कर रही है ?

श्री दातार : उत्तर प्रदेश सरकार धन व्यय कर रही है; परन्तु वास्तविक आंकड़े हमारे समक्ष नहीं हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को बन्द कर दिया है ?

श्री दातार : मुझे इस की कोई सूचना नहीं है ।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई रिपोर्ट इस विषय में मांगी है ?

श्री दातार : हमें रिपोर्ट मिलेगी ।

श्री धूसिया : क्या कोई ऐसा राज्य है जिस में आवंटित धन राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है ?

श्री दातार : अधिकांश राज्यों में धन व्यय किया जा चुका है, और यदि माननीय सदस्य किसी राज्य विशेष के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं तो वह एक पृथक प्रश्न की पूर्व सूचना दें ।

श्री गणपति राम : क्या मैं आशा रख सकता हूं कि अनुसूचित जाति आयुक्त की अगली रिपोर्ट जो छपेगी उस में उत्तर प्रदेश का पूरा विवरण होगा ?

श्री दातार : यह रिपोर्ट १९५१-५२ के सम्बन्ध में थी । वह वर्ष समाप्त हो गया है और रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के बाद अवस्था निश्चय ही सुधर गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री बीरेन दत्त : उस कार्यवाही के विरुद्ध जिस के द्वारा हमारे कार्यालय को हटा दिया गया है, विरोध प्रदर्शन करने के हेतु मैं अपने प्रश्न को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ५४७ पूछा नहीं गया ।

नगरीय अचल सम्पत्ति के दावों पर पूनरीक्षण

***५४८. श्री गिडवानी** : (क) क्या **पुनर्वास मंत्री** पाकिस्तान में छोड़ी गई नगरीय अचल सम्पत्ति के उन दावों की संख्या बतलाने

की कृपा करेंगे जिन को मुख्य दावा आयुक्त द्वारा स्वयं प्रेरणा से प्रेरित हो कर पुनरीक्षित किया गया है ?

(ख) कितने मामलों में दावों को बढ़ा दिया गया है ?

(ग) कितने मामलों में दावों को कम कर दिया गया है ?

(घ) पुनरीक्षण किये जाने के क्या कारण थे ?

पुनर्वास उपमन्त्री (श्री जे० के० भौंसले) : (क) ८ फरवरी, १९५३ तक ९,०८७ मामले ।

(ख) और (ग). सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है ।

(घ) निर्णित दावों की जांच करते समय, मुख्य दावा आयुक्त को यह ज्ञात हुआ कि कुछ मामलों में भूमि खंडों और भवनों के सम्बन्ध में अधिकाधिक ग़लत क़ीमतें लगाई गई थीं । आधिपत्य, क्षेत्रफल तथा विभिन्न प्रकार की गणनाओं इत्यादि के सम्बन्ध में भी उन्हें बहुत सी अनियमितताएं दिखाई दीं । इसलिये उन्हों ने ऐसे सभी मामलों को पुनरीक्षण के लिये दावा आयुक्त को भेज दिया ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं कि जब यह पुनरीक्षण किया जा रहा है तो दावेदारों को उन के निवास स्थानों से बहुत दूर हाज़िर होने के लिये कहा जाता है जिस से उन को बहुत असुविधा होती है तथा व्यय भी होता है, उदाहरण के लिये व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक में बुलाया गया है ?

श्री जे० के० भौंसले : संभव है ऐसा हो, श्रीमान् ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार इस सम्बन्ध में, कि उन को इतनी असुविधा न दी जाये और न उन का इतना धन व्यय कराया जाये, कोई आदेश निर्गमित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न निष्क्रान्त सम्पत्ति विधेयक पर हुई चर्चा के समय उठाया गया था और माननीय प्रभारी मंत्री ने उत्तर दिया था कि असुविधाओं को जहां तक संभव हो सकेगा, दूर किया जायेगा ।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, मुझे एक व्यक्ति का हाल मालूम है जिसे बम्बई से दिल्ली बुलाया गया था । उस व्यक्ति को कुछ भी मिलने से पहले अपने पास से धन व्यय करना पड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ सुना गया था ।

ग्राम्य विश्वविद्यालय

*५४९. **प्रो० राम शरण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राधा कृष्णन विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों को, और विशेषत: भारत में ग्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को, किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमन्त्री (श्री के० डी० मालवीय): ग्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान श्री सी० पी० एन० सिन्हा द्वारा लोक सभा में १६ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

राधाकृष्णन आयोग की अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में अपेक्षित विधान बना कर कार्यवाही की है । विश्व भारती को भी केन्द्रीय विश्व-

विद्यालय बना दिया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है और उस के कृत्यों सम्बन्धी विस्तृत विवरण विचाराधीन हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्योंकि हमें श्री सी० पी० एन० सिन्हा के प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश किया गया है, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किसी भी राज्य ने ग्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : जहां तक हमें मालूम है अभी तक किसी स्टेट ने कोई क़दम नहीं उठाया है ।

प्रो० राम शरण : क्या केन्द्रीय सरकार इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी खोलने का विचार कर रही है ?

मौलाना आजाद : जी नहीं, अभी तक गवर्नमेंट आफ इंडिया ने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के क़ायम करने का इरादा नहीं किया है क्योंकि यह जब ही हो सकता है जब और बहुत सी बातें जमा हो जायें वह अभी नहीं हुई ।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक रूरल यूनिवर्सिटी (ग्राम्य विश्वविद्यालय) खोलने की स्कीम थी और वह कहां तक कार्यान्वित हो रही है ?

मौलाना आजाद : उत्तर प्रदेश की सरकार ही इस का जवाब दे सकती है ।

श्री एस० एन० दास : रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के बाद से मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा यह ज्ञात करने के लिये कि राज्य सरकारें इन सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित कर सकी हैं, कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

मौलाना आजाद : बात यह है कि कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थीं उन में से कुछ सिफारिशों का ताल्लुक गवर्नमेंट आफ इंडिया से था और कुछ का स्टेट गवर्नमेंटों और यूनीवर्सिटियों से । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उन तमाम सिफारिशों को जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटियों और स्टेट गवर्नमेंटों से है उन के पास भेज दिया है और उन का ध्यान दिलाया है ।

श्री दाभी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि एक ग्राम विद्यापीठ सौराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है ?

मौलाना आजाद : हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्नों की पूर्व सूचना दी जानी चाहिये जिस से कि सूचना एकत्रित की जा सके ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से ग्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की विस्तृत योजना बनाई जाने के प्रश्न पर कोई पत्र व्यवहार कर रही है ?

मौलाना आजाद : जी हां, स्टेट गवर्नमेंटों को कमीशन की सिफारिश भेज दी गई है और उन से खतोकिताबत (पत्र-व्यवहार) की जा रही है ।

श्री बी०एस० मूर्त्ति : सवाल यह है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने शुभ प्रारम्भ किया है. वह बोलते जायें ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मेरा प्रश्न यह है, श्रीमान् क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से, विशेष रूप से इन ग्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार कर रही है ?

मौलाना आजाद : कमीशन की सिफारिश यह थी कि तमाम स्टेट गवर्नमेंटों में एक कांसिल देहाती तालीम के लिये बननी चाहिये ।

इस के बाद फिर सैंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) देखेगी कि किस तरह और किस जगह यूनिवर्सिटी बनाई जाये। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंटों से दरयाफ्त किया। मालूम यह हुआ कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इस तरह की कोई काउंसिल नहीं बनाई है। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि काउन्सिल बनें।

डा० सुरेश चन्द्र: क्या सरकार उन असरकारी संस्थाओं को जो इन विश्वविद्यालयों को चलाने की इच्छा प्रकट करें, कोई अनुदान देने की प्रस्थापना करती है ?

मौलाना आजाद : गवर्नमेंट के सामने एसी कोई दरख्वास्त (प्रार्थना) नहीं आई है।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५३-५४ के बजट में रूरल यूनिवर्सिटियों (ग्राम्य विश्वविद्यालयों) के लिये कोई फंड (निधि) रखा गया है ?

मौलाना आजाद : कोई खास फंड नहीं रखा गया ह। यूनिवर्सिटी ऐज्यूकेशन के लिये फंड रखा गया है।

चक्रवात सहायता कार्य

*५५०. **श्री वीरस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने मद्रास सरकार को चक्रवात सहायता कार्य के सम्बन्ध में कोई सहायता दी है; तथा

(ख) यदि हां, तो अब तक दी गई सहायता किस प्रकार की है ?

गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : (क) और (ख). केन्द्रीय राजस्व से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। परन्तु प्रधान मंत्री द्वारा चक्रवात से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता के लिये निकाली गई अपील के परिणामस्वरूप कोई ४००० रुपये प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में एकत्रित हुए थे, जिस में से २,३५० रुपये की रकम मदरास के राज्यपाल को भेजी जा चुकी है। इस के अतिरिक्त चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के लिये ३०,००० रुपये की एक रकम मद्रास के राज्यपाल को प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से भेजी जा चुकी है।

श्री वीरस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी अधिकारी को चक्रुवात से प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर के वहां की जनता की अवस्था का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया है ?

श्री दातार : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

श्री वेंकटारमन् : क्या मैं तंजौर तथा तिरुचिपल्ली ज़िलों को चक्रवात से पहुंची हानि का परिमाण ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री दातार : वह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री वेंकटारमन् : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी सहायता की मांग की थी ?

श्री वीरस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कि पहले प्रश्न का उत्तर न दे दिया जाये माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें।

श्री दातार : जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उस के अनुसार कहां तक चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने की बात का सम्बन्ध है हम से किसी प्रकार की सहायता की मांग नहीं की गई है। परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि यह ऐसी मद है जिस के अन्तर्गत साधारणतया सहायता दिये जाने की मांग की जाती है।

श्री वीरस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने इस के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई प्रार्थना की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न है, और उत्तर भी वही है ।

आधुनिक युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण

*५५१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार किन्हीं छात्र-सैनिकों तथा विभागीय अधिकारियों को आधुनिक युद्ध प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करने अथवा उस में वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों को भेजने की प्रस्थापना करती है, यदि हां, तो किन देशों को; तथा

(ख) भारतीय सशस्त्र बलों में इस समय कितने विदेश-प्रशिक्षित अधिकारी हैं ?

रक्षा उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तीनों सेवाओं के चुने हुए अधिकारियों को अपेक्षित स्तर तक की विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों को भेजा जाता है । अधिकांशतया उन को संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन को भेजा जाता है, और कभी कभी संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया को भेजा जाता है ।

(ख) ८३६ ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या हमारे किन्हीं अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पश्चिमी जर्मनी को भी भेजा गया है, और यदि हां, तो कितनों को ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे उस की पूर्व सूचना चाहिये । मुझे ज्ञात नहीं कि किसी भी अधिकारी को पश्चिमी जर्मनी भेजा गया था ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन फ़ारेन ट्रेन्ड (विदेश प्रशिक्षित) अफ़सरान के स्थान की पूर्ति के लिये हिन्दुस्तान में अफ़सर कितने दिन में ट्रेन किये जायेंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : सरकार की पालिसी (नीति) है कि जहां तक हो सके इन चीज़ों की ट्रेनिंग का जिन का प्रबन्ध अभी यहां नहीं है, हिन्दुस्तान में किया जाय, यह अफसर सिर्फ उन चीज़ों की ट्रेनिंग के लिये भेजे जाते हैं जिन का यहां इन्तज़ाम नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : सुरक्षा की दृष्टि से विदेशियों को सेना में रखना क्या वांछनीय होगा ?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं, बहुत ही कम हैं, शाज़ो नादिर (कभी कभार) नज़र आयें, अगर माईक्रोस्कोप या टैलिस्कोप से देखें ।

सामान्य चुनाव के सम्बन्ध में रिपोर्ट

*५५२. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग ने सामान्य चुनाव के संचालन के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने चुनाव आयोग से कोई रिपोर्ट मांगी है ?

श्री बिस्वास : रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या चुनाव आयोग की सम्मति चुनावों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए अनुभवों के विषय में मांगी गई है ?

श्री बिस्वास : वह उसी के सम्बन्ध में रिपोर्ट दे रहा है ।

श्री एस० एन० दास : एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने को है और मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या हम विधेयक के प्रारूपण के सम्बन्ध में चुनाव आयोग से कोई सिफारिशें या सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

श्री बिस्वास : आज एक विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा, और माननीय सदस्य देखेंगे कि उक्त विधेयक में गत चुनावों में प्राप्त हुए अनुभवों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए प्रश्नों का पूर्ण रूप से समावेश नहीं किया गया है । केवल कुछ ही बातों का समावेश किया गया है । अन्य बातों के लिये चुनाव आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रतीक्षा की जायेगी ।

गणराज्य दिवस समारोह

*५५३. **डा० सत्यवादी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गणराज्य दिवस समारोह के सम्बन्ध में नृत्य तथा संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने वाली प्रत्येक राज्य की मंडली पर सरकार द्वारा कितना मद वार व्यय किया गया ;

(ख) क्या इन मंडलियों को कोई पारितोषिक भी दिये गये थे, यदि हां, तो किस प्रकार के;

(ग) इस समारोह को देखने जाने वाले दर्शकों से हुई सम्पूर्ण आय ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि पैप्सू वाली मंडली के प्रभारी कलाकार ने अपनी मंडली के सदस्यों से पांच रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिल्ली में भोजन तथा निवास सम्बन्धी व्यय के रूप में वसूल किये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इस मद म सरकारी खज़ाने में कितनी रकम आई ?

रक्षा उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) प्रत्यक मंडली पर हुए व्यय को दिखलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या २८**]

(ख) कोई पुरस्कार नहीं दिये गये परन्तु प्रत्येक कलाकार को एक स्मृति चिन्ह देने का विचार है ।

(ग) ५८,४९५ रूपये ।

(घ) भारत सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

किराये की बकाया

*५३१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उन विस्थापित व्यक्तियों के मामलों में, जो निष्क्रान्त सम्पत्ति पर अधिकार जमाये हुए हैं और जीवन-निर्वाह भत्ता ले रहे हैं, किराये की बक़ाया को उन को दिये जाने वाले जीवन-निर्वाह भत्ते से काट लेने के आदेश दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को ऐसे मामलों जिन में कि आवंटनी कोई विस्थापित विधवा या कोई अनाथ है, या कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कि वास्तव में किराया दे सकने की स्थिति में नहीं है, किराये की वसूली न किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

पुनर्वास उपमन्त्री (श्री जे० के० भौंसले) : (क) जी हां, कठिनाई को दूर करने के लिये यह आदेश दिये गये हैं कि किराये की वसूली की मद में जीवन-निर्वाह भत्ते में २५ प्रतिशत से अधिक की कटौती न की जाये ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये, परन्तु प्रत्येक मामले की उस के गुण दोषों के अनुसार जांच की जायेगी, और जिन मामलों में यह निश्चित हो जायेगा कि अमुक व्यक्ति को सहायता की वास्तव में आवश्यकता है तो उपयुक्त सहायता भी दी जायेगी ।

विधवाओं को क्षतिपूर्ति

*५४२. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार उन विधवाओं तथा अशक्त व्यक्तियों के जिन को कोई जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिल रहा है, या जो किसी दरिद्र आश्रम में भरती नहीं हो सके हैं, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं कर रही है ?

(ख) क्या सरकार को ऐसे कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन में उन के क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों के स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई हो ?

(ग) ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

पुनर्वास उपमन्त्री (श्री जे० के० भौंसले) : (क) से (ग). उन वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों से, जिन को जीवन निर्वाह भत्ता मिल रहा है या जो दरिद्र आश्रमों तथा अशक्तालयों में रह रहे हैं, उन के क्षतिपूर्ति सम्बन्धी आवेदन-पत्रों के विषय में कुछ अग्रेतर सूचना देने को कहा गया है । कुछ अन्य विधवाओं तथा अशक्त व्यक्तियों को आवेदन पत्र भेजने की अनुमति दे दी गई है । परन्तु कोई अग्रेतर निर्णय किये जाने तक उन के मामलों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

अनुसन्धान प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां

*५४३. **श्री दामोदर मेनन** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उस प्रणाली में, जिस के अनुसार अनुसन्धान प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों का आवंटन किया जाता है, कोई परिवर्तन करने का निर्णय किया है ?

(ख) नई योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मन्त्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). सन् १९४९-५० तथा १९५१-५२ में प्रारम्भ की गई छात्रवृत्तियों के वर्षवार आवंटन की प्रणाली के स्थान पर अब छात्रवृत्तियों का एक निश्चित अभ्यंश नियत कर दिया गया है और उन को वैसे ही प्रत्येक विश्वविद्यालय संस्था को आवंटित कर दिया गया है। प्रत्येक छात्रवृत्ति की समयाविधि पहले की भांति तीन वर्ष के लिये होगी, परन्तु यदि तथा जब भी कोई छात्र अपनी समयाविधि को पूरा करेगा, तो इस के परिणामतः होने वाली रिक्ति को नवीकरण की बिना किसी अग्रतर स्वीकृति के भर दिया जायेगा जिस से कि किसी विश्वविद्यालय संस्था को आवंटित अभ्यंश पूर्ण रह सके ।

केन्द्रीय दुर्भिक्ष जांच आयोग

४०३. **श्री भीखाभाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मील सेवा मंडल पंचमहल ने ज़िला बोर्ड के साथ सा

एक ज्ञापनकेन्द्रीय दुर्भिक्ष जांच आयोग को, जब कि वह दिसम्बर १९५२ के चौथे सप्ताह में अपने दौरे पर वहां गया था, दिया था;

(ख) क्या यह तथ्य है कि पंचमहल के आदिम जाति क्षेत्रों में दुर्भिक्ष अवस्थाओं के निरन्तर आवर्तन की ओर आयोग का ध्यान दिलाया गया है; तथा

(ग) क्या आयोग ने राजस्थान के निकटवर्ती आदिम जाति क्षेत्रों का भी दौरा किया था ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

भूगर्भीय परिमाप

४०४. **श्री भीखाभाई** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान के भूतपूर्व राज्यों डूंगपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भूगर्भीय परिमाप कार्य किया गया है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन खनिज पदार्थों के नाम जो वहां मिलते हैं; तथा

(ग) उन खनिज पदार्थों को खोद निकालने की संभावनायें ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मन्त्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जो खनिज पदार्थ वहां मिले हैं वह हैं : सीसा, जस्ता और चांदी, मेंगनीज़, चूने का पत्थर और संगमरमर, फैलनपार, बिल्लौर, तथा सिलिका रेत, एस्वस्टस, सेलखड़ी, अभ्रक, फ़िरोज़ा, अयस्सहिज (टैन्टेलाइट), अयःकाशीयिज (कोलम्बाइट) पन्ना तथा इमारती पत्थर ।

(ग) राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि खनिज पदार्थों को खोदा गया है और उन को खनिज पदार्थ सुविधा नियमों, १९४९ के उपबन्धों के अन्तर्गत निकाला जा रहा है ।

अजमेर, दिल्ली और कुर्ग में प्रजातंत्र प्रणालियों का कार्यकरण

४०५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अजमेर, दिल्ली तथा कुर्ग में प्रजातन्त्र प्रणालियों के कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्टें, तथा इन राज्यों में प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था के स्थापित किये जाने के परिणामस्वरूप हुई प्रगति की रूपरेखा तथा विस्तार को देने वाले विवरणों को सदन पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है ?

(ख) राज्यवार व्यय की गई वह धनराशियां कौन सी हैं जिन को हमें भूतपूर्व केन्द्रीय अधिकार के अन्तर्गत होने वाले व्यय के अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है ?

गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : (क) रिपोर्टों की प्रतिलिपियां सदन पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ख) भाग ग में के राज्य अधिनियम को लागू करने के कारण सन् १९५२-५३ में हुए अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

दिल्ली	९,२९,९२६	रुपये
अजमेर	७,९८,०००	रुपये
कुर्ग	१,६६,०००	रुपये

विधान मंडलों के कार्यकरण का परिमाप

४०६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा भोपाल के विधान मंडलों तथा

मंत्रिमंडलों के कार्यकरण का एक संक्षिप्त विवरण, जिस में उन की सफलताओं, उन के द्वारा की गई प्रगति, उन के संवैधानिक कार्यकरण, तथा प्रत्येक राज्य में विधान निर्माण के दौरान में स्थापित किये गये प्रचलनों तथा प्रथाओं का वर्णन दिया गया हो, सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ख) राज्य वार वह कौन कौन सी व्यय सम्बन्धी रक़में हैं जिन को हमें भूतपूर्व केन्द्रीय अधिकार के अन्तर्गत होने वाले व्यय, आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक दोनों प्रकार का, के अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और जितनी जल्दी संभव होगा उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

आयु-सीमा

४०७. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकारी नौकरी में विस्थापित व्यक्तियों तथा छंटनी किये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आयु-सीमा की छूट के सम्बन्ध में दी गई सुविधा को ३१ दिसम्बर, १९५२ से आगे को बढा दिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो किस तिथि तक के लिये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख). इस सुविधा को दिसम्बर १९५३ के अन्त तक के लिये बढ़ा दिया गया है। इस के बाद दिसंबर, १९५४ के अंत तक के लिये इसे और बढ़ा दिया जायेगा, परन्तु इस सुविधा को केवल मात्र उन्हीं विस्थापित व्यक्तियों तक ही सीमित कर दिया जायेगा जो दिसम्बर १९५० के अन्त के बाद भारत आये हैं ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

४०८. **श्री बी० के० दास** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ के सामूहिक निष्क्रमण में पूर्वी बंगाल के विस्थापित हुए व्यक्तियों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

(ख) इस व्यय की मुख्य मुख्य मदें क्या हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले): (क) और (ख) . विस्थापित व्यक्तियों के विभिन्न अवसरों पर आने वाले विभिन्न दलों के पुनर्वास तथा सहायता पर हुए व्यय के पृथक पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

रोगों की विशिष्ठ औषधियां

४०९. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान विद्यालय लखनऊ में किये गये अनुसन्धानों के फलस्वरूप इन रोगों की क्या कोई विशिष्ठ औषधियां खोज निकाली गई हैं :

(१) मलेरिया (२) क्षय (३) कोढ़ (४) श्वेत कोढ़ (५) नासूर (६) उष्ण-देशीय उपसि-रेज्य (७) फीलपाव, (८) खुजली (९) खारिश तथा अन्य स्ट्रैपरो कोकिल तथा स्ट्रैफ़ैयेलो कोकिल सम्पर्क रोग तथा (१०) गर्दन तोड़ बुखार ।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : इन रोगों की विशिष्ट औषधियों की खोज करने का कार्य उक्त विद्यालय में हो रहा है :

(१) मलेरिया

(२) क्षय

(३) गलित कोढ़

(४) श्वेत कोढ़

(५) उष्णदेशीय उपसि-रेज्य (ट्रापिकल हयोसिनोफ़िलिया)

(६) स्ट्रैपटोकोकिल तथा स्टैपयेलोकाकिल सम्पर्क रोग।

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत अवरोध

४१०. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में, निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत राजबन्दी बनाये गये व्यक्तियों की संख्या;

(ख) इन्हीं वर्षों में (वर्षबाद) मुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या;

(ग) इस समय अवरुद्ध व्यक्तियों की संख्या (राज्य-वार) ; तथा

(घ) उन व्यक्तियों की संख्या जो राजनैतिक कारणों से अवरुद्ध किये गये हैं, तथा उन की संख्या जिन को अन्य समाज विरोधी कार्यवाहियों—जैसे भ्रष्टाचार, चोरबाज़ारी इत्यादि, के कारण अवरुद्ध किया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ). मैं माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं : **[देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**

परन्तु इतना मैं अवश्य निवेदन कर दूं कि किसी को भी "राजनैतिक कारणों" से अवरुद्ध नहीं किया गया है। निरोध की आज्ञा केवल मात्र उक्त अधिनियम की धारा ३ में निर्धारित विशिष्ट परिस्थितियों में ही दी जाती है ।

राजस्थान में खनिज सम्पत्ति

४११. **डा० रामाराव** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या खनिज सम्पत्ति का अनुमान लगाने के लिये राजस्थान क्षेत्र का कोई विस्तृत परिमाप किया गया है ?

(ख) राजस्थान में खनिज सम्पत्ति के कौन से ज्ञात संसाधन हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]**

सवर्ण तथा चान्दी (निर्यात तथा आयात)

४१२. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **वित्त** मंत्री (१) सुवर्ण तथा (२) चांदी के सन् १९५०-५१, १९५१-५२ तथा चालू वर्ष में किये गये आयात का सम्पूर्ण मूल्य बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन्हीं वर्षों में प्रत्येक मामले में वसूल किये गये शुल्क की सम्पूर्ण रक़म कितनी थी ?

(ग) उन देशों के नाम जहां से यह आयात किये गये हैं ?

(घ) क्या उक्त वर्षों में भारत से कोई सुवर्ण या चांदी निर्यात की गई, यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (घ). नीचे बतलाये गये प्रकाशन में यह सूचना दी गई है। इस प्रकाशन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं :

(१) "भारतीय विदेशी व्यापार (समुद्र, वायु तथा भूमि द्वारा) तथा नौपरिवहन सम्बन्धी लेखे ।"

(२) "भारत संघ के बहि:शुल्क तथा आबकारी राजस्व के विवरण ।"

एम० ई० एस० में चौकीदारों के काम क घन्ट

४१३. श्री विट्ठल राव: क्या **रक्षा** मंत्री इस बात की पुष्टि करने की कृपा करेंगें कि एम० ई० एस० में चौकीदारों के कार्य के घन्टे प्रति दिन २४ घन्टा है, तथा यदि ऐसा है, तो सरकार इन कार्य घन्टों को निकट भविष्य में बदल कर उन को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमों के अनुसार कर देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जी नहीं, श्रीमान् । एम० ई० एस० में चौकीदारों के काम के घन्टे साधारणतया ८ से १२ घन्टे प्रति दिन होते हैं। खाली इमारतों की देख भाल करने के लिये नियुक्त किये गये चौकीदारों को ही २४ घन्टे की ड्यूटी के आधार पर रखा जाता है, परन्तु साधारणतया इन को उन्हीं खाली इमारतों के, जिन की देख रेख इन को करनी होती है, किसी भाग में अपने परिवारों सहित रहना होता है । उन को अपने कार्य में सामान्य आराम का समय मिल जाता है, और जब भी आवश्यकता होती है तो उन को कुछ घन्टों की छुट्टी भी दे दी जाती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियम, जैसा कि उन का भारत ने अनुसमर्थन किया है, इस प्रकार के श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं ।

सारनाथ में खदाई

४१४. श्री गणपति राम : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बनारस में सारनाथ के स्थान पर किये गये खुदाई कार्य पर प्रति वर्ष उस के संधारण पर किया जाने वाला सम्पूर्ण व्यय;

(ख) प्रत्येक वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार का भाग; तथा

(ग) क्या दर्शकों द्वारा दान निधि में दी गई धनराशि को उस के संधारण कार्य पर व्यय किया जाता है और यदि हां, तो सन् १९४९ से प्रति वर्ष किया गया सम्पूर्ण व्यय ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) :

वर्ष	व्यय की गई धनराशि (रुपयों में)
१९४७-४८	१३४०-३-०
१९४८-४९	१६८१-९-०
१९४९-५०	१९११-१४-०
१९५०-५१	३६५३-१४-०
१९५१-५२	३०२४-५-०
१९५२-५३ (३१ जनवरी, १९५३ तक)	४१८४-०-०

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) जी नहीं । दर्शकों द्वारा दान निधि में दी गई धनराशियों में से कोई रकम कभी भी प्राप्त नहीं हुई है ।

गुरुवार,
५ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

गुरुवार, ५ मार्च १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई

(**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे)

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३ बजे म० प०

स्थगन प्रस्ताव

विन्डसर प्लेस से कुछ संसद-सदस्यों का निकाला जाना

उपाध्यक्ष महोदय : ४ मार्च १९५३ को संसद् के कुछ साम्यवादी सदस्यों तथा उन के कर्मचारी वर्ग को १, विन्डसर प्लेस, नई दिल्ली से निकाल दिया गया था और इस पर मुझे श्री एच० एन० मुखर्जी से स्थगन प्रस्ताव की एक पूर्व सूचना प्राप्त हुई है।

क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि यह कमरा किसे मिला था ?

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : पहिले यह कोठी, यदि आप पूर्णतः जानना चाहते हैं, तो . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे केवल उन बातों के सम्बन्ध में थोड़ा बता दें जो मैं पूंछूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यह संसद् में साम्यवादीदल के नेता, श्री ए० के० गोपालन, का निवास-स्थान था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह उन्हें नियत किया गया था ?

कुछ माननीय सदस्य : हम वहां १० मास से थे. . . . (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह बतायें कि क्या हुआ था। वह अपने दल के उप-नेता हैं। कोई अन्तर्बाधा नहीं होनी चाहिये।

श्री एच० एन० मुखर्जी : प्रारम्भ में श्री वैलायुधन से इसे बदल लिया गया था। इस का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला और कुछ समय पश्चात् एस्टेट अफसर तथा उसके आदमिओं ने वहां रहने वालों को निकाल दिया और उन का सामान आदि बाहर फैंक दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्व प्रथम मुझे अपनी अनुमति देनी है। क्या वहां से श्री वैलायुधन को निकाला गया था ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान् मैं ने कहा था. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह किसी साम्यवादी सदस्य को नियत हुआ था जिस का प्रतिनिधित्व माननीय सदस्य का दल करता है ? वहां कौन रहता था ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : प्रारम्भ में यह संसद् में साम्यवादी दल के एक सदस्य नियत हुआ था जिसने दल को छोड़ने के पश्चात् इसे पाने में हाथ बटाया . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उस ने उसे छोड़ दिया था ? क्या अदल-बदल को गृह-समिति न स्वीकार कर लिया था ? क्या अध्यक्ष महोदय से इस का अभ्यावेदन किया गया था ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : नहीं । मैं गृह समिति का सदस्य हूं । पूर्ण विषय गृह-समिति के सम्मुख कभी नहीं आया । कुछ अन्य व्यक्तियों ने कुछ निश्चय किये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं गृह-समिति की अधिवास उप-समति के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं अधिवास उप-समिति के विषय में नहीं कह सकता परन्तु यह जानता हूं कि गत अधिवेशन में गृह-समिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार किया था कि क्वार्टरों में रहने वाले संसद्-सदस्यों को किसी भी स्थिति में क्वार्टरों से न निकाला जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का अर्थ यह है कि यदि संसद् सदस्य क्वार्टर में अनधिकार रूप से रहने लगते हैं तो वह उस में रहते रहें और जिस व्यक्ति को वह नियत हुआ है वह मारा मारा फिरे । इस के अतिरिक्त क्या अध्यक्ष महोदय को इस मामले की सूचना दी गई थी ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : दुर्भाग्यवश यह गृह-समिति का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय से इस सम्बन्ध में कई बार मिला गया । अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस दीर्घकालीन मामले को तै करने के लिए हम फिर प्रयत्न कर सकते हैं परन्तु इस के पूर्व कि कोई सन्तोष-जनक निश्चय होता ये व्यक्ति आये और उपरोक्त कथित रूप में व्यवहार किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले की सूचना मुझे दो या तीन मास पूर्व दी गई थी । यह कोठी श्री वैलायुधन को नियत की गई थी और तत्पश्चात् अदल बदल की सूचना गृह-समिति की अधिवास उप-समिति को नहीं गई । यदि कोठी इस सदन के अन्य तीन सदस्यों और राज-परिषद् के एक सदस्य को नियत की गई । श्री वैलायुधन ने गृह-समिति को लिखा था कि वह उस कोठी को नहीं चाहते और इस प्रकार इन सदस्यों में से कोई भी वहां रहने का अधिकारी नहीं है । अध्यक्ष महोदय गृह-समिति की अधिवास-उप-समिति के प्रस्तावों पर वाद विवाद का अनुसमर्थन कर चुके हैं । एस्टेट अफसर को इस उप-समिति के आदेशों का पालन करना पड़ता है । इन परिस्थितियों में मैं नहीं जानता कि स्थगन प्रस्ताव कैसे रखा जा सकता है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : आप के निश्चय से पूर्व मैं यह अवश्य कहूंगा कि आप की सूचना अपर्याप्त तथा यथार्थहीन है; मुझे यह खेदपूर्वक कहना पड़ता है । चार संसद सदस्यों को नियतन के सम्बन्ध में, मैं कह सकता हूं कि एस्टेट आफिस को कुछ प्रलेख व लेख-संग्रह आदि भेजे गये थे जिन से यह विदित हो जायगा कि गृह समिति के सभापति को, सम्बन्धित सदस्यों के बीच समझौता होने पर विन्डसर प्लेस में नं० १ का नं० ४ से अदल बदल होने पर कोई आपत्ति नहीं है । इस सदन के तीन सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी और चौथे सदस्य को, यद्यपि व्यक्तिगत रूप कोई आपत्ति नहीं थी, पर उस के दल वालों द्वारा उस से सहमत न होने को कहा गया ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान्, इस के पूर्व कि आप अपना निर्णय दें क्या मैं एक बात कह सकता हूं । अभी आप ने कुछ प्रश्न पूछे थे और उन से यह स्पष्ट विदित होता है कि आप को समस्त तथ्यों का ज्ञान नहीं है । ऐसे मामलों में यह उचित है कि उन की पूर्ण

छान बीन की जाये। मैं आप से और आप के द्वारा प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि मामले की गृह-समिति द्वारा जांच हो कि क्या संसद् के कुछ सदस्यों को निकालने में एस्टेट अफसर की कार्यवाही न्यायपूर्ण थी। जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो, यह निश्चय ही उचित नहीं है कि संसद्-सदस्यों को पुलिस की सहायता से निकाला जाये। यदि प्रधान मंत्री सहमत हों तो गृह-समिति से तथ्यों की जांच कराई जाये और इस बीच सदस्यों को फिर वहां रहने की इस शर्त पर अनुमति दे दी जाये कि उन्हें गृह-समिति के समादेश का पालन करना होगा। यदि यह आश्वासन दिया जाता है तो हम संसद के गौरव के अनुसार एक प्रक्रिया स्वीकार कर सकते हैं। हमें दल की ओर न देख कर संसद-सदस्य के गौरव की ओर देखना चाहिये।

प्रधान मंत्री तथा सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। मैं इस मामले के सम्बन्ध में सम्भाव्य भ्रान्तधारणा तथा मिथ्या भ्रम को दूर करना चाहता हूं। वास्तव में कल तक, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था अथवा पूर्णत: कि अनभिज्ञ था कि पिछले कुछ मासों में क्या हुआ है। मैं ने उड़ता सा सुना था कि किसी गृह के सम्बन्ध में कुछ झगड़ा है जो माननीय अध्यक्ष तथा गृह समिति की अधिवास उप-समिति के विचाराधीन है। मुझे इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल कल ही वाम पक्ष के कुछ माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और उन्हों ने यह इच्छा प्रकट की कि मैं इस में हस्ताक्षेप करूं। मुझे विदित हुआ कि मामले पर माननीय अध्यक्ष पहिले ही विचार कर चुके हैं। मैं ने महसूस किया कि जब माननीय अध्यक्ष स्वयं इस मामले की जांच तथा उस पर विचार कर चुके हैं तो मेरे लिये यह उचित नहीं है कि मैं इस में हस्तक्षेप करूं। इस प्रकार सरकार का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि संसद्-सदस्य को प्रभावित करने वाले मामले पर सावधानी के साथ विचार करना चाहिए और मैं उन से सहमत हो गया था और इस सम्बन्ध में कुछ अनुचित नहीं करना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नहीं जानता कि सुझाव रखा जाये जब कि माननीय अध्यक्ष स्वयं इस पर विचार कर चुके हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या यह माननीय अध्यक्ष की अनुमति से किया गया था और क्या उन्हों ने यह सुझाव दिया था कि पुलिस माननीय सदस्य को निकाल दें?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर दोनों ओर से बहुत सुन चुका हूं और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सुझाव भी सुन चुका हूं। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि संसद सदस्यों को कोठियों का नियतन एक अधिवास-उप-समिति करती है। कोठियों सम्बन्धी सारे मामलों में संसद की सत्ता प्रधान है। कोठी किसी को देना अथवा किसी को न देने का पूर्ण उत्तरदायित्व गृह-समिति को है। इस को इस गृह-समिति ने तै किया है और माननीय अध्यक्ष ने उस निर्णय की पुष्टि की थी। यह मामला आजकल का नहीं है परन्तु इसे कार्यरूप अब दिया गया है। यह उन सदस्यों के बीच झगड़ा अथवा विशेषाधिकार का प्रश्न है जिनमें से एक को यह कोठी नियत हुई है और दूसरे को नहीं। संसद की उप-समिति को नियत करने का अधिकार है और उस ने ही आदेश दिये हैं। यदि कोई कोठी किसी माननीय सदस्य को नहीं दी जाती तो वह उप-समिति से या माननीय अध्यक्ष महोदय से कह सकते हैं और उन का निर्णय अन्तिम निर्णय है। क्योंकि उन के आदेश को कार्यरूप देने में पुलिस से कुछ सहायता ली गई है, केवल इसी कारण, मैं

[उपाध्यक्ष महोदय]

नहीं समझता कि भारत सरकार पर तथा अन्य किसी माननीय सदस्य पर कैसे आरोप लगाया जा सकता है।

सरकार स्थगन-प्रस्ताव आदि के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्थगन-प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि वे माननीय सदस्य जिन्हें यह कोठी यथारीति से नहीं मिली है, उस अधिकार का प्रयोग करेंगे जो उन्हें नहीं है और कोठी में बसने का प्रयत्न करेंगे। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं देता। मेरे पास माननीय अध्यक्ष का आदेश है। उन्हें उस में कोई अनियमितता दिखाई नहीं दी और इस लिए उन्हों ने इन आदेशों की पुष्टि की है। मैं वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहता, यदि आप आदेश को स्वयं पढ़ें तो आप को सब स्पष्ट हो जायेगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी: प्रश्न तो यह है कि क्या माननीय अध्यक्ष ने गृह-समिति के निर्णय की पुष्टि की थी? सारा प्रश्न तो प्रक्रिया का है। उस कोठी से सदस्यों को निकालने के लिये पुलिस से प्रार्थना करने के पूर्व क्या उन से परामर्श किया गया था और क्या यह उन की अनुमति से किया गया था? यह विशेषाधिकार को प्रभावित करता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आदेश की प्रति यहां है और यह उचित नहीं है कि...

एक माननीय सदस्य: यह राजनीति का खेल है।

उपाध्यक्ष महोदय: साम्यवादी दल का प्रश्न उठाना यहां उचित नहीं है। मैं तो सदन को केवल यह बता रहा हूं कि माननीय सदस्य ने इस बहस को उचित क्रमानुसार बढ़ाया है और जब अध्यक्ष महोदय से इस मामले के बारे में कहा गया तो उन्हों ने भी उस आदेश की पुष्टि की।

डा० एस० पी० मुखर्जी: कोई भिन्न प्रक्रिया से काम क्यों नहीं लिया गया? पुलिस सहायता प्राप्त करने की अन्तिम सूचना देनी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें सात दिन का समय दिया गया था।

श्री के० के० बसु (डाईमन्डहार्बर): आप हमारी भी तो सुनें.... (अन्तर्बाधा)

श्री जवाहरलाल नेहरू: श्रीमान्, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? यदि सब बातों के बारे में मैं यह कहूं कि, जैसा कि आपने स्वयं निर्णय किया है, प्रश्न को स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं उठाया जा सकता। परन्तु इस के अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष स्वयं इस मामले पर विचार कर चुके हैं। अतएव, यदि इस पर पुनः विचार किया जा सकता है तो केवल माननीय अध्यक्ष द्वारा ही किया जा सकता है। यह ठीक है कि सम्पूर्ण संसद कभी भी किसी बात पर विचार कर सकती है परन्तु सामान्य प्रणाली का पालन न करने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। सरकार का, वास्तव में, इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आप को किन्हीं तथ्यों का पता चलता है तो आप माननीय अध्यक्ष को उन की सूचना दे सकते हैं और उन से उस पर विचार करने की प्रार्थना कर सकते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी: माननीय अध्यक्ष से इस का निर्देश किया जाये कि क्या किया जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहिले ही निश्चय कर चुका हूं। १, विन्डसर प्लेस की कोठी को खाली कराने सम्बन्धी माननीय अध्यक्ष का आदेश निम्नलिखित है:

"उपरोक्त विषय सम्बन्धी आप के २५-२-५३ के पत्र के प्रसंग में, अध्यक्ष

महोदय ने अपने रोकने के आदेश वापस ले लिये हैं और निश्चय किया है कि गृह-समिति के सभापति के आदेशों का पालन किया जाये। कृपया इस कोठी को आप तुरन्त निर्माण विभाग को खाली कर के दे दें।"

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि माननीय सदस्य का यह कहना कि यह २ मार्च, १९५३ का हुआ था सत्य है तो हमें सत्यता का पता अवश्य लगना चाहिए क्योंकि यह माननीय अध्यक्ष के आदेशों के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस से पहिले पूर्व सूचना दी गई थी। इस के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने कोई आदेश नहीं दिये हैं। इन परिस्थितियों में स्थगन-प्रस्ताव को स्वीकार करने के सम्बन्ध में मैं अपना विचार बदलना उचित नहीं समझता .....(अन्तर्बाधा) इस विषय पर मैं अब और भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी : तो हम संसद भवन से बाहर जाते हैं।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक–मध्य): क्या कोई संसद-सदस्य ऐसा व्यवहार कर सकता है ? क्या सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करने का यही ढंग है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस का अत्यन्त दुख है। अन्त में सभापति के आदेश का पालन अवश्य होना चाहिए। जहां तक उन के व्यवहार तथा अध्यक्ष-पद की निन्दा का सम्बन्ध है, यदि उन्हों ने कल भी ऐसा ही किया तो मैं बड़ी कड़ी कार्यवाही करूंगा।

पैप्सू में संविधान का निलम्बन

उपाध्यक्ष महोदय : पैप्सू में संविधान के निलम्बन सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव के बारे में मुझे पता लगा है कि गृहकार्य तथा राज्य मंत्री, डा० काटजू, पटल पर उद्घोषणा की एक प्रति रख रहे हैं और उसे कार्यरूप देने के लि यहां कुछ संकल्पों को स्वीकार किया जायेगा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

पैप्सू सम्बन्धी उद्घोषणा

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (३) के अनुसरण में ४ मार्च, १९५३ को संविधान की अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (१) के अन्तर्गत पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के प्रशासन-भार को अपने हाथ में लेते हुए राष्ट्रपति ने एक उद्घोषणा की थी जिस की एक प्रति मैं पटल पर रखता हूं।

वर्णित उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने जो आदेश दिये हैं मैं उन की भी एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

[प्रतियां पुस्तकालय में रखी हुई हैं। देखिये संख्या एस–११।५३]

श्रीमान्, क्या मैं आपकी अनुमति से एक संक्षिप्त विवरण पढ़ सकता हूं ? सामान्य निर्वाचन के पश्चात् पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ की स्थितियां अत्यधिक अस्थाई हो गई है। कोई भी राजनैतिक दल स्थाई बहुमत से नहीं आया। सदन के ६० सदस्यों में कांग्रेस दल ही एक ऐसा अकेला दल था जिस में सदस्यों की संख्या २६ था और इस के नेता करनल रघुवीर सिंह ने १९ मार्च १९५२ को मंत्री मण्डल बनाया। अप्रैल में विधान सभा की बैठक के समय के लगभग कुछ व्यक्तियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। इस पर करनल रघुवीर सिंह ने त्याग पत्र दे दिया और सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला ने २२ अप्रैल १९५२ को मन्त्री मण्डल बनाया।

तब से पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ में राजनैतिक कार्यवाही, प्रत्येक विरोधी-पक्षी दल से अनुगामियों को प्राप्त कर के, सत्ता के प्राप्त करने तक सीमित रही है। आय-व्ययक बैठक के पश्चात् सभा का

[डा० काटजू]

अधिवेशन सात दिन तक भी नहीं रहा। संविधान के अनुच्छेद १७४ के अन्तर्गत ६ मास के वैधानिक काल के समाप्त होने के तुरंत पूर्व ही १९ नवम्बर१९५३ का सभा के द्वितीय अधिवेशन का आह्वान किया गया। यह दस दिवस तक चलता था परन्तु एक संक्षिप्त लेख द्वारा व्यक्तिगत रूप में अध्यक्ष से की गई सभा के नेता की प्रार्थना पर यह २५ नवम्बर १९५२ को यकायक स्थगित कर दिया गया। नेता से परामर्श किये बिना ही अध्यक्ष महोदय ने स्थगित अधिवेशन का २२ दिसम्बर को आह्वान किया। बैठक आरम्भ होने से ठीक पहिले विरोधी पक्ष के दो सदस्य इधर चले आये तथा उन्हों ने मन्त्री तथा उप मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और सरकार के विरुद्ध 'अविश्वास' का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। इस पर उस दिन की बैठक के पश्चात् सदन का अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। तदन्तर विषयसूची के किसी विषय पर विचार किये बिना ही इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सम्पूर्ण वर्ष में बहुत थोड़ी विधायिनी कार्यवाही की गई है, यद्यपि महत्वपूर्ण विधान कुछ समय से स्थगित पड़ा है और उधर ध्यान देने की आवश्यकता है।

निर्वाचन न्यायाधिकरण ने हाल में जो निर्णय किये हैं उन से राजनैतिक अस्थिरता बढ़ गई है। संसद में ६० सदस्यों में से कम से कम ३० के विरुद्ध निर्वाचन याचिकायें की गईं। १४ के विरुद्ध याचिकाओं का निर्णय हो चुका है और १७ के विरुद्ध स्थगित पड़ा है। ९ सदस्यों का निर्वाचन छोड़ दिया गया है और उन्हें स्थान से हटा दिया गया है। इन में तीन मंत्री सम्मिलित हैं और मुख्य मंत्री उन में से एक हैं। एक मंत्री को ६ वर्ष के लिए अनर्हीकरण घोषित कर दिया गया है। क्योंकि मन्त्री-परिषद में ६ सदस्य होते हैं जिन में मुख्य मंत्री भी सम्मिलित हैं, इसलिए आधी परिषद समाप्त हो गई है और चौथे मन्त्री के विरुद्ध निर्वाचन-याचिका स्थगित पड़ी है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): इस का उस के विरुद्ध निर्णय हो चुका है।

डा० काटजू: यह स्पष्ट ही है कि बहुत से स्थान रिक्त होंगे और उप-निर्वाचन सूक्ष्म सामान्य निर्वाचन के रूप के होंगे। राज्य में वर्तमान स्थितियों का ध्यान रखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक प्रभाव से अप्रभावित शान्ति तथा मुक्त वातावरण में हो।

राज्य विधान मण्डल में इस राजनैतिक अस्थिरता ने प्रशासन में अत्यधिक हानिकारक फल उत्पन्न कर दिये हैं। इस राज्य में विधान तथा सुव्यवस्था की स्थिति कभी भी सन्तोषजनक नहीं रही है और यह पहिले से कहीं अधिक बिगड़ गई है। क्योंकि मन्त्री-मण्डल के सदस्यों में ही मतभेद है, एक ओर कृषि-सुधार रुके पड़े हैं और दूसरी ओर बहुत से क्षेत्रों में समान प्रशासन-सत्ता स्थापित हो गई है जो राज्य-सत्ता को नहीं मानती। सम्पूर्णकार्यकारी प्रशासन कमज़ोर हो गया है। नागरिक राजसेवाओं के नैतिक स्तर पर जोर नहीं देना चाहिए। विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस राज्य में भी भारत के अन्य राज्यों की भांति कुशल प्रशासन की आवश्यकता है और वर्तमान परिस्थितियों में वहां ऐसा कुशल प्रशासन बिल्कुल नहीं है, और वास्तव में, असम्भव है। इसलिए, यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्थाई प्रशासकीय परिस्थितियां पुनः उत्पन्न की जायें और राज्य की जनता को मुक्त तथा पक्षहीन ढंग से अपनी पसन्द के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अवसर शीघ्र दिया जाय।

मुख्य मंत्री ने अपना तथा अपने साथियों का त्याग-पत्र राज्-प्रमुख को दे दिया है। संविधान के ३५६ अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति को भी रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट तथा प्राप्त अन्य सूचना से राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य-सरकार को नहीं चलाया जा सकता और उन्हों ने उसे अपने हाथ में ले लेने का निश्चय कर लिया है। राज प्रमुख को मंत्री-मण्डल के त्याग-पत्र स्वीकार करने के आदेश दे दिये गये हैं। राज-प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त परामर्शदाता की सलाह से उन के सामान्य निरीक्षण, आदेश तथा नियन्त्रण के अन्तर्गत राज्य का प्रशासन चलायेंगे। आज इस प्रबन्ध को लागू करने की एक उद्घोषणा कर दी गई है। एक संकल्प जिस में सदन को अनुमति के लिए प्रार्थना की गई है शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला भटिन्डा) : अब भी सत्तारूढ़ दल का बहुमत है। यदि यह अधिक समय पश्चात् अथवा कुछ समय पश्चात् हो रहा है तो क्या, परन्तु स्थगन प्रस्ताव को अनियमित घोषित करने का कोई कारण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत जल्दी हो रहा है।

जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सी० सी० बिश्वास) : मैं जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५०, और जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ में आगे संशोधन करने वाले और भाग (ग) राज्य सरकार अधिनियम, १९५१ में कुछ आनुषंगिक संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० तथा जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ में आगे संशोधन करने वाले और भाग (ग) राज्य सरकार अधिनियम, १९५१ में कुछ आनुषंगिक संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० सी० बिश्वास : मैं विधेयक को प्रस्तावित करता हूं।

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, १९४८ में आगे संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम में आगे संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सामान्य आयव्ययक-साधारण चर्चा—क्रमागत

श्री एन० सी० चैटर्जी (हुगली) : हमारे साम्यवादी मित्रों के एक दम चले जाने के पश्चात हमें और भी अधिक नीरस विषय, आयव्ययक, पर चर्चा करनी है। हमें खेद है कि भारत में कांग्रेस दल के अतिरिक्त साम्यवाद दल का जो एक मात्र मंत्री-मण्डल था समाप्त हो गया है। हम इस पर फिर चर्चा करेंगे।

मुझे खेद है कि इस आयव्ययक को प्रस्तुत करने पर वित्त मंत्री को जो बधाइयां दी गई हैं, मैं उन में अपनी बधाई देकर वृद्धि नहीं कर सकता। राष्ट्रीय राजस्व का ५० प्रतिशत प्रतिरक्षा पर व्यय होता है। इस का उपयोग उचित रूप में नहीं होता। हमें खेद है कि कोई उच्च श्रेणी का मंत्री प्रतिरक्षा

[श्री एन० सी० चैटर्जी]

के लिए उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि प्रधान मंत्री हैं परन्तु उन्हें और बहुत से कार्य हैं।

हम वित्त मंत्री के घाटे का आयव्ययक बनाने के ढंग से परेशान हैं। यह एक भयानक अनुभव हो रहा है। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि वह मुद्रास्फीति के कुप्रभाव को कैसे रोकेंगे। वैयक्तिक आय-कर में वृद्धि होने से हमें कुछ छट मिली है परन्तु इस के फलस्वरूप ८२ लाख रुपये राजस्व की हानि होगी। मैं जन-आयव्ययक लेखा समिति के चौथे प्रतिवेदन का निर्देश कर रहा हूं जिस में जापानी कपड़े के आयात तथा विक्रय का वर्णन है। इस कपड़े के कारण हमारा राजस्व ५५ लाख रुपया तक कम हो गया है। वाशिंगटन से यह चर्चा सुनने पर कि जापानी कपड़ा और सूत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है ६ करोड़ रु० के सौदा का समझौता किया गया और जब वह माल भारत आया तो पता चला कि वह भारत में प्रयोग होने के लिए उपयुक्त नहीं है और उस का मूल्य भारत में प्रचलित मूल्यों से दुगना था। इस सौदे में ५५ लाख रुपये का वास्तविक घाटा हुआ है।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : किस वर्ष ?

श्री एन० सी० चैटर्जी : तब श्री सी० राजगोपालाचारी उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री थे यह १९४६-४७ में हुआ और माल उस के पश्चात् आया तथा उस के विक्रय से कुल ७५ लाख रुपये की हानि हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी फर्म से, जिस के न तो पूर्ण प्रागैतिहास का पता है और जिस से रुपय लेने भी कठिन हैं, १५ लाख रुपए लेने शेष हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्हों ने संबन्धित मंत्री महोदय को इस मामले से अनभिज्ञ रखा।

हम वैदेशिक कार्यों पर बढ़ते हुए व्यय से भी चिन्तित हैं। १९५१-५२ में ३,९७,००,००० रुपये व्यय हुए और १९५३–५४ के वर्ष के लिए मंत्री महोदय ने ५,३२,००,००० रुपये का आयव्ययक बनाया है। क्या हमें अपने इतने महंगे राजदूतों से, व्यय के बराबर, लाभ होता है ? हम तटस्थता की नीति के गीत गाते हैं परन्तु हमारा प्रोपेगेन्डा पाकिस्तान की अपेक्षा, असफल रहा है। काश्मीर के मामले में हमारा कोई मित्र नहीं है और नहर के पानी के बारे में ब्रिटिश तथा अमरीकी प्रेस हमारा विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी कोरियाई शान्ति-योजना भी अस्वीकार हो गई है। लंका, बर्मा, दक्षिणी अफ्रीका तथा पूर्वी अफ्रीका में भी हमारी नीति हमारे साथी-भारतीयों के मामले में असफल रही है। न्यूयार्क टाइम्स में छपा है कि भारत अपनी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए अमरीका से आवश्यक १.३१ बिलियन डालरों में अधिकांश की आशा करता है।

यदि हमारी वैदेशिक नीति विदेशों के हित में न हो तो हमारी पंच वर्षीय योजना का क्या होगा ? व्यक्तियों को इस में भाग लेने का बहुत थोड़ा अवसर दिया गया है। एक ओर तो यह शिकायत है कि ब्याज की दर ऊंची होने पर भी भारत की इन्श्योरेन्स कम्पनियां ऋण नहीं दे रही हैं और दूसरी ओर हम एक राजदूत के स्मारक पर ३५,००० रुपये व्यय कर रहे हैं। इस प्रकार का स्मारक और किसी के लिए नहीं बनाया गया है।

हमारे प्रतिरक्षा व्यय में भी वृद्धि हो रही है और इस पर भी हमें अपनी सैना के बारे में असन्तोषजनक सूचनायें मिलती हैं। नये नियमों के लागू हो ने से हमारे अनुभवी अधिकारियों

को अवकाश ग्रहण करना पड़ा इस के फल-स्वरूप सेना में ज्येष्ठ तथा अनुभवी अधिकारियों की कमी हो गई है।

मैं विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारियों के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं ने और श्री एच० एन० मुखर्जी ने एक विवरण भी निकाला था जिस में विदेशी फर्मों में भेदभाव तथा हानि पहुंचाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। हमें अभी तक भेदभाव की सूचनायें मिलती हैं। इस भेदभाव के समाप्त करने के लिए पाकिस्तान तथा लंका ने प्रभावी कार्यवाही की है। ब्रिटिश लोक सभा में एक मानव अधिकार विधेयक रखा गया था और उस में कहा गया है कि किसी भी लिमीटेड कम्पनी में एक सा काम करने वालों को जाति, रंग अथवा राष्ट्रीयता के आधार पर भिन्न भिन्न वेतन देना अवैध होगा। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय वास्तविक तथ्यों का पता लगायें और भेदभाव को रोकने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करें। यदि हम भारतीयों को प्रशिक्षित करना तथा उद्योगों का राष्ट्रीकरण करना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है।

जन आयव्यय लेखा समिति की खोजों पर सदन के प्रत्येक भाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। समिति के तथ्यों का पता लगाने के लिए कुछ न्यायधीशों अथवा न्यायाधीश समिति बनाने की सिफ़ारिश की है। यह तुरन्त ही होना चाहिए जिस से कि धन बरबाद होना रुके।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हम में से सभी लोगों को इस बजट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। इस का हमारे आगे आने वाली सन्तानों पर और हमारी आगे आने वाली आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस वास्ते उस को छोटे नुक्ते निगाह से देखना ठीक सिद्ध होगा। जो कुछ अभी पूर्ववक्ता महोदय ने कहा है उस की तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित करना वाजिब समझता हूं क्योंकि मैं भी उस कमेटी का सदस्य रहा हूं। उन्होंने जो बातें कही हैं वह तो उसी की रिपोर्ट के आधार पर कही हैं। मैं अपने साथियों से दरखास्त करना चाहता हूं जो किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों, कि जिन बातों पर वह किसी कमेटी में बैठ कर निष्पक्ष भाव से विचार करते हैं उन से राजनैतिक फायदा न उठायें। इस का नतीजा यह होगा कि जो बातें कही जाती हैं और जो खोज की जाती है उस में रुकावट पैदा होगी। तो मैं अपने सभी साथियों से नम्रता पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि वे उन बातों का सदुपयोग करें जिस से कि हमारी गवर्नमेंट उस से फायदा उठावे, हमारे साथी उस से फायदा उठावें, और निर्भीकता के साथ बिना किसी रुकावट के वह काम चलता रहे। इस तरह से कुल लाभ हो सकता है। मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट इस बारे में काफी सतर्क है और हम को चाहे वह पबलिक एकाउंटस कमेटी में हो चाहे और किसी जगह हो अपने मंत्रियों से हमेशा सहयोग मिला है और उन्हों ने हमारी बातों को समझने की कोशिश की है और अपने शासन को सुधारने की कोशिश की है। इस वास्ते मैं बड़ी नम्रता के साथ अपने अर्थ मंत्री से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हमारा मुल्क बहुत गरीब है। हमारे भाई दो दो एक एक रुपया देकर गवर्नमेंट का खजाना भरते हैं। वह काफी त्याग भी करते हैं। उसी के मुताबिक हमारा राज्य होना चाहिए। हमारा गरीब मुल्क है। हमारे जो शासक हैं वह भी गरीबी का बाना पहने हुए हैं। यह कोई मैं नयी बात नहीं कह रहा हूं। गांधी जी ने हम लोगों को यही सिखाया है। कभी कभी सवाल उठता है कि क्या गवर्नमेंट के नौकरों में

[श्री टी० एन० सिंह]

कोई कमी की जाय । लोग कहते हैं कि हमारे नौकरों पर बड़ा ज्यादा खर्च होता है। इसे कम करना चाहिए । मेरी समझ में इस पहलू को गलत तरीके से सोचा गया है। हिन्दुस्तान में कुछ हद तक बेकारी का प्रश्न है। अगर इन आदमियों को कम किया तो बेकारी और बढ़ेगी । लेकिन असली प्रश्न हमारे हिन्दुस्तान में बेकारी का नहीं है । सवाल है अर्ध बेकारी का जिसे अंग्रेजी में अंडर एम्लायमेंट कहते हैं । हम को अगर किसी चीज का उपाय निकालना है तो इस चीज का उपाय निकालना है। आदमी को नौकरी कम मिलती है ज्यादा मिले इस से कोई मसला हल होने वाला नहीं है । मैं समझता हूं कि पूरे तौर पर तो नहीं लेकिन कुछ अंशों में हमारी प्लानिंग कमीशन ने इस बात की ओर ध्यान दिया है। यह हो सकता है कि उन के जो उपाय हैं उन से हम पूरी तरह सहमत न हों। हमारा कहीं मतभेद भी हो सकता है। हर एक आदमी चाहे वह भाई भाई ही क्यों न हों, हर एक मसले को एक तरह नहीं सोच सकता। सब की एक राय नहीं हो सकती। चाहे वह इस तरफ के लोग हों और चाहे उस तरह के हों, यह हो सकता है कि उन को उस के उपायों से थोड़ा बहुत मतभेद हो। लेकिन उस का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि हम अपने घर में ही आग लगा दें। मैं ने देखा है कि चूंकि प्लानिंग कमीशन के किसी अंश से हम सहमत नहीं हैं तो यह भी आलोचना की जाती है कि चूंकि हम प्लानिंग कमीशन से सहमत नहीं हैं इसलिये कुछ होना ही नहीं चाहिए। हमारा बस चले तो गवर्नमेंट की जितनी डिमांड्स और सप्लाईज हैं उन को बन्द कर दे। यह प्रवृत्ति गलत है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं जैसा कि मैं ने पहले भी कहा है कि यह अभागा मुल्क गरीब तो है ही लेकिन सदियों के बाद इस में स्वराज्य आया है। क्या हमारा और आपका यह फर्ज है कि अगर जरा सा भी मतभेद हो तो आपस में लड़कर अपने भविष्य को खत्म कर डालें। मैं बहुत दिनों से ऐसी बातें सुन और देख रहा हूं इन से मेरे दिल को तकलीफ होती है। मैं खुद बहुत सी बातों में सहमत नहीं हूं। लेकिन यह जो योजना है यह हमारे भाईयों की ही बनायी हुई है, हमारे लोगों की बनाई हुई है इस को हमें कन्धे से कन्धा मिला कर पूरा करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारी योजना में नीचे के लोगों का सहयोग नहीं है क्यों सहयोग नहीं है ? इस वास्ते नहीं है कि हम अपने भाईयों का छिन्द्रान्वेषण करते हैं । लोग कहते हैं कि हम इस में सफलता नहीं पा सकते, इस के साथ किसी का कोआपरेशन नहीं है, किसी का एंथ्यूजियाज्म नहीं है । लेकिन किसी ने यह सोचा कि क्यों नहीं है । मैं विपक्षी लोगों को छोड़ देता हूं। हमारे अपने कांग्रेस पार्टी के लोग ही आलोचना करते हैं। लेकिन जो कर्तव्यपरायण लोग होते हैं वह काम करने पर लग जाते हैं। आप अगर आलोचना कम करें और काम करें तो काम ज्यादा हो। कोई यह नहीं सोचता कि अगर हम सौ मील आगे नहीं बढ़ सकते हैं पर पचास मील आगे बढ़ सकते हैं तो इसी में सहयोग दे कर इस को पूरा करें।

बाबू राम नारायण सिंह : सहयोग के माने क्या हैं ?

श्री टी० एन० सिंह : यह तो आप स्वयं अपने दिल से पूछ सकते हैं। उस के बारे में मुझे कोई ज्यादा कहना नहीं है। यह सोचना गलत है कि हम को गवर्नमेंट ने बुला कर नहीं कहा कि काम करो या हम को ऊपर से किसी ने नहीं बुलाकर कहा कि

काम करो। आप को आप का वह भाई जो कि गांव में दरिद्रता में फंसा हुआ है वह रोज बुला कर कह रहा है कि आप उस के लिए काम करें यह हमारा कर्त्तव्य है। किसी दूसरे के दोष को निकाल कर हम को उस काम को पीछे नहीं हटाना चाहिए। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे वह पबलिक एकाउट्स कमेटी में हो या दूसरी जगह हो मैं तो निडर हो कर आलोचना करता हूं और जो बात गलत होती है उस को हमेशा ठीक करने की और सुधारने की कोशिश करता हूं। लेकिन इस का यह मतलब नहीं होना चाहिये कि हम उन की बुराई करके अपने देश को नीचे ले आवें। यह मैं बराबर देख रहा हूं। इस को देखकर मुझे तकलीफ होती है। मैं समझता हूं कि इस से मेरे सभी भाइयों को तकलीफ होती होगी। मैं देखता हूं कि हम छोटी छोटी बातों पर वाक आउट कर जाते हैं। यह बातें हमारे इस भवन की, इस सावरिन बाडी की शान को नहीं बढ़ाती। यह कोई सुख की बात नहीं है। इसे हमें दूर करना चाहिए।

अब मैं कुछ बातें बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

जैसा मैं ने शुरू में भूमिका में कहा, हमारा मुल्क गरीब है, हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं। हमारे पास न उतने भारी साइंटिस्टस हैं न उतने बड़े बड़े विद्वान हैं लेकिन जो भाई हैं उन्हीं से हम को काम लेना है और उसी दायरे के अन्दर काम करना है। मैं चूंकि बड़े बड़े जो आप के प्रोजैक्ट हैं उन की कुछ जानकारी रखता हूं इस वास्ते कहना चाहता हूं कि क्यों न हम छोटे छोटे कार्यों पर अपने रिसोर्सेज को, अपने आदमियों को ज्यादा लगायें। आपने डैफिसिट बजट बनाने की बात कही है। मैं उस का स्वागत करता हूं। हमारा देश कुछ ऐसा है, हम कुछ ऐसे गरीब खानदान में पैदा हुए हैं, हमारा तो भाग्य ही कुछ ऐसा रहा है कि डैफिसिट बजट पुश्तों पुश्त करते आये हैं। तो यह हमारा मुल्क के लिये कोई अभंगत बात नहीं है। डैफिसिट बजट हमारे यहां होना लाजमी है और इस के बिना काम नहीं चलने वाला है। लेकिन उस के साथ हमारा यह फ़र्ज होना चाहिए कि जो भी पैसा खर्च हो वह ठीक तरह से खर्च हो और उसका पूरा दाम, उस का पूरा रिटर्न हम को जल्दी से जल्दी वापस मिले। बड़े प्राजैक्ट्स में कठिनाई यही है कि आठ वर्ष, पांच वर्ष या दस वर्ष बाद उसका फायदा हम को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डैफिसिट बजट के मुताबिक आप की आर्थिक स्थिति पर कोई बड़ा असर न पड़े तो ऐसे काम आप हाथ में लीजिये कि उन का रिटर्न, उस का बदला आप को दूसरे ही दिन मिले, यानी एक वर्ष या डेढ़ वर्ष बाद या ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष में मिल जाय। इस तरह डैफिसिट बजट का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यह एक ख्वाहमख्वाह का ख्याल है कि डैफिसिट बजट होने से हमारे यहां कोई असर हो रहा है। अगर जो रुपया लगया है, चाहे कर्ज़ ले कर के भी, उस के मुताबिक चीजें पैदा होती हैं, वस्तुओं का उत्पादन होता है तो हम को पूरा यक़ीन है कि न कोई इनफुलेशन हो सकता है, न कुछ और चीज़ हो सकती है।

एक दूसरी बात जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि इस वक्त क़ीमतें जो हैं, उन में एक नीचे की तरफ जाने की प्रवृत्ति है, यह सारी दुनिया में है। जो रुपया इस वक्त डैफिसिट बजट से आवेगा उस की वजह से नीचे जाने वाली जो प्रवृत्ति है, उस में रुकावट होगी जैसा कि दूसरी तरफ से कहा गया है तो वह डैफिसिट बजट आप चाहे करते या न करते, लेकिन प्राइसेज को नीचे जाने से गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा, वरना जो हमारे रोजगार हैं, हमारे व्यवसाय हैं, इन सब पर धक्का पड़ेगा। तो यह डैफिसिट बजट को आप को करना ही पड़ता जिस से कि आप का

[श्री टी० एन० सिंह]

प्राइस स्ट्रक्चर है, जो प्राइस की शक्लें अपने मुल्क में हैं, वे बनी रहें, उन में कोई विशेष उथल पुथल न हो। तो एक तो इस से आप को यह फायदा होता है और साथ साथ आपके व्यवसाय वगैरह बने रहते हैं। साथ ही साथ आप का जो प्लान है, जो योजना है; उस को भी पूरा करने का मौका आप को मिलता है। इस वास्ते मेरी समझ में यह डैफिसिट बजट वांछनीय ही नहीं है बल्कि यह जरूरी है, चाहे हम चाहें या न चाहें इस को हमें करना ही पड़ता।

लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं। जिसे पबलिक स्पेंडिंग कहते हैं, पबलिक ऐक्सपेंडिचर के नाम से कहा जाता है, उस के लिये एक साधारण नियम है कि पबलिक ऐक्सपैंडिचर गिरते हुए प्राइसे के मौक़े पर ज्यादा किया जाता है। जैसा कि आप सब लोगों को तजुर्बा होगा सन् १९३१ में जब कि प्राइसैज में गिरावट आई थी तो सन् १९३१ में, सन् १९३२ में और सन् १९३३ में यूरोप के कई देशों ने बड़े लार्ज स्केल पर ऐक्सपेंडिचर किया। प्राईसैज गिरने से बेकारी बढ़ती है और पबलिक ऐक्सपेंडिचर ज्यादा 'करने से लोगों को रोजगार मिलता है, बेकारी रुकती है और साथ ही साथ जो काम होता है वह सस्ते दामों में होता है, क्योंकि प्राईसेज गिरे होते हैं। यह एक साधारण नियम है, सब स्टेट्स इस को करती हैं। तो आप को यह ख्याल रखना होगा कि आप इस वक्त जो पबलिक ऐक्स पेंडिचर कर रहे हैं वह उस वक्त कर रहे हैं जब कि प्राईसेज उतनी नीचे नहीं हैं जितनी कि अन्त में हो सकती है। तो इस की पूरी इकानामिक्स को, इस का जो पूरा असर पड़ता है उस को सोचना होगा। मैं ने ऐसे ही बात बात, में एक सलाह दी थी। एक मित्र ने रीवल्युएशन की बात कही, तो इस को हमें सोचना चाहिए और मेरी समझ में रीवेल्युएशन की जगह पर अगर हम दो करैंसीज की बात सोचें, जैसे कि जर्मनी में रेंटिन मार्क और राइक मार्क की बात थी। तो मेरा सुझाव है कि इस तरह शायद आप इस मासले में आगे बढ़ सकें। मैं इस बात को मानता हूं कि इस से जो पूरे इम्प्लीकेशन्स है, क्या इस का विश्वव्यापी असर होगा, क्या इस का देश व्यापी असर होगा, इस का पूरा अध्ययन मैं ने नहीं किया है। लेकिन मैं ने थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश की है और ज्यों ज्यों मैं सोचता हूं मेरा दिमाग कुछ ऐसा कहता है कि यह चीज सोचने लायक है और शायद इस से हम अपनी कुछ समस्याएं हल कर सकें। प्लानिंग की बात डैफिसिट बजट के पूरे इम्प्लिकेशन की बात, और बैलेंस आफ़ पेमेंट की बात सोचने की है और इस सब को वर्क आउट करने की बात है, यह सब सोचने की और समझने की बात है। मेरा ख्याल है कि हम को बहुत ही समझदार, बहुत अनुभवी और विचारशील फायनेंस मिनिस्टर मिले हैं और मुझे उन की नीति में और जिस तरह से वह चल रहे हैं उस में पूरा विश्वास है हमारा यह देश चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, लेकिन इस में इतनी जनशक्ति है कि ६० करोड़ का जो ऐवरेज आपका डैफिसिट फायनेंस का समझा जाता है, एक एक साल में, वह इतना कम है कि हम इस का बोझ बहुत अच्छी तरह से वहन कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि मैं ने कुछ समय अधिक ले लिया है। लेकिन अन्त में मैं एक इतनी बात और कहूंगा जो मैं पहले भी कहता आया हूं कि छोटे प्राजैक्ट्स पर इरिगेशन के, फूड के, इन सब पर जो कि हमारे हजारों, लाखों किसान भाइयों को तुरन्त फ़ायदा देने वाले हैं, उन पर ज्यादा जोर देना चाहिए और डैफिसिट फायनेंस में, डैफिसिट बजट के

सिलसिले में यह और भी आवश्यकता है, जरूरी है और वांछनीय है। जैसा मैं ने पहले अर्ज किया, बड़े बड़े प्राजैक्ट्स में बहुत से खतरे हैं। शायद हमारे पास बहुत सा मेन मैटीरियल और रिर्सोसेज़ की कमी भी है और इन में रुपया भी बहुत दिनों के लिये फंस जाता है। इसलिये इन में जरा सम्भल कर धीरे धीरे चलना चाहिए बहुत उतावलेपन के साथ नहीं चलना चाहिए।

श्री नटेसन (तिरुवल्लूर) : माननीय वित्त मंत्री सन्तुलित आय व्ययक प्रस्तुत करने तथा विकास योजनाओं के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने में सफल हुए हैं। साधारणतः जनता ने आयव्ययक को अच्छा माना है परन्तु कुछ वाम पक्षी सदस्यों ने घाटे के आयव्ययक की आलोचना की है। नागरिक तथा प्रतिरक्षा के व्ययों में वृद्धि हो रही है, यह ही एक चिन्ताजनक बात है। मैं समझता हूं कि इन में बचत हो सकती है।

राजस्व में से किये गये व्यय १९५०-५१ में ३५१ करोड़ रुपये और १९५१-५२ में ३८७ करोड़ रुपये के थे। चालू वर्ष के लिए इस का अनुमान ४०१ करोड़ रुपये का लगाया गया था और फिर यही बढ़कर ४२२ करोड़ हो गया जब कि आगामी वर्ष के लिए ४३९ करोड़ रुपये का अनुमान है। इसी काल में राजस्व में २९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मैं व्यय में इतनी अधिक वृद्धि होने का कारण जानना चाहता हूं।

योजना आयोग के प्रतिवेदन में भी मुझे यही बात दिखाई पड़ी है। मूल रूप रेखा में क, ख तथा ग राज्यों द्वारा किया जाने वाला व्यय ७८८ करोड़ रुपया बताया गया है जब कि अन्तिम योजना में यह व्यय ८४८ करोड़ बताया गया है।

नदी घाटी योजनाओं के अनुमान में ५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि यह अन्तर योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में समय के अन्तर के कारण होता है क्योंकि इस प्रकार वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर आ जाता है। इसलिए निश्चय शीघ्रताशीघ्र होने चाहियें। बेकार के व्ययों को रोकने तथा ठीक अनुमान लगाने से ३० से ४० करोड़ रुपये तक की बचत होगी और यह धन बचाने का बड़ा आसान ढंग है।

युद्ध को समाप्त हुए ६ वर्ष हो गये परन्तु अभी तक उत्सर्जन विभाग चल रहा है। इस विभाग का काम शत्रुता समाप्ति के पश्चात बचे माल को निकालना था। परन्तु यह तो चल ही रहा है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अब यह क्या कर रहा है ?

मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि साधारण माल की इतनी बड़ी मात्रा का समस्त भारत में कैसे विज्ञापन दिया जाता है। उन की कई शाखा हैं। मुझे यह भी पता लगा है कि प्रतिरक्षा सम्बधी माल का अतिरेक उत्सर्जन-विभाग द्वारा बेचा जाता है। मैं इसे रोकना चाहता हूं और यदि यह ठीक है तो वित्त मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं।

भाग (ग) के ८ राज्य हैं जिन्हें अपने आयव्ययक सन्तुलित रखने के लिए ४।। करोड़ रुपये दिये जाते हैं। इस के अतिरिक्त ४ करोड़ रुपए पूंजीगत व्ययों के लिए दिये जाते हैं। विन्ध्य प्रदेश के अतिरिक्त भाग (ग) के सारे राज्य एक एक ज़िले के समान हैं परन्तु इन में अपनी अपनी विधान सभा आदि के होने की रीति चल रही है। मुझे इन राज्यों का बड़े राज्यों के साथ न मिलने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। इस विषय में कोई निश्चय अवश्य होना चाहिए।

व्याख्यात्मक ज्ञापन से मुझे पता चला है कि भारतीय चिकित्सा संस्था सफदरजंग

[श्री नटेसन]

चिकित्सालय के पास बनेगी। राज्य सभा में माननीय स्वास्थ मन्त्री ने बताया है कि इस पर १।। करोड़ रुपया व्यय होगा। यदि इस पर निश्चय नहीं हुआ है तो इस की जांच करने की आवश्यकता है।

श्री त्यागी: अधिक भूमि की आवश्यकता के कारण।

श्री नटेसन : यह नहीं हो सकता क्योंकि आपने इस पर पहिले ही विचार किया होगा। अब तो मैं सरकार को इस से सूचित करना चाहता था।

वायु यातायात के राष्ट्रीकरण के सम्बन्ध में मैं पाता हूं कि एक विधेयक रखने का निश्चय हो गया है। परन्तु सरकार ने एयर इण्डिया को दो नये वायुयानों के लिए ऋण दिया है। यदि आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि क्षतिपूर्ति की कोई आवश्यकता है।

आज मुझे आन्ध्र राज्य की स्थापना के विवादपूर्ण विषय पर आना है। प्रेस की सूचना नुसार यह समझा जाता है कि श्री न्यायाधीश वांचू ने आन्ध्र राज्य को २।। करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में देने का सुझाव दिया है। हम दक्षिणी भारतवासी भाषा के आधार पर देश के पुनः विभाजन के पक्ष में नहीं है परन्तु क्योंकि इस बारे में निश्चय हो चुका है इसलिए आन्ध्र नेता प्रसन्नतापूर्वक भिन्नराज्य ले लें। हम देखना चाहते हैं एक संयुक्त देश, एक संयुक्त भाषा. . . . (अन्तर्वाधा)। कोई कारण नहीं है कि केन्द्रीय सरकार अथवा मद्रास सरकार व्यय करे। प्रस्तावित आन्ध्र राज्य की अस्थाई राजधानी मद्रास अथवा हैदराबाद में नहीं हो सकती। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आन्ध्र नेता कौन हैं। जहां तक मैंजानता हूं श्रीप्रकाशन, ाशन, माननीय मित्र श्री सन्जीव रेड्डी आदि हैं। .....

उपाध्यक्ष महोदय : इस सारी व्याख्या की क्या कोई आवश्यकता है? इस सम्बन्ध में वार्ता यहीं तक सीमित रहनी चाहिए कि पिछले आय व्ययक अधिवेशन के पश्चात निश्चय ठीक है अथवा नहीं।

श्री नटेसन : वित्त मंत्री का निश्चय है कि चालू वर्ष में ११० करोड़ रुपये तक घाटे का आय व्ययक बन सकता है। वित्त मंत्री का आशावाद भयानक है अथवा नहीं भविष्य में सिद्ध होगा।

यह खेद का विषय है कि योजना बनाने वालों ने दक्षिणी भारत में निरन्तर ६ वर्षों से वर्षा न होने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मद्रास सरकार ने पानी की कमी के कारण विद्युत में कमी करने की घोषणा की है। इस के कारण बहुत से वस्त्र बुनने के केन्द्रों पर प्रभाव पड़ा है। बहुत से बुनकर बेकार हो जायेंगे। बहुत से कृषकों को अपनी आवश्यकता का माल नहीं मिलेगा। इसलिए केन्द्र को अपनी सहायता करनी चाहिए।

संसद ने एक विद्युत सम्भरण अधिनियम स्वीकार किया है जिस के फलस्वरूप राज्यों से विद्युत परिषद बनाने की आशा की जाती है। यदि परिषदें होतीं तो यह परिस्थिति उत्पन्न न होती। यदि अब भी इसे योजना में सम्मिलित कर लिया जाये तो यह अत्यधिक देरी न होगी।

हम देखते हैं कि सूखा के कारण सारे दक्षिणी भारत में दुर्भिक्ष फैला हुआ है। मैं चाहता हूं केन्द्रीय सरकार नियम आदि की ओर न देख कर राज्य को कुछ धन की सहायता दे।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : श्री नटेसन ने अपनी वार्ता में मद्रास नगर, आन्ध्र-नेतृत्व तथा सम्बन्धित व असंबंधित बहुत से प्रश्नों का निर्देश किया है परन्तु मैं

इस विषय पर उन से वाद विवाद नहीं करना चाहता क्योंकि हमें पहिले इस का अवसर मिल चुका है और मुझे विश्वास है कि एक से अधिक अवसर इस प्रश्न पर वार्ता करने के और मिलेंगे ।

अब मैं वास्तविक आयव्ययक पर वार्ता सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों पर कुछ कहना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस ढंग से चिन्तित हूं जिस में आयव्ययक पर, जिसमें वित्त विधेयक सम्मिलित हैं, दूसरे सदन में वार्ता हो रही है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह धन विधेयक तथा आयव्ययक पर वार्ता की प्राथमिकता के सम्बन्ध में दूसरे सदन की अपेक्षा लोक सभा के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों में कोई कमी होती है तो वह ठीक कर दी जायेगी ।

श्री त्यागी : क्या मेरे माननीय मित्र को दूसरे सदन में वार्ता आरम्भ होने पर कोई आपत्ति है ?

डा० लंका सुन्दरम् : निश्चित रूप से । मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र, राजस्व तथा व्यय मंत्री, ने इस विषय को उठाया है । मैं विशेषाधिकारों के प्रश्न में नहीं पड़ना चाहता परन्तु इस की जांच अवश्य होनी चाहिए ।

इस में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि आयव्ययक एक दक्ष आय व्यय लेखक का बना हुआ है और इस में देश में फैले आर्थिक असन्तोष आदि का ध्यान नहीं रखा गया है । पंच वर्षीय योजना आयव्ययक में कर तथा व्यय कार्यवाही की पूर्व-प्रवृत्ति करने वाला कारक नहीं है । मुझे यह जानकर चिन्ता हुई कि वित्त मंत्री ने राष्ट्र को प्रसन्नवदन-स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र देने का प्रयत्न किया है ।

आयोजन करने के सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री के ६ बड़े दावों का परीक्षण करना चाहता हूं जो उन्हों ने देश के आर्थिक तथा वैत्तिक मामलों के बारे में किये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इन में से प्रत्येक दावे पर इस सदन में वार्ता होनी चाहिए । वित्त मंत्री ने संघर्ष सम्बन्धी व्यवसायकी समस्या का मुख्य कर नगरों में, निर्देश किया था । यह देश में फैले आर्थिक संकट की जड़ है ।

मुझे आशा थी कि वित्त मंत्री देश की आर्थिक तथा वैत्तिक समस्याओं का कोई मनोवैज्ञानिक हल निकालेंगे । वित्त मंत्री की पहुंच घाटे का आयव्ययक बनाना है । कुछ वर्षों से समस्त देश में घाटे के आयव्ययक बन रहे हैं । वित्त मंत्री ने बताया था कि ३१ दिसम्बर १९५४ को देश का चलऋण ४२९.०३ करोड़ होगा । मैं विचारता हूं कि योजना काल के ३ अवशेष वर्षों के पश्चात समस्त चलऋण कितना होगा । मुझे सन्देह है कि योजना-काल के पूर्ण होने पर यह चल-ऋण एक हज़ार करोड़ रुपये के लगभग हो जायेगा । ब्रिटिश राज्य-काल की अपेक्षा यह कोई चिन्ता की बात नहीं है तथापि यदि ऋण इतना हो गया तो समय आयेगा जब कि सरकार को मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों तथा उस के दबाव पर नियन्त्रण करना होगा ।

वित्त आयोग का प्रतिवेदन एक बड़ा ही सूचनात्मक लेख है । इस में कहा गया है कि ९१ करोड़ की राजस्व सुरक्षित निधि में से, जो मार्च १९५० में थी, चालू वित्त-वर्ष के अन्त में केवल ३८.२७ किरोड़ उपलब्ध होंगे । घाटे का आयव्ययक बनाने के फल-स्वरूप नकद-सन्तुलन समाप्त हो गये हैं । इस कारण केन्द्र तथा राज्य की घाटे का आय व्ययक पर संयुक्त रूप में विचार करना होगा । यदि भारत सरकार भी आयव्यय सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में राज्यों की आयव्यय सम्बन्धी स्थिति नहीं बताई जाती तो इस का

[डा० लंका सुन्दरम]

महत्व कम हो जाता है और में इस देश में वास्तविक वैत्तिक स्थिति का पता नहीं चलेगा।

आयव्ययक के लिए धन की व्यवस्था की दूसरी टैकनीकल पहुंच विदेशों से मिलने वाले ऋण तथा सहायता की है। हमें पांच प्रकार के ऋण तथा सहायता उपलब्ध हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे वित्त मंत्री के भाषण में जो बात बुरी लगी है वह यह है कि हम विदेशी सहायता के सहारे जी रहे हैं। इस के बजाय मैं तो यदि देश में मिताहार हो तो उसे अधिक पसन्द करूंगा। एक भारतीय के नाते इस से मेरे गौरव को धक्का लगता है कि हम प्रत्येक देश से मांग रहे हैं और उन की ऐसी शर्तों पर भी उस के चन्दे को स्वीकार करते हैं जो कभी अपमानजनक होती हैं। मैं और अधिक समय नहीं लूंगा परन्तु यह अवश्य कहना चाहता हूं कि आयव्ययक में 'चन्दा' शब्द मेरे व्यक्तिगत गौरव पर चोट करता है।

इस वर्ष राज्यों को २१ करोड़ अधिक रुपये की व्यवस्था की गई है। म केन्द्र तथा राज्यों के बीच राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के ढांचे पर, आप की अनुमति प्राप्त होने पर, कुछ विस्तार में कहना चाहता हूं। मुझे कहते हुए लज्जा आती है कि राज्यों की अर्थ व्यवस्था आव्यवस्थित, लूटने वाली तथा केन्द्र विरोधी है। दो दिन पहले हमने राज्यों के पक्ष में अन्तः-शुल्क के विभाजन के सम्बन्ध में एक विधेयक स्वीकार किया था और परिणाम यह हुआ कि देहली राज्य ने वनस्पति पर कर लगा दया। मैं जानता हूं क इस का उत्तर होगा कि कर-जांच-समिति की घोषणा कर दी गई है परन्तु यह बहुत समय लेगी। और तब तक बहुत कुछ हो जायेगा।

मैं ध्यानपूर्वक तथा कुछ चिन्ता के साथ यह देखता रहा हूं कि सदन में, और मुख्य कर वित्त मंत्रालय, किस प्रकार प्रादेशिक प्रभाव का विकास हो रहा है। जो कोई प्रभाव डालने की स्थिति में है वही लाभ उठा रहा है। इस देश में कर लगाने तथा अन्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ बुराइयां हैं। राज्यों के प्रति व्यक्ति पर ७ रुपये से लेकर १९.२ रुपये तक क है। जब तक यह असमान्ता समाप्त नहीं होती तब तक प्रत्येक दिशा में उन्नति करना सम्भव नहीं होगा। मैं सुझाव देता हूं कि यदि आवश्यक हो तो हम संविधान में संशोधन कर के राज्यों से कुछ अधिकारों को वापस ले सकते हैं। अनुदान विभिन्न रूप में उपलब्ध हैं। मैं इस से सहमत हूं कि यथोचित धन उपलब्ध होना चाहिए परन्तु इस का भी कुछ आश्वासन अवश्य होना चाहिए कि केन्द्र से ही दिये गये धनों का सारे देश में सदुपयोग होगा।

दूसरे सदन में बम्बई के भूतपूर्व वित्त मंत्री, डा० गिल्डर ने प्रतिशेध के प्रश्न पर कुछ शिकायत की थी। इस देश में प्रतिशेध की असाधारण स्थिति है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ। मैं कह सकता हूं कि संविधान का पूर्णतः दुरुपयोग हो रहा है। प्रतिशेध की कोई एक-रूपता नहीं है। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि प्रतिशेध की इस असाधारण स्थिति के कारण ८० किरोड़ रुपया की हानि हो रही है। उन स्थितियों के आधार पर जो मैं ने बताई हैं, देश में एक सी नीति होनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हो सकता क्योंक कुछ राज्यों के कार्यालयों में कुछ व्यक्तियों की अपनी राय का अनुतोषण होता है। मैं राजस्व तथा व्यय मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि वह संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के १३ संशोधन जैसी कोई कार्यवाही करें।

श्रीमान्, मैं व्यक्तिगत आय-कर में वृद्धि, बोरे बनाने के टाट के आयात-कर में कमी आदि

का स्वागत करता हूं परन्तु मैं डाक-खर्च में १९० लाख रुपये की वृद्धि को न समझ सका।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ वित्त विधेयक के लिए भी रखें।

डा० लंकासुन्दरम : श्रीमान्, मुझे आप का समादेश स्वीकार है परन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि दो वर्ष पूर्व वित्त मंत्री ने बचत-आन्दोलन करने का जो आश्वासन दिया था उस का उन के भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं आया। मेरे अपने माननीय मित्र श्री त्यागी इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ कार्यवाही करेंगे। क्योंकि कर और व्यय अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं बाबू राम नारायण सिंह को बुलाता हूं। इस के पूर्व कि वह बोलना आरम्भ करें मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने दृष्टिकोण को दस मिनट में प्रकट करने का प्रयत्न करें क्योंकि मैं अभी वाम पक्ष के तीन और सदस्यों को बुलाऊंगा और उन के अतिरिक्त कुछ और सदस्यों को भी बोलना है। अतः मेरी यह प्रार्थना है वे दस मिनट से अधिक न लें ताकि अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिल सके।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारी बाग पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिवेशन में यह पहला दिन है कि मुझे बोलने का अवसर मिला है। जो हो, मैं इस के लिये आप को धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार के अर्थ मंत्री श्री देशमुखजी ने १९५३-५४ की आमद खर्च का हिसाब, यानी बजट इस संसद् के सामने पेश किया है, उपस्थित किया है। सरकारी दल के लोग उठते हैं और उन का कहना है कि यह जो बजट है वह तो बिल्कुल सर्वांग सुन्दर है, ऐसा कहते हुए वे उन के लिये बधाई की वृष्टि करते हैं। उस के साथ साथ कुछ विरोधी लोग भी हैं। उन का कहना होता है कि यह बजट तो बिल्कुल बुरा है और बधाई के बदले वे लोग कुछ निन्दा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, संयोग से मैं किसी दल में नहीं हूं। इसलिये मैं न तो बजट का समर्थन करने जा रहा हूं, क्योंकि समर्थन के योग्य वह है नहीं और निन्दा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं देखता।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

सभापति महोदय, अभी इसी संसद् भवन में दो घटनाएं हो गई हैं, जिन की ओर सब का ध्यान मैं आकर्षित करता हूं। एक तो यह कि साम्यवादी सदस्यों का मकान दखल कर लिया गया है, दल बल के साथ, पुलिस के दल के साथ, और अभी कुछ समय हुआ यहां से वे सदस्य हट गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं किसी खास व्यक्ति को दोष कभी नहीं देता, लेकिन मैं यह कह देता हूं कि यह जो बातें हुई हैं वे अच्छी नहीं हैं।

श्री बी० आर० भगत (पटना व शाहाबाद) : बजट से इस का क्या ताल्लुक है ?

बाबू रामनारायण सिंह : बजट के पहले ही यह घटना हो गयी है और बजट में वह रुपया स्वीकृत होगा जिस रुपये से वह लोग परवरिश पाते हैं।

श्री बी० आर० भगत: यह तो बड़ी दूर की बात है।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक मध्य) : एक औचित्य प्रश्न पर इसी विषय पर इस के गुण अवगुण को लेकर अभी अभी एक विवाद को अनियमित ठहराया गया था। क्या अब इस पर विवाद हो सकता है ?

सभापति महोदय: उपाध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव को अनियमित ठहराया था। इसी कारण माननीय सदस्य के भाषण पर

[सभापति महोदय]

आपत्ति नहीं की जा सकती पर हम माननीय सदस्य से यह पूछेंगे कि यह बात कैसे प्रासंगिक है ?

बाबू रामानारायण सिंह : सभापति महोदय, रैलीवेंसी (relevancy) के बारे में प्रासंगिक है या नहीं, इस के लिये बाल की खाल खींची जायगी तब तो मैं समझता हूं कि बहुत कम ही लोग बोल पावेंगे। लेकिन बातें यहां पर घटती हैं और बजट का सवाल है। बजट के सवाल में जितनी तरह के सरकार के कार्य हैं सब के सम्बन्ध में टीका टिप्पणी की जा सकती है और अभी की जो घटना है उस के लिये मैं प्रसंगवश एक दो बात कहता हूं। उस पर बहस करने की बात नहीं है।

सभापति महोदय : वस्तुतः आयव्यय को लेकर सब कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल नियमानुसार प्रसंगिक बातें ही की जा सकती हैं। इस विवाद के औचित्य की चर्चा वित्त विधेयक के समय की जा सकती है। यदि वह चाहें तो सदस्यों के आचरण के औचित्य या अनौचित्य पर कुछ कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक बात एक न एक प्रकार से प्रासंगिक ठहराई जा सकती है।

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति महोदय, मुझे इस पर बहस नहीं करनी है। लेकिन चूंकि एक ऐसी बात हो गयी जो हम सबों के लिये दुःख की बात है, शर्म की बात है, इस लिये मैं ने इस का प्रसंग ला दिया कि ऐसी घटना हुई कि जिस के लिये हर एक व्यक्ति को कष्ट होता है। क्यों हमारे देश में घटना होती है, यह हम सब को सोचना चाहिये। सभापति महोदय, अभी अभी त्रिभुवन नारायण सिंह जी बड़े प्रेम से अन्तःकरण से कह रहे थे कि यह संसद भवन ऐसी ऐसी घटनाओं से क्यों नापाक किया जाता है, इसे हमें पवित्र करना चाहिये। कितनी सुन्दर बात थी। इस पर कोई आपत्ति का सवाल तो है नहीं। लेकिन मैं आप से कहता हूं, जैसा कि त्रिभुवननारायण जी ने कहा कि यह संसद भवन बिल्कुल ही पवित्र है, ऐसी कोई घटना यहां पर नहीं होनी चाहिये जो इस की पवित्रता में तनिक भी बाधा दे। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि यह संसद भवन जिसे देश के लिये सब से बड़ी पंचायत सभा होना चाहिये, वह पंचायत सभा तो रही नहीं, सभापति महोदय, यह तो कुरुक्षेत्र बना दिया गया है जहां पर देश के भिन्न भिन्न दल के लोग युद्ध करते हैं और महाभारत का युद्ध होता है। मैं आप से कहूंगा कि इस तरह की बातें होती हैं कि हर एक दल के लोग आते हैं और एक दूसरे पर बौछार करते हैं। बजट पर विचार होता है तो इस बहस के साथ इस झगड़े के साथ, इस वायुमंडल में, कई तरह के विचार हो सकते हैं। मैं तो तभी से कहूंगा, सरकारी दल के लोगों से कहूंगा कि सब से पहले जरूरत है देश के हित के लिये और इस संसद् भवन की प्रतिष्ठा के लिये, कि जितनी तरह की दलबन्दी है, उस सब को खत्म कर दिया जाय। सभापति महोदय, यह तो जानी हुई बात है कि हमारे यहां देश बहुत दिनों से दुर्भाग्य से गुलाम था और जितनी बातें हम करते थे, विदेशियों की नकल करते थे और अब भी कर रहे हैं। जैसा मैं ने पहले कह दिया हैं मैं अधिक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं केवल राय मशविरे के तौर पर बात रख दूंगा, देश के लिये, संसद के लिये, संसद के सदस्यों के लिये। सब से बड़ी बात तो यह है कि हर बात में जो विदेशियों की नक़ल की जाती है, इस को तो छोड़ना चाहिये। इस में देश का कल्याण नहीं है। आप के सामने बजट आया है। यह तो सारा अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी अंकों में अंग्रेजी रंग ढंग से सारा कार्य जैसा पहले भी अंग्रेजी राज्य में होता था, जब आप भी थे और मैं भी था, ठीक उसी तरह हुआ है। उस में फर्क क्या है ? जब मैं कहता हूं कि

दलबन्दी खत्म कर दी जाय तो कभी कभी लोग कहते हैं कि दलबन्दी खत्म होगी तो राज्य कैसे चलेगा। तो, खैर, अधिक बातें मैं यहां पर नहीं कह सकता हूं। एक बात इतनी ही यहां पर इस सम्बन्ध में कह कर खत्म करूंगा कि सरकारी दल के सदस्य शायद क़रीब क़रीब ३७२ है। और इतना बड़ा बहुमत उस को प्राप्त है, बाकी के लोग विरोध में हैं, विरोधी दल वाले कभी स्वप्न में भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वह इस सरकार को हटाकर खुद पदासीन हो सकेंगे, इसके प्रबल बहुमत के सामने वह स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकते, सरकार तो जहां है, वहीं रहेगी लेकिन सब दिन तो रहने वाले हैं नहीं। यह एक ऐसा सुन्दर कन्वेन्शन या रीति स्थापित कर सकते है की अगर सरकार के प्रति कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाये तो जितने सरकारी दल के व्यक्ति हैं वे सब के सब सरकार का साथ दें ताकि सरकार बनी रहे, वह तो ठीक है, लेकिन अब एक छोटासा बिल या विधेयक हाउस के सामने आये और उस में अनेक संशोधन पेश हों, तब उन पर भी दलबंदी की भावना से और पार्टीबन्दी के अन्दर राय दी जाय, इस को तो खत्म ही करना चाहिये। आज जो हम लोग यहां चुनकर आये हैं तो हम भारतवर्ष के तीस करोड़ आदमियों का यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम यहां पर जो विषय और बिल पेश हों उन पर स्वतन्त्रतापूर्वक और निष्पक्षतापूर्वक विचार कर सकें और जनता का हित ही अपने सामने सर्वोपरि रक्खें, तभी हमारा निर्णय ठीक होगा। सभापति महोदय, आज कल डेमोक्रेसी की बड़ी चर्चा होती है लेकिन मैं अपने भाईयों को बतलाना चाहता हूं कि आज जिस राह वह चल रहे हैं, वह डेमोक्रेसी की नहीं है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर सारा संसार भी इस को डेमोक्रेसी कहे तो मैं कहूंगा कि संसार गलती करता है और गलत रास्ते पर है। डेमोक्रसी के माने सीधे सादे होते हैं रूल बाई दी मेजोरिटी यानी बहुमत का राज्य, यही डेमोक्रेसी का अर्थ हो सकता है, लेकिन वह बहुमत कैसा होना चाहिए, ऐसा बहुमत नहीं जैसा हम यहां देखते हैं कि सरकारी दल के हैं तो करीब ३७२ सदस्य, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि एक आदमी की राय सी मालूम पड़ती है।

एक माननीय सदस्य : पार्टी एक है।

बाबू रामनारायण सिंह : ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए, इस से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक दलबन्दी रहेगी तब तक देश में न्याय नहीं हो सकता और जब तक न्याय नहीं हो सकता तब तक सुख और शान्ति की आशा लोग कैसे कर सकते हैं।

श्री जजवाड़े (संथाल परगना व हजारीबाग) : एक राय तो तारीफ़ की चीज़ है।

बाबू रामनारायण सिंह : इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते, बहुमत तो ऐसा होना चाहिए जो स्वतन्त्रता से देश हित और जनता का ख्याल रखते हुए और परमात्मा को साक्षी रखकर जो उस की राय हो, वह दे तब वह बहुमत न्याय पर होगा। इसलिए मैं तो सब सदस्यों से यही अपील करूंगा कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझें और सदा यह ध्यान रक्खें कि जनता ने उन को चुनकर भेजा है और वह उसका यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्वतन्त्र रूप से हर एक विषय पर जो यहां पेश हो, विचार करें और उस के बाद जो उन का दिल कहे, अपनी राय दें, क्योंकि आखिर में बहुमत का निर्णय तो मान्य होगा ही और सरकार को भी कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि इतना बड़ा बहुमत उस के पीछे है जो सदा उसकी रक्षा करने में कामयाब हो सकेगा।

श्री धलेकर (ज़िला झांसी दक्षिण) : बजट तो पास कर दिया।

बाबू रामनारायण सिंह : वह तो ठीक है, बजट आप जरूर पास करते हैं, लेकिन विचार करने की कोई कीमत नहीं है, और जब विचार करने में कोई आप को स्वतन्त्रता नहीं है तब पास करने या न करने का क्या मतलब रह जाता है। मैं आप से कहता हूं कि यह जो आपने करीब चार करोड़ की आमदनी और चार करोड़ का खर्च दिखलाया है....

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : चार करोड़ नहीं, चार सौ करोड़ ।

बाबू रामनारायण सिंह : ठीक है, मैं अपनी भूल माने लेता हूं। इसकी माने यह हुए कि हमारे मंत्री महोदय हमारे इस गरीब देश से चार सौ करोड़ रुपया लेंगे और उतना ही खर्च होगा तो यह क्या बात हुई यह जितना सारा रुपया है वह सब सरकार खाये और मोटाये। यह कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। इसलिये मैं संसद व सारे देश को राय दूंगा कि जितनी हमारे देश की आमदनी हो उस में कोई हिस्सा निश्चित रहना चाहिए, जितनी आमदनी हो उस में से कम से कम पचास फी सदी तो लोकहितकारी कार्यों में जाना चाहिए ।

श्री त्यागी : सारा खर्चा लोकहित में होता है ।

बाबू रामानारायण सिंह : एक बार मैं ने प्रश्न किया था आप जरा हिसाब कर के बतलायें कि चार अरब रुपये में से कितना रुपया सरकारी अफसर खाते हैं और कितना रुपया रचनात्मक कार्यों में कुओं, तालाबों और नहरों आदि लोक हित के कार्यों में खर्च होता है.....

सरदार ए० एस० सहगल : सरकारी अफ़सर तो अब आप के हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : सरकारी अफ़सर आप के हैं मेरे नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा लोग कह दिया करते हैं कि सरकार जब अपनी है, तो सरकारी अफ़सर भी अपने हैं, ठीक है, अपने हैं, लेकिन जरा सोचिए तो किस रूप में अपने हैं, उसी प्रकार से हैं जैसे बदन में कोई फोड़ा अथवा जख्म होता हो....

श्री एम० बी० मिश्रा : (मूंगेर उत्तर पश्चिम) : फोड़े का आपरेशन कर दीजिए।

बाबू रामनारायण सिंह : वह तो होगा ही, आज नहीं, तो दो वर्ष बाद होगा। हमारे श्री टी० एन० सिंह ने कहा कि स्वराज्य हो गया और उस के साथ ही सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन मैं उन से सहमत नहीं हो सकता। यह ठीक है कि राज्य परिवर्तन हुआ है, अंग्रेज गये और उन के स्थान पर और लोगों का राज्य हो गया, लेकिन सिर्फ शासक के बदल जाने से स्वराज्य तो स्थापित नहीं हो जाता। स्वराज्य तो वह है जिस में देश के सभी लोग यह समझें कि उस का राज्य है और जो सरकार हो वह यह समझ कर काम करे कि उसे देश और जनता जनार्दन की सेवा करनी है, देश और जनता पर शासन करना नहीं है, और जब तक हमारी सरकार के दिल में इस तरह की सेवा भाव नहीं आता तब तक इसको वेलफेयर स्टेट कैसे कहा जा सकता है। चौकीदार से लेकर ऊपर तक सब अधिकारी वर्ग के भीतर सेवा की भावना का उदय होना जरूरी है, तभी वास्तविक अर्थों में यह जनता का राज्य कहा जा सकेगा अन्यथा नहीं। ऐसे स्वराज्य के क्या मानी जिसमें शासक वर्ग और उन के कर्मचारी लोग जनता के पैसे पर आराम से गुजर करें और उस की गाढ़ी कमाई का पैसा बैठे बैठ खाते हों : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक हमारी सरकार के लोगों के अन्दर से यह मनोभावना दूर नहीं होती, तब तक हम वेलफेयर स्टेट

कानाम नहीं ले सकते हैं और न ही डेमोक्रेसी का नाम ले सकते हैं।

सभापति महोदय, बातें तो बहुत कहनी थीं लेकिन समयाभाव के कारण मैं यहां पर इस समय उन का जिक्र नहीं कर सकता। सन् १९३१ में कराची कांग्रेस में हम ने यह प्रस्ताव पास किया था कि किसी सरकारी अफ़सर की तनख्वाह पांच सौ रुपये से ज्यादा न होगी, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सरकारी खर्च निरन्तर बढ़ता जा रहा है, और उस के कम करने का कोई वास्तविक यत्न नहीं किया जा रहा प्रतीत होता है, इसलिए मैं अधिक और कुछ न कहकर एक बार फिर से सरकार से और उन के कर्मचारियों से और अफसरों से अपील करूंगा कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि किस प्रकार सरकारी खर्चे में कमी हो जिस से जनता को राहत मिले और वह पैसा जनहितकारी कार्यों में लगाया जा सके।

५ म० प०

जनता भूखों मरे और सरकारी अफ़सर भोज करें और साथ में यह कहा जाए कि यह वैलफेयर स्टेट है। यह दोनों चीजें मेल नहीं खातीं।

सभापति महोदय इस के साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा। आप देखिये कि लगभग दो अरब रुपया आप की पल्टन का खर्च है। हमारी कांग्रेस थी, हर साल कांग्रेस में पास होता था कि आर्म्स एक्ट उठा दो, लेकिन यह हमारा राज्य हो गया है तो भी आर्म्स एक्ट ज्यों का त्यों है और पल्टन का खर्च बढ़ता जाता है। नहीं यह नहीं होना चाहिये। आर्म्स एक्ट उठा दीजिये। सारे देश को हथियार दे दीजिये सारे देश को सैनिक शिक्षा दे दीजिये, यानी, सब को सिपाही बना दिया जाय, थोड़ी सी पल्टन रखिये, तो फिर जब कभी लड़ाई की बात आये तो सारे देश के लोग बुला लिये जायेंगे और काम चल जायेगा। अगर इस तरह से काम हो तो खर्च भी कम हो जायेगा। आज कल करीब पचास प्रति सैकड़ा पल्टन पर खर्च हो जाता है। लेकिन उस का बदला हम को ठीक नहीं मिलता है। इसलिये मैं कहता हूं कि सारी पल्टन पर खर्च करने के बदले सारे देश को सैनिक शिक्षा दे कर उन को सैनिक बना दीजिये तो हमारे देश की रक्षा हो जायेगी।

इस के अलावा एक बात सभापति महोदय, मैं और कहूंगा। आज कल इस की भरमार है कि देश की उन्नति के लिये बाहर से मैशीनरी आ रही है। और बाहर से कर्ज़ भी लिया जा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप को बाहर से कर्ज़ नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो कर्ज़ लेता है उस का सर नीचा रहता है। अगर आप अमरीका से कर्ज लेंगे और अमरीका की बराबरी करना चाहेंगे तो यह नहीं हो सकता। इस लिये मैं कहता हूं कि बाहर से कर्ज भी न लेना चाहिए और जो मैशीनरी वगैरह आ रही है वह भी बन्द करनी चाहिये। लेकिन आप दो चार कल कारखाने ऐसे जरूर बनायें जिन में हर तरह की मैशीनरी पैदा की जा सके। बाहर से सामान मंगा कर हमें यह करना चाहिये। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम सारी बातों पर बाहर के देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे।

श्री त्यागी : अगर हम बाहर से सामान नहीं मंगायेंगे तो यह मैशीनरी कैसे बन सकती है।

बाबू रामनारायण सिंह : वह तो मैं कह ही रहा हूं। मगर यह नहीं होना चाहिए कि ट्रैक्टर भी आयें, मोटर भी आयें।

सभापति महोदय : १५ मिनट से अधिक हो चुके। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह अब भाषण समाप्त करें।

बाबू रामनारायण सिंह : दो मिनट और भी मिल जायें ।

सभापति महोदय : क्योंकि वह सदन के एक वृद्ध सदस्य हैं इसलिए मैं ने उन्हें रोका नहीं । वह १५ मिनट ले चुके हैं । मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह अब अपना भाषण समाप्त करें ।

बाबू रामनारायण सिंह : अच्छा जी । सभा की राय है और सभापति जी की राय यह है कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाता हूं । लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि जिस प्रकार से आज खर्च हो रहा है उस को हर तरह से कम करना चाहिये और बाहर से जितनी कम हो सकें चीजें आनी चाहियें ।

काटेज इन्डस्ट्री की बात तो आप को मालूम ही होगी कि कई लाख रुपये की खादी खद्दर भंडारों में भरी पड़ी है और कल ही बात चीत हो रही थी कि पल्टन के लोग और सरकारी लोग खादी नहीं पहिनना चाहते हैं । आखिर यह क्यों ? यह तो आप जानते ही हैं कि हिन्दुस्तान में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, और साल भर खेती का काम चलता नहीं है। मुश्किल से पांच छः महीने चलता है बाकी साल भर उन को काम देने के लिये खादी का ही काम सब से उत्तम हो सकता है। इधर सरकार ध्यान दे रही है इस के लिये मैं उस को धन्यवाद देता हूं ।

मुझे और ज्यादा कहना नहीं है सिवा इस के कि खर्च घटाने की बराबर कोशिश होनी चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि देश का कुछ लाभ भी न हो और लोग अपना मौज करते रहें ।

श्री लोक नाथ (पुरी) : इस आय व्यय के प्रस्तावों को पंच वर्षीय योजना पर आधारित देखते हुए मैं इस का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री को बधाई देता हूं । व्यक्तिगत आय और संयुक्त परिवार सम्बन्धी आय पर कर के विषयों में उन के द्वारा दी गई छूट का भी मैं स्वागत करता हूं । आयात शुल्कों और संघीय उत्पादन शुल्कों का भी मैं स्वागत करता हूं । परन्तु जन साधारण में जागरण लाने वाले प्रस्तावों का भाव मुझे खटक रहा है । पंच वर्षीय योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी बात की जाये कि जन-साधारण, अमीर गरीब सब में, जागरण की एक लहर फैल जाये । मैं देश के प्रति उत्तरदायी हूं पर मुझे इन मांगों का समर्थन करना ही पड़ेगा । वस्तुतः स्वाधीनता के बाद प्रशासन तथा अन्यत्र में मितव्ययता होनी चाहिये थी । देश भर में मितव्ययता की भावना गूंज जानी चाहिये थी । गांधी जी के समय ऊंची धोती ही जन साधारण का प्रतीक थी। तब ही उस ने जन साधारण को आकर्षित किया था । पर अंग्रेजों के चले जाने के बाद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ । यदि हम आय व्ययक की आलोचना करें तो हमें पंच वर्षीय योजना की भी आलोचना करनी होगी । यद्यपि हम उस के सिद्धान्तों को स्वीकार कर चुके हैं पर इस सवस्त्रा, दुर्बल गृहणि में हमें जान डालनी होगी । यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी काल है । हम आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिक रूप से उन्नतशील बनाना चाहते हैं । इस उन्नति के लिए हमें वैदेशिक सहायता प्राप्त करनी है । प्रश्न यह आता है कि हम यह सहायता अमरीका से लें अथवा रूस से । जो ढंग हम अपनाते हैं वह उन का ढंग है। यही एक दुखान्त बात है । गांधी जी के पश्चात हम गतिशील नेतृत्व की खोज में हैं। आज लोगों में जोश नहीं, त्याग की भावना नहीं । अब कोई ऐसा कार्य नहीं जिसके लिए हम आत्मोत्सर्ग कर सकें । आशा है कि प्रशासन लोगों में चेतना भरने का प्रयत्न करेगा ।

प्रशासन में सर्वत्र पूर्व स्थिति चली आ रही है। हम बचत कर सकते थे पर हम ने कोई बचत नहीं की। आज हम सेवाओं से देश भक्त की आशा कर रहे हैं। अब या तो सरकार स्वयं निश्चय करे या सेवायें स्वयं कटौती स्वीकार करें। १४० करोड़ के घाटे की पूर्ति के लिए माननीय वित्त मंत्री छोटी मोटी बचतों और उधार लेने का प्रस्ताव कर रहे हैं। पर पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए सर्वत्र बचत होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी सुरक्षाओं में धन जमा करना चाहिए। पर बहुत से लोगों को इस बचत योजना का ध्यान ही नहीं है। इस के विषय में तो ऐसा प्रचार होना चाहिए कि ग्रामवासी भी यह समझ कर इस में रुपया जमा करने लगें कि वे पंच वर्षीय योजना में सहायता दे रहे हैं। सरकारी सुरक्षाओं में अनिवार्य रूप से धन जमा कराने के लिए एक आन्दोलन भी चलाना चाहिए।

इस आय व्ययक में माननीय मंत्री ने कोई नया कर नहीं लगाया है और कुछ पुराने कर हलके किये हैं। आशा है कि घाटे की पूर्ति शीघ्र ही की जायेगी जिससे लोगों को लाभ हो और सरकार को श्रेय मिले। मैं पक्का प्रजातन्त्र वादी हूं पर कहीं प्रजातन्त्र दिखाई नहीं देता। मुझे इस सदन में ही प्रजातन्त्रीय स्वाधीनता दिखाई नहीं देती। प्रजातन्त्र अपने में लक्ष्य नहीं बल्कि एक साधन मात्र है। पंच वर्षीय योजना की सफलता के लिए लोगों में व्याप्त निराशा दूर करनी होगी। लोगों में शक्ति भरनी पड़ेगी। हम एक दल वाले नहीं हैं। पंच वर्षीय योजना को सफलता या असफलता को नापने के लिए मुझे शक्ति दीजिये जिस से मैं अपने दस लाख मतदाताओं में शक्ति भर सकूं।

श्री मुहीउद्दीन : वह अत्यधिक महत्व-पूर्ण बात जिसने लोगों को आकर्षित किया है और जिस पर विवाद आरम्भ हो गया है वह वित्त मंत्री का यह घोषित करना है कि १९५३–५४ के वर्ष में १०० करोड़ रुपये से भी अधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था होगी। साम्यवाद दल के कार्यकारी नेता ने इसे पूंजीपतियों की कुटिलता बताया है। श्री चटर्जी भी आय व्ययक में प्रस्तावित घाटे की अर्थ व्यवस्था पर परेशान से थे।

१९५२ का वर्ष आर्थिक दृष्टि से बड़ा ही भ्रमकारी था, वित्त मंत्री का यह कथन सर्वथा सत्य है। उच्च मान के सभी उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि हुई। परन्तु इतने पर भी बेकारी में वृद्धि हुई। काम दिलाऊ संस्थाओं ने १९५२ में १९५१ की अपेक्षा बहुत कम व्यक्तियों को काम दिलाया। फुटकर व्यापार ज्यों का त्यों रहा। कुछ व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि १९५२ के प्रथम भाग में रुकावट उत्पन्न हो जाने से पंच वर्षीय योजना का भविष्य बदल गया है।

उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि और व्यापार तथा वाणिज्य कार्यवाही में कमी होने की यह अनोखी सन्धि है। दूसरी अनोखी बात यह थी कि दिसम्बर १९५२ में मूल्य भी बढ़ गये थे। देश की आर्थिक स्थिति को बताते हुए वित्त मंत्री ने ठीक कहा है कि आर्थिक-प्रणाली के जीवन-रक्त का संचार करने की आवश्यकता है और उस जीवन -रक्त की संचार को उन्होंने इस आय व्ययक द्वारा व्यवस्था की है। देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का यह सर्वोत्तम अवसर है।

कुछ सदस्यों ने शंका प्रगट की है कि घाटे के आय व्ययक के कारण अन्त में मूल्य बहुत ऊंचे हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। सम्भव है कि मूल्यों में कुछ वृद्धि हो परन्तु इतनी नहीं कि लोगों को चिन्ता हो जाये। रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने गत दो वर्षों में

[श्री मुहीउद्दीन]

देश के उधार-प्रबन्ध को बहुत कुछ सुधार किया है। इस से मूल्य इतने ऊचे नहीं जायेंगे। बाज़ारों को मिलने वाला बैंक-उधार पूर्णतः रिज़र्व बैंक के हाथ में है। इस प्रकार देश में वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि होने का कोई अवसर नहीं है।

१९५२ की अनोखी सन्धि, उत्पादन-वृद्धि और बेकारी की वृद्धि की, का वित्त मंत्री ने एक यह स्पष्टीकरण किया है कि व्यापार में लाभ की कमी के कारण उप-नगरों में बेकारी उत्पन्न हो गई है। और भी अन्य कारण बताये गये हैं कि देश नीचे-मान से समायोजन कर रहा है। परन्तु यह कोई सम्पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। विभिन्न वस्तुओं के मूल्य देशानांक से यह पता चलेगा कि औद्योगिक बचे माल के मूल्यों में सब से अधिक कमी हुई। मूंगफली, तिल्हन आदि का मूल्य ३०–४० प्रति शत घटा। अन्य आर्थिक-क्षेत्रों की अपेक्षा यह गिरावट बहुत अधिक थी। निर्मित वस्तुओं का मूल्य १९५२ में थोड़ा सा बढ़ा जिस के परिणामस्वरूप ग्राम-धन खिच आया। उन की क्रय-शक्ति बुरी प्रकार घट गई और इस का प्रभाव उपनगरों में व्यवसाय तथा व्यापार व वाणिज्य में समस्त क्रय विक्रय पर पड़ा। यह स्पष्टीकरण भविष्य की नीति के लिए कुछ महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस पर कुछ ध्यान देंगे।

श्री गिडवानी (थाना): सभापति महोदय, अर्थ मंत्री महोदय ने हमें बतलाया कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है मैं इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हूं, मैं तो उल्टे देख रहा हूं कि देश की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ रही है। मैं यहां पर आज उन सब बातों और घटनाओं को दुहराना नहीं चाहता कि देश में किस तरह लोगों को अकाल की पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पिछले चार, छः महीनों में जो तीन, चार वाक़ये हुए हैं, वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं और उस तरह के वाक़ये पहले कभी नहीं हुए। आप के सामने मद्रास प्रान्त में पुलिस वालों की स्ट्राईक हुई, आप के सामने पंजाब, बंगाल और यू० पी० में प्राईमरी स्कूलों के टीचर्स ने हजारों की तादाद में हड़ताल की और यू० पी० में तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि वे लोग फ़ास्ट-अनटू डेथ करने बैठे हैं और किस प्रकार उन को जबर्दस्ती वहां से उठाया गया है, इस का सब विवरण अख़बारों में छप चुका है और वह मैं आप को यहां पर पढ़कर सुनाये देता हूं :

भूखे अध्यापक बिल्ले लगाये हुए

श्री के० सी० शर्मा (जिला मेरठ-दक्षिण): सभापति जी मैं एक सवाल पूछता हूं कि यह यहां कैसे रेलवन्ट है, इस का लगाव तो यू० पी० के शिक्षा विभाग से है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को उस में कोई अखित्यार नहीं है कि वह दखल दे सके।

श्री गिडवानी: रेलेवेन्सी यह है कि हम देश की इकोनामिक पालिसी के सुधारने की बात कर रहे हैं और यह स्ट्राईक जो हो रही है, इस का उस से सम्बन्ध है इसलिये....

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री गिडवानी: कलकत्ता में प्राइमरी तथा सैकन्डरी स्कूलों (प्राईवेट) के लगभग १०,००० अध्यापक भूख-बिल्ले लगाकर तथा हाथों में तख्तियां लेकर १ मील लम्बे जलूस में राज्य विधान सभा की ओर गये एक ज्ञापन देने के लिए जिस में वेतन, भत्ता और सुविधाओं में वृद्धि की मांग की गई थी।

इसके अलावा यू० पी० में पटवारी लोग जो रेवेन्यू अफ़सर होते हैं उन की भी हड़तालें

हुई। देश के किसी न किसी भाग में काफ़ी स्ट्राईक हुआ करती है, इन घटनाओं का मैं वर्णन इसलिये करना चाहता था कि यह सब मध्यम श्रेणी के लोग थे और आज जो यह हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं, तो इस का कारण देखना होगा कि आखिर यह लोग जिन्हों ने पहले कभी हड़ताल वगैरह नहीं की, आज क्यों कर रहे हैं, इसी तरह से हम पुलिस को देखते हैं कि वह भी हड़ताल कर बैठती है, इसका एकमात्र कारण मेरी समझ में तो यही आता है कि दिन प्रतिदिन मध्यम श्रेणी के लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और उन को जो तनख्वाह मिलती है वह आज बिल्कुल अपर्याप्त है और उस में उन का गुजर नहीं होता, इसलिये यह कहना कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, मेरी समझ में यह हकीक़त के विरुद्ध है। जिस क्षेत्र में देखिये, हमारी अवस्था पिछले चार, पांच वर्षों में गिरी है, पब्लिक हेल्थ का जहां तक ताल्लुक है उस में भी हमारा गिराव रहा है और मैं आप के सामने एक मेडिकल रिपोर्ट को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिस से मालूम हो जायगा कि हमारी सेहतें भी कितनी गिरी हैं :

२ लाख मातायें प्रति वर्ष प्रसव से मरती हैं। १ करोड़ लोगों को प्रति वर्ष मलेरिया होता है और १२॥ लाख मर जाते हैं। हमारे यहां ६००० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर है जब कि ब्रिटेन में प्रत्येक १००० पर एक है।

५ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष क्षय रोग से मर जाते हैं, ६२ लाख अन्य रोगों से मरते हैं, ३६ लाख बुखार से, ३ लाख पेचिश से, ५ लाख क्षय रोग से, आधा लाख हैज़ा से मरते हैं। भारत में बाल मृत्यु अब १००० में १६० हैं। कुछ अधिकारियों का अनुमान है कि सामान्य काल में ३० प्रतिशत जन संख्या को पेट भर खाना नहीं मिलता।

यह ठीक है कि यह पुरानी फेमिन कमीशन (Famine Commission) के आधार पर दिया गया है, लेकिन आज का स्वास्थ्य उस से बेहतर नहीं हुआ है, विशेषकर मध्यम श्रेणी के लोगों की तो शारीरिक अवस्था बहुत ही दयनीय हो गयी है।

सभापति महोदय : यह ऐदाद कौन से साल के हैं ? यह भी बहुत पुराने हैं।

श्री गिडवानी : ऐदाद तो कुछ पुराने हैं लेकिन आज मुझे यह नहीं जान पड़ता कि हमारे लोगों के स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ हो, थोड़ा बहुत सुधार हुआ हो, तो हो, लेकिन उस के साथ पापुलेशन भी बढ़ती जाती है। इस पंच वर्षीय योजना को अगर विचार में लाया जाय तो इस का नतीजा क्या निकलेगा, मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं कोई ईकोनामिस्ट (economist) नहीं हूं लेकिन डाक्टर ज्ञान चन्द्र जो हमारे प्राईम-मिनिस्टर के इकोनामिक ऐडवाईजर (Economic Adviser) थे उन्हों ने कहा है कि जो सब से महत्व की बात सरकार को ध्यान में रखनी चाहिये यह है कि देश में अभी सामाजिक निर्माण ऐसा हो, जिस से जो आमदनी में एक दूसरे में डिस्पैरिटी होती है, वह असमानता और अन्तर मिट जाय और उन का मत है कि जब तक यह आर्थिक असमानता नहीं मिटती है तब तक हम पंच वर्षीय योजना चाहे जैसी बनायें, हम देश की आर्थिक अवस्था सुधार नहीं सकते हैं। इसलिये मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमें इस बजट में लोगों को मकानों, उन के स्वास्थ्य बेहतर करने और उन को साक्षर बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये। सभापति जी आप तो संसद के बहुत पुराने सदस्य हैं। और श्री गोखले के जमाने में जब सेन्ट्रल असेम्बली यहां पर थी, तब वह कम्पलसरी एजूकेशन का बिल लाये थे। और महात्मा गांधी जी भी सन् १९१६ में हैदराबाद में

[श्री गिडवानी]

जब आये तब भी टूटी फूटी हिन्दी में बात किया करते थे। उन की हिन्दी गुजराती से मिलती थी। गांधी जी ने कहा कि फर्जी न्यात किल्वनी होनी चाहिये (यानी कम्पल्सरी एजुकेशन) फर्जी के माने कम्पल्सरी और किल्वनी गुजराती में एजूकेशन को कहते हैं। उन्हों ने कहा कि कम्पल्सरी एजुकेशन होनी चाहिये। यह मैं १६ फरवरी, १९१६ की बात कहता हूं जब गांधी जी ने अंग्रेज़ों से यह मांग की थी। हम ने इस सम्बन्ध में कितनी उन्नति की है यह आप लोग देख रहे हैं। इस के लिये भी सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि हम अपने खर्चे को कम करें। लेकिन जो सरकारी कारोबार चल रहा है उस का खर्च पहले से भी बढ़ता जाता है। मैं नहीं चाहता कि हम डिफेन्स एक्स्पेन्डिचर को इतना कम करें क्योंकि यह मैं मानता हूं कि देश का रक्षण होना चाहिये। लेकिन इस सम्बन्ध में जो बेहूदा खर्च होता है, जो वेस्टेज (Wastage) होता है वह खत्म करना चाहिए। थोड़े दिन हुए मैं यहां का अधिवेशन खत्म होने के बाद बम्बई में था। वहां डिफेन्स डिपार्टमेंन्ट ने एक मकान खरीदने के लिये नेगोशियेट किया था। वह मकान तीन लाख तीस हजार पर नीलाम हुआ है तो भी डिफेन्स डिपार्टमेन्ट ने फैसला किया है कि उसे पांच लाख पचीस हजार रुपये में खरीदा जाय। इस सम्बन्ध में मैं ने सरदार सुरजीत सिंह को एक लेटर लिखा। लेकिन उन्हों ने कहा कि उस मकान पर मालिक का खर्च बहुत हो गया है।

मैं ने सरदार सुरजीत सिंह से कहा था कि वह मेरे पत्र का उत्तर दें क्योंकि मैं उन के बारे में कोई झूटी बात नहीं कहना चाहता। मैं आप को उस पत्र की एक प्रति दूंगा। समय की कमी के कारण मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री त्यागी : आप यह मुझे दे दीजिये।

श्री गिडवानी : मैं ने इस के सम्बन्ध में सवाल भी पूछा लेकिन वह डिसएलाऊ हो गया। मेरा कहना यह है कि इस तरह से जो खर्च होता है वह बन्द किया जाय।

श्री त्यागी : कौन सा वह मकान है?

श्री गिडवानी : रफिया मंजिल, बम्बई। इस के बाद मैं सिविल एक्सपेन्डिचर पर आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह कौंसिल आफ़ स्ट्रेस का ढकोसला क्यों है? इसकी क्या आवश्यकता है हर साल बीस पच्चीस लाख रुपया खर्च करने की। यह सब तो एक रिहरसेल है, एक नाटक है, एक ड्रामा है क्या आवश्यकता है इस की इस जमाने में। अगर इस सम्बन्ध में मैं दुनिया के कान्स्टिट्यूशन्स कोट करने लगूं तो बड़ा समय लगेगा। चूंकि इंग्लैंड में हाउस आफ़ लार्डस है इसलिये क्या यहां पर कौंसिल आफ़ स्टेट्स होनी चाहिये। हमारी दिमागी गुलामी को भी हद्द हो चुकी है। मैं कहता हूं कि इस का कोई काम नहीं कृपा कर के इस को बिल्कुल हटा दें। 'सी' क्लास स्टेट्स को पांच करोड़ रुपये की सहायता होती है। इसलिये मैं कहता हूं कि पार्ट 'सी' स्टेट्स भी हटाओ। आखिर कैसा मजाक है, कुर्ग जिस की जन संख्या दो लाख बीस हज़ार है वहां भी चीफ़ मिनिस्टर! पहले प्रिंसली आर्डर के जमाने में जो राजे महाराजे हुआ करते थे उन की हैसियत सलामी से मालूम होती थी। जिन को १०० तोपों की सलामी मिलती थी वह महाराजाधिराज होता था, जिस को पचास तोपों की सलामी मिलती थी वह दूसरे दर्जे का होता था और जिस को पच्चीस तोपों की सलामी मिलती थी वह तीसरे दर्जे का होता था। इसी तरह से हमारे कांग्रेस राज में कांग्रेसी राजे महाराजे बन गये। पहले सेन्टर में अंग्रेजी के जमाने में आठ एग्जि-

क्यूटिव कौंसिलर हुआ करते थे, फिर १९४६ में जब लड़ाई का जमाना आया तो बारह मेम्बर हुए उस के बाद जब लीग-कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी तो १४ हुए। उस के बाद सन् १९५१ में अट्ठारह हुए और अब जा कर ३४ बन गये। जिस तरह सलामी के हिसाब से राजे महाराजे हुआ करते थे, उसी तरह से अब हुकूमत में भी तबके बन गये। जो मिनिस्टर कैबिनेट रैंक का है वह पचास तोपों की सलामी वाला है, उस के बाद जो मिनिस्टर आफ स्टेट्स है वह पच्चीस तोपों की सलामी वाला है, उस के बाद डिप्टी मिनिस्टर आया जो कि शायद २१ सलामी वाला है, और उस के बाद पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी है वह १६ तोपों की सलामी वाला है। इस तरह से कुर्ग का जो चीफ़ मिनिस्टर है वह १४ तोपों की सलामी वाला होगा। क्या मजाक है। एक ऐसी स्टेट का चीफ़ मिनिस्टर जहां की आबादी मुश्किल से ढाई लाख है। इसीलिये मैं कहता हूं कि केन्द्र में मिनिस्टरों की तादाद कम करो।

तीसरी बात मैं कहता हूं कि पार्ट सी स्टेट्स मस्ट बी ऐबालिश्ड उस से रुपया बचे उस से स्कूल खोलो, अगर यह रास्ता इख़्तियार किया जाय तभी लोग हमारी सुनेंगे। हमारा ऐलाउन्स भी कम करो। क्यों घबराते हैं हमारे भाई ? हम दूसरों को कहते हैं तो हम भी अपने ऊपर सख्ती करें। इसी तरह से हमारे जो आई० सी० एस० आफ़िसर्स हैं उन की तन्ख्वाह भी कम होनी चाहिये। हमारे डिप्टी मिनिस्टर को तो १५०० रुपया तन्ख्वाह मिलती है और आई० सी० एस० आफ़िसर को तीन-चार हजार। इसी लिये तो वह आपकी इज्जत नहीं करते। एक जगह मैं ने सुना कि एक मिनिस्टर के साथ एक सेक्रेटरी गये तो लोगों ने समझा कि सेक्रेटरी ही मिनिस्टर है क्योंकि वह तो ठाठ से बढ़िया कपड़े पहिन कर गया था और मिनिस्टर बेचारा तो कांग्रेस वाला था जो कि खद्दर के कपड़े पहिने था। इस लिये मैं चाहता हूं कि आई० सी० एस० आफ़िसर की तन्ख्वाह फ़ौरन कम होनी चाहिये। इस से लाखों का खर्च बच जायेगा।

मैं ने कल श्री नरहरी राव साहब जो कि आडिटर जनरल हैं उन की रिपोर्ट पढ़ी। क्या गजब है। उस में मैंने देखा कि लन्दन की एम्बेसी कोई बजट नहीं पेश करती वह जितना रुपया चाहती है उस को दे दिया जाता है। क्या हमारा रुपया कहीं आसमान से आता है कि जो जितना चाहे उतना इस तरह से खर्च कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस को भी ठीक करना चाहिये। इस तरह से वहां पर जो खर्चा होता है उस को मैं क्या वर्णन करूं। केवल यह कहना चाहता हूं कि उस को कम किया जाय। लन्दन और अमेरिका में लिगेशन है उन के साथ कोई फ़ेवरिटिज्म नहीं करनी चाहिये। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी फ़जूल खर्च हो रहा है उस को खत्म करो और उस से जो रुपया बचे उस को समाज कल्याण-कारी कार्यों में लगाओ।

इस के बाद म कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि लोगों में जोश बढ़े इस देश के लोगों में उत्साह आये तो इस हुकूमत के ढंग को बदलिये। मैं भी किसी जमाने में आप लोगों में से था, चाहे आज न होऊं। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि जिस ढंग की ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों के जमाने में थी वह दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। वह ब्यूरोक्रेटिक राज्य आज ज्यादा जोर शोर से है, ज्यादा मजबूत है। मैं कहता हूं कि जिस वक्त अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी थी उस वक्त हम गुलाम थे। अब तो अपना राज्य है तब यह ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों है ? आज आप को अपने रवैये को बदलना चाहिये।

[श्री गिडवानी]

मुझे बोलना तो काफी था लेकिन एक लेटर जो मैं ने पंडित जी को इस बारे में लिखा था वह पढ़ कर बैठ जाऊंगा। साथ में एक दो बातें रह गई हैं उन पर भी दो एक शब्द कहूंगा। एक तो हमारा राष्ट्रपति भवन यहां है, और इस के अलावा एक राष्ट्रपति निवास शिमला में भी है। यह मुझे बक्शी टेक चन्द से मालूम हुआ। यह आप के पार्लियामेंट के मेम्बर थे। शिमले का वह राष्ट्रपति निवास हमेशा बन्द रहता है उस को काम में क्यों नहीं लाया जाता? मेरे दोस्त श्री राजगोपालाचारी और राजेन्द्र बाबू दोनों को दमा होता है इस लिये वह पंद्रह दिन से ज्यादा के लिये शिमला नहीं जाया करते। वह करीब करीब साल भर बन्द रहता है। मैंने इस के लिये सवाल किया कि वह कितने दिन खुलता है मगर उस का जवाब तो नहीं दिया, यह जरूर कहा कि उस पर दो लाख और कितने हज़ार चार सालों में खर्च हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि इस खर्च को कम किया जाय।

इस के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप ने इस साल आजादी के दिन जनश मनाया और राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाऊस पर रोशनी की लेकिन यह समझ में नहीं आता कि हमेशा के लिये यह दिये जलते रहें यह कहां तक ठीक है। इस के लिये मैंने सवाल किया तो जवाब मिला कि दस हजार माहवार तो ईल्यूमिनेशन रोशनी पर आयेगा और बीस हजार इन्स्टालेशन पर। जिस देश में लोग नंगे हों, जिस देश में लोग भूखों मरें वहां पर यह रुपया भी क्यों खराब किया जाना चाहिये। जब अंग्रेजों का राज्य था तो जब कोई कोरोनेशन होता था तो भी हमेशा के लिये इस तरह ईल्यूमिनेशन नहीं काइम रक्खी गई।

आखिर में मैं एक बात और ब्यूरोक्रेटिक राज्य की बाबत कहता हूं। जब मैं मिनिस्टरों को खत लिखता हूं, तो दूसरे दिन जवाब मिल जाता है, पंडित जी में और मुझ में रोज लड़ाई होती है लेकिन जब उन को खत लिखता हूं तो वह भी तीन दिन में जवाब दे देते हैं, लेकिन जब सेक्रेट्री को लिखता हूं तो उन में से कुछ ऐसे आडम्बर साहब मालूब होते हैं कि जवाब देने से भी इन्कार करते हैं। जो बात उन्हें पसन्द नहीं आती है उस का जवाब ही गायब हो जाता है।

आखिर में मैं एक लेटर आप को पढ़ कर सुनाता हूं। वह लेटर मैंने पंडित जी को तब लिखा था जब मैं पहली बार बम्बई से संसद के अधिवेशन में शामिल होने के लिये पालम एरोड्रोम पर उतरा। वह लेटर यों है :

३ नवम्बर, १९५२

श्रीमान् जवाहरलाल नेहरू,

पर्याप्त हिचकिचाहट के पश्चात मैं आप को यह पत्र लिख रहा हूं। यद्यपि इस का एक तुच्छ विषय से सम्बन्ध है तथापि इस से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं कि हमारे उच्चतम अधिकारी कैसे कार्य कर रहे हैं।

मैं २५ अक्तूबर को यहां आया। मैंने देखा कि पालम हवाई अड्डे पर लोगों की एक भीड़ मौजूद थी। बाद में पता चला कि प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के सचिव, डा० एस० एस० भटनागर, भी उस वायुयान से विदेशों से लोटे हैं और वे उन के कार्यालय के बाबू लोग उन का स्वागत करने आये हैं। वायुयान १२—१५ पर आया था अतः यह प्रत्यक्ष था वे सब कार्य के घंटों में कार्यालय छोड़ कर आये। मुझे फिर पता चला कि यह प्रथम अवसर नहीं था। श्री भटनागर इसे बहुत पसन्द करते हैं। अत

जब भी वह बाहर से आते हैं, प्रत्येक उच्च-अधिकारी उन्हें प्रसन्न करने वहां अवश्य जाता है। मैंने विश्वासनीय सूत्रों से सुना है कि प्रत्येक विभाग के संचिव तथा अध्यक्ष ऐसा ही चाहते हैं। उच्च अधिकारियों को विदाई देना अथवा उन के आने पर उन का स्वागत करने का प्रभाव छोटे अधिकारियों की वार्षिक-गुप्त-रिपोर्ट आदि पर पड़ता है।

मैं नहीं जानता कि इस पर आप की क्या प्रतिक्रिया होगी पर मेरी तुच्छ राय में इस में पराधीनता की बू आती है और इस से हमारे कुछ उच्चतम अधिकारियों में उत्तरदायित्व तथा अनुशासन की कमी दिखाई पड़ती है। आप प्रशासन पर इस के प्रभाव का अनुमान कर सकते हैं। इस में मेरा कोई व्यक्तिगत ध्येय नहीं है। क्योंकि यह घटना अचानक ही मेरे सामने आई इसलिये मैं ने आप को इस की सूचना देनी आवश्यक समझी। जैसा आप चाहें इस बारे में करें, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। यदि आप कुछ आदेश निकालें तो मुझे आशा है कि ये केवल डा० भटनागर को ही लक्ष्य नहीं करेंगे अपितु यह अनुचित प्रथा अधिकतर मन्त्रालयों में प्रचलित है। मैं ने इस की एक प्रति डा० काटजू को भेज दी है। यदि कृपया आप मुझे इस के मिलने से सूचित करें तो मैं कृतज्ञ हूंगा।

भवदीय

चौएत राम गिडवानी

मुझे निम्नलिखित उत्तर मिला :—

श्रीमान् डा० चौएत राम,

आप के ३१ अक्टूबर के पत्र के लिए धन्यवाद। मैं आप से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें पालम हवाई ड्डे पर ज्येष्ठ अधिकारियों के स्वागतार्थ बड़ी भीड़ को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

भवदीय

जे० नेहरू

यह तो केवल एक उदाहरण है।

डा० खंका सुन्दरम् : ये लोग सरकारी कारें जो प्रयोग करते हैं, उस के बारे में क्या है ?

श्री त्यागी : मुझे विश्वास है कि वे सरकारी नौकर नहीं थे। वे अनुसन्धान संस्था के ही होंगे।

श्री गिडवानी : सब सम्बन्धित विभागों के सदस्य थे। मैं ने पूछताछ की है। ६० अफसर थे। उन्हें स्वयं मैं ने देखा है।

कुछ माननीय सदस्य : आप उन्हें ढकने का प्रयत्न क्यों करते हैं ?

श्री त्यागी : मामले भिन्न भिन्न हैं।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : श्री एच० एन० मुखर्जी ने सदन में कहा था कि मद्रास के दैनिक 'हिन्दू' ने लिखा था कि आय-व्ययक पूर्व स्थिति का आयव्ययक है। उस ने यह मुहावरा कह कर "हिन्दू" या वित्त मन्त्रालयों के साथ न्याय नहीं किया है। वस्तुतः 'हिन्दू' ने जो लिखा है वह निम्न-लिखित है :

> "२०१ करोड़ के पूंजीगत व्यय के बड़े प्रावधान को छोड़ कर, जो कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्व वाक वद्धता के कारण करना पड़ा है, श्री देशमुख का आयव्ययक पूर्व स्थिति का आयव्ययक कहा जा सकता है।"

सब से अधिक महत्वपूर्ण बात पंच वर्षीय योजना के लिए २०० करोड़ का नियतन होना है। मुझे खेद है कि श्री मुखर्जी यहां नहीं हैं परन्तु मैं उन से पूर्ण मित्र भाव से यह निवेदन करता हूं कि वह सदन में अपने वक्तव्य में सत्यता का थोड़ा अधिक ध्यान रखें।

[श्री मात्तन]

जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा तथा हम सब ने पूर्व अनुमान लगाया कि आय व्ययक का आधार योजना है । होंटों की लाली आदि को छोड़कर और वस्तुओं पर कथन्न-योग्य कर नहीं लगाये गये जान कर मुझे एक सुन्दर अचम्भा हुआ । २१ करोड़ का पूंजीगत व्यय वित्त मंत्री पर बहुत बड़ी चोट है जिस के लिए वह हमारी, कृतज्ञता तथा सद्भावनाओं के अधिकारी हैं । समस्त देश में बाज़ार में अच्छी प्रतिक्रिया रही और अच्छे आयव्ययक की पर्याप्त परीक्षा है ।

विकास योजनाओं पर ६०० करोड़ व्यय करने तथा आगामी दो वर्षों में और अधिक व्यय करने की आशा से ६० प्रतिशत घाटे का आय व्ययक बनाने में कोई बुराई नहीं है । सम्पूर्ण रुप में भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है । और चारों ओर मुद्रा कम होने के निश्चित तथा ध्यान देने योग्य लक्षण हैं । अन्न से अनुदान हट जाने के कारण खाद्यान्न के दाम बढ़ने आदि की परिस्थिति में घाटे का आय-व्ययक बनाना उचित ही है । इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान हिटलर-काल में जर्मन के डा० शाख्त के मुद्रा निधि के पुराने सिद्धान्त से हटने की ओर दिलाना चाहता हूं । हम उस के घाटे के आयव्ययक बनाने के ध्येय से असहमत हो सकते हैं परन्तु इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस के कारण जर्मनी में उत्पादन की बहुत वृद्धि हुई इतना ही नहीं अपितु जर्मनी में इस से बेकारी समाप्त हो गई । हमारी भी यही दो समस्यायें हैं । यदि योजना को कार्यान्वित करने के लिए घाटे के आयव्ययक की नीति की आवश्यकता है तो उसे न अपनाना मूर्खता होगी । वह आर्थिक झुकाव पर निरन्तर ध्यान देते रहेंगे और कुछ भी अनुचित होने पर यथोचित कार्यवाही करेंगे । मैं अब कुछ बातों के बारे में थोड़ा सा कहूंगा । यदि जनता का सहयोग तथा उत्साह प्राप्त न हो तो जनता के कल्याण के लिए नियम बनाने वाले राज्य को जन-कल्याण-राज्य में बदलना, जिस की हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत कठिन है । इस उत्साह को उत्पन्न करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को विचारयुक्त प्रयत्न करना चाहिए । हाल के मन्दी काल में मैंने ट्रावनकोर में अपने निर्वाचन-क्षेत्र का भ्रमण किया था और मुझे पांच कालिजों में केवल 'योजना' पर ही बोलना पड़ा था । जब मैं सुप्रसिद्ध संवाददाताओं के सम्मुख इस विषय पर बोल रहा था, मुझे 'योजना' के सम्बन्ध उन के भिन्न विचारों से दुख ही नहीं हुआ अपितु मैं ने उसके बारे में उन में एक निन्दाशील भाव पाया । यह एक बड़ी दुखदाई बात थी । परन्तु उन में से किसी ने भी 'योजना' को थोड़ा भी नहीं पढ़ा था, यहां तक कुछ सरकारी अधिकारियों ने भी नहीं और जब मैं ने उन्हें इस के बारे में बताया तो मैं ने देखा कि उन में यह विचार उत्पन्न हो गया था कि उन्हें भी किसी क्षेत्र में कोई कार्य करना है । इस के पश्चात मैं ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा कि प्रत्येक सदस्य से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर 'योजना' के बारे में लोगों में उचित प्रोपगेन्डा करने को कहें । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा । इतना ही नहीं मैं प्रधान मंत्री से आशा करता हूं कि वह विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को विधान सभा के सदस्यों से अपने क्षेत्रों में जाकर 'योजना' का प्रोपेगन्डा करने के लिए लिखेंगे ।

मैं यह और कहना चाहता हूं कि संसद सदस्यों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच सम्बन्ध के रूप में माना

जाये। केन्द्र-मन्त्री इस से लाभ उठा रहे हैं, यह प्रसन्नता की बात है। परन्तु मुझे दुःख है कि राज्य-मंत्री इस का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

भारत एक देश नहीं है अपितु छोटा सा महाद्वीप है और विभिन्न भागों से आने वाले संसद सदस्यों के लिए यह बड़ा आवश्यक है कि वे अन्य भागों और उन की समस्याओं को जानें जैसे जम्मू काश्मीर, दुर्भिक्ष क्षेत्र, आदि। यदि कनाडा और जापान की तरह यहां भी संसद सदस्यों को बिना पैसे के देश की यात्रा करने की सुविधा दी जाये तो यह कार्य सरल तथा सम्भव हो जाये।

अन्त में मैं केन्द्र सरकार का ध्यान 'योजना' के विकास में सहकारी संस्थाओं तथा सहकारिता आन्दोलन के महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि यह आन्दोलन बहुत से वर्षों से चल रहा है तथा बम्बई और मद्रास राज्य के अतिरिक्त और कहीं कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि योजना का उद्देश्य आर्थिक ऊंच नीच मिटाना है तो वे लोगों में सुधार करने के लिए सहकारिता के लिए संयुक्त स्टाक कार्य के ढंग को बदलने को छोड़ कर इन योजनाओं के अतिरिक्त और कुछ विचार नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि केन्द्र में इस के लिए एक भिन्न मन्त्री रखा जाये जो सरकारी आन्दोलन को सफल बनाने पर ही ध्यान दे और उस के लिए उत्तरदायी हो।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरंग) : इस समय मेरा हृदय कटुता से भरा हुआ है क्योंकि भारत के उत्तर-पूर्व में चाय-मजदूर विरोध-दिवस बना रहे हैं और इसका कारण है कि उन की मजदूरी में २०–४० प्रतिशत कटौती कर दी गई है। जहां कहीं कटौती नहीं की है वहां उन्हें २, ३ या ४ दिन तक बेकार रख कर उन की मजदूरी में ६० प्रतिशत कटौती कर दी गई है। आप का स्मरण होगा कि माननीय मन्त्री ने यहां वचन दिया था मजदूरों को लेश मात्र भी हानि नहीं होगी। दूसरे दिन एक प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य मंत्री ने बताया था कि वह उन्होंने विशेषज्ञ समिति के सम्बन्ध में कहा था। परन्तु मैं ने उसे पढ़ा है और यह केवल उस के सम्बन्ध में ही न था। दूसरे सदन में वित्त मंत्री ने भी ऐसा ही वचन दिया था पर मुझे दुख है कि इस आश्वासन का पालन नहीं किया गया है। जब सरकार वायदा करती है तो संसार उस पर चलता है। यदि वायदा तोड़ा जाता है तो संसार में घबराहट उत्पन्न हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य सरकार वायदा करने में अधिक सावधानी से काम लेगी।

इस सदन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम स्वीकार किया था जिस का अर्थ है कि मजदूरों की जीवन-यापन व्यय की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण हों। अब आर्थिक संकट के कारण न्यूनतम वेतन में संशोधन हो रहा है चाय के बाग नहीं चल सकते जब कभी भी न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया जाता है, सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह यह देखे न्यूनतम वेतन रख जाते हैं पर यहां यह नहीं किया गया है। अतः मजदूरों को कठिन समस्या को सुलझाने के लिये कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। चाय एक निर्यात उद्योग है और सरकार को ३–४ आने प्रति पौंड चाय पर मिलता है। अब सरकार न्यूनतम वेतनों के बदले में अपने शुल्क प्राप्त कर रही है क्योंकि मजदूरों को अपनी आय से वंचित किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा अन्याय है।

योजना आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सदन के नेता ने कहा था कि हम जन-कल्याण-राज्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। आयव्ययक में इसके लिए व्यवस्था होनी

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

चाहिए परन्तु वित्त मन्त्रालय ऐसा करने में असफल रहा है ।

चाय संकट में क्या हुआ है ? १९५१ में मूल्य गिरना आरम्भ हुआ । सरकार ने १९५२ में एक समिति बनाई जिसने अक्टूबर १९५२ में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । सरकार की पहिली कार्यवाही ठीक नहीं थी । अब वे गारन्टी देरहे हैं परन्तु इस से भी समस्या सुलझी नहीं है । यदि सरकार इस में असफल रहती है तो हमें सोचना पड़ता है कि सरकार में कमी है जो उसे पूरी करनी चाहिए । मज़दूर वर्ग ही एक अनुसुरक्षित वर्ग है और जब कभी भी हानि होती है तो वह मज़दूरों को सहन करनी पड़ती है । इस के लिए ही न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम बनाया गया था । परन्तु अब उद्योग पतियों ने लागत के ढांचे को पूर्णतः बदल दिया है । चाय के बागों तथा फिनले में प्रबन्ध-कर्मचारीवर्ग को भत्ता सहित ३०००–४००० रुपय तक वेतन दिया जाता है यह बहुत बड़ा अन्याय है । इस सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार को कोई कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए ।

फर्मों में योरोप वालों और भारतीयों की संख्या निरीक्षण-कार्य क्षेत्र में बढ़ रही है अथवा निरीक्षण व्यय म वृद्धि होगई है । यह लागत-ढांचा निश्चित है मालिक लोग इसे घटाना नहीं चाहते । परिणाम यह होता है कि संकट में मज़दूरों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । हाल में ही मैं ने आसाम तथा उत्तरी बंगाल में देखा कि ये लोग टाट तथा अर्ध-भूखमरी की स्थिति को पहुंच गये हैं । सरकार को व्यक्तिगत-क्षेत्रों में भी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भी कोई ढंग ढूंढना पड़ेगा । नेता ने कहा था कि वैत्तिक क्षेत्रों में हम उद्योगों पर नियन्त्रण करने वाले हैं । यह क्या है ? यदि है तो यह सामाजिक न्याय के लिए होना चाहिए । यदि हम इसे जन कल्याण-राज्य बनाना चाहते हैं तो मानव-कल्याण का विचार मूल विचार है जो हमें रखना होगा । हम इस की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं ।

मैं निवेदन करता हूं कि आप निर्यात उद्योगों में मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए कोई उपाय करें । हम उदाहरण के लिए इंगलैण्ड की ऊन परिषद को ले सकते हैं । मेरा विचार है कि चाय तथा जूट उद्योग के लिए कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा । श्री कृष्णमाचारी कहते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए । मैं अभी कुछ नहीं कर सकता । परन्तु संकट काल में आप को शीघ्रता से कार्य करना चाहिए । जब सरकार में आ गये हैं तो आप को यह करने का अधिकार नहीं है कि संकट समाप्त होने दो । बाद में हम इस पर कार्यवाही करेंगे । इस पर कार्यवाही करना आप का कर्त्तव्य है । जूट और चाय के सम्बन्ध में, मुझे खेद है कि मैं समय न होने के कारण कुछ नहीं कह सकता, पर आशा करता हूं, कि सरकार मेरे न कहने से वहां की स्थितियों भली प्रकार समझेगी ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी (वान्दिवाश) : मैं आय व्ययक सम्बन्धी कुछ ठोस सुझाव तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं । चालू वर्ष में राजस्व में ३.७९ करोड़ के घाटे तथा आगामी वर्ष के लिए नाममात्र की १.०५ करोड़ की कमी, जो करों के साथ समायोजित होने के पश्चात अतिरेक में परिणत हो जाती है, की दृष्टि से वित्त मंत्री का आय व्ययक सामूहिक रूप में सन्तोषजनक है । करों के समन्वय को लेकर मैं देखता हूं कि आयात शुल्क बढ़ाई गई है यद्यपि अति आवश्यक पदार्थों पर

छूट दे दी गई है। जूट पर से निर्यात शुल्क कम कर दी गई है। आय-कर में छट को ३६००रुपये से बढ़ा कर ४२०० रुपये कर दिया गया है। पर मैं कोई कारण नहीं देखता कि संयुक्त परिवार में यह सीमा ८४०० रुपये ही क्यों रखी गई है। क्या आप इस प्रकार उस प्रथा को समाप्त कर देना चाहते हैं। डाक में आप पोस्ट कार्डों के दाम भी बढ़ा रहे हैं। रजिस्टर्ड चिट्ठियों और बीमों में शुल्क बढ़ाने से वाणिज्य को हानि पहुंचेगी पर वह उसे सहन कर सकेगा।

पाकिस्तान से १८ करोड़ रुपये हमें अपने ऋण के भुगतान में वापस मिलने हैं। पर उन को राजस्व खाते में न रख कर पूंजी खाते में रखना चाहिए क्योंकि गत वर्ष उन्होंने ५ करोड़ रुपये अपने आय व्यय में इसके लिये रखे थे पर लिये नहीं और न मिलने की ही आशा है। इस प्रकार घाटे के आय व्ययक को अतिरेक का आय व्ययक नहीं बनाया जा सकता। हटाई हुई खाद्य सहायता को व्यय की ओर न दिखा कर आय की ओर दिखाना चाहिए। इस प्रकार लोक वित्त प्रणाली के लिए भय उत्पन्न हो जाता है। पूंजी आय-व्ययक में सब मिला कर १४० करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जिस के लिए १०० करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ेगा और शायद घाटे को कम करने और ५० करोड़ का सन्तुलन रखने के लिए ११० करोड़ रुपये का और ऋण लेना पड़े। गत वर्ष २५ करोड़ रुपये का ऋण लेना असम्भव हो गया था। परन्तु शायद वित्त मंत्री विदेशों से सहायता की आशा रखते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की दृष्टि में मुझे विदेशों से ऋण मिलने की सम्भावना दिखाई नहीं पड़ती। अन्त में उन को घाटे की वित्त-व्यवस्था अपनानी पड़ेगी जिस से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। माननीय मंत्री ने हमें उस के कुप्रभावों को रोकने के सम्बन्ध में आश्वासन दिये हैं। उन्हों ने यह भी बताया है कि वह सारा आय व्ययक पंच वर्षीय योजना पर आधारित है। पर उस योजना का भी वित्तीय पहलू स्पष्ट नहीं है। उन के द्वारा हाल में नियुक्त की गई कराधान जांच समिति की सिफ़ारिशें भी योजना की समाप्ति से पहिले नहीं प्राप्त हो सकेंगी और इस कारण इस खाई का पाटना मुश्किल हो जायेगा। उन्हों ने प्रत्येक दिशा में हुई उत्पादन-वृद्धि की चर्चा की है। योजना में भी उत्पादन के लक्ष्य-विन्दु बताये गये हैं पर खपत के लिए कुछ नहीं कहा गया है।

अतिरेक वाले आय व्ययकों के विषय में कुछ सुझाव देता हूं। योजना को जनता का सहयोग मिलना चाहिए, वह नये करों का स्वागत न करेगी। हम प्रस्तुत व्ययों में २५० रुपये से अधिक वेतनों पर कम से कम ६। प्रतिशत की कटौती कर के १५-२० करोड़ रुपये प्रति वर्ष बचा सकते हैं। रक्षा व्ययों के सम्बन्ध में, आज की स्थिति को देखते हुए, मैं थोड़ी सी भी कटौती का सुझाव नहीं दे सकता पर राष्ट्रीय समृद्धि के लिए हम अवकाश काल में उन का उपयोग राष्ट्र-निर्माण-कार्यों में कर सकते हैं।

सामान्यतः घाटे वाली वित्त व्यवस्था संकट काल में ही अपनाई जानी चाहिए। पर यदि हम अपनी इस पहिली पंच वर्षीय योजना को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को युद्ध जैसी स्थिति में समझते हुए अपने असैनिक व्ययों में भारी कटौती करनी पड़ेगी।

श्री जे० आर० महता (जोधपुर): इस सदन में पहिले रखे गये सर्व श्रेष्ठ आय-व्ययकों से कहीं कम टीका टिप्पणी इस आय व्ययक पर हुई है, और इस कारण मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

[श्री जे० आर० महता]

यह आय व्ययक न तो कर बोझ कम करता है और न वर्तमान कर प्रणाली में कोई विशेष वृद्धि करना चाहता है। रक्षा, वित्त आयोग की सिफारिशों और पंच वर्षीय योजना ने इस आय व्ययक को बहुत कुछ जकड़ दिया है। रक्षा में कोई कटौती हो नहीं सकती और वित्त आयोग तथा पंच वर्षीय योजना के सिद्धान्तों से यह सदन सहमत हो ही चुका है। खाद्य समस्या को लेकर चलने वाली आत्म-घातक आन्तुष्ट की धारा खतरनाक है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में खाद्य स्थिति के सुधार का वर्णन किया था और वित्त मंत्री भी यही बात दुहराते हैं। पर यदि आप योजना आयोग का प्रतिवेदन देखें तो पता चलेगा कि अधिक अन्न उपजाऊ आन्दोलन के होते हुए भी हम अधिक अन्न नहीं उपजा सके हैं। खाद्य स्थिति नहीं अपितु भण्डार स्थिति सन्तोषजनक है और वह भी अमरीका द्वारा दिये गये गेहूं के ऋण के कारण। क्या हमें आत्मतुष्ट की भावना में बहते हुए ऐसे ग़लत वक्तव्यों द्वारा देश को धोके में डालना चाहिए। पंच वर्षीय योजना भी यही मान कर चलती है कि हम खाद्य में आत्म-निर्भर हो जायेंगे। पर यदि उसी दिशा में सफलता न हुई तो मुझे भय है कि सारी योजना लड़खड़ा जायेगी। यदि देश दुनिया की अपेक्षा अधिक बच्चे पैदा कर सकता है तो वह अधिक अन्न पैदा क्यों न कर सकेगा। उसे उचित नेतृत्व मिलना चाहिये।

हमारा राजस्थान राज्य अत्यन्त पिछड़ा और अविकसित, सड़कों और संचरण साधनों से रहित, रेतीला और प्रायः अकाल पीड़ित रहने वाला राज्य है। इस पर भी पंच वर्षीय योजना में उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं वहां की दुर्दशा का वर्णन करने में सदन का समय नहीं लेना चाहता पर वैसे पिछड़े राज्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी राज्यों की समृद्धि से देश की समृद्धि होगी और वह विश्व में कीर्ति प्राप्त कर सकेगा।

आय व्ययक देखने से पता चलता है कि कई विभागों में, विशेषतया वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में, अधिकारियों पर संस्थापनों की अपेक्षा अधिक व्यय होता है। दूसरे भाग (ग) के राज्यों पर बहुत सा व्यय व्यर्थ ही किया जाता है। यदि उन को पड़ौसी भाग (क) अथवा (ख) के राज्यों में मिला दिया जाये तो केन्द्र का बोझ बहुत हलका हो जायेगा।

अन्त में मुझे यह कहना है कि हम आय-व्ययक-प्रस्तावों को किसी भी रूप में क्यों न लें वे अनिवार्यतः पंच वर्षीय योजना और हमारी भावी प्रगति से सम्बद्ध है। हमारी योजना अच्छी है, आयव्ययक अच्छा है, जनता अच्छी है, पर हमें अच्छे नेतृत्व की, आवश्यकता है।

श्री बी० एन० राय (दोवरिया ज़िला पश्चिम) : माननीय सभापति जी, अभी थोड़ी देर पहले माननीय लंकासुन्दरम् जी ने बजट का विरोध करते हुए कहा कि इस में इमैजिनेशन की कमी है, लैक आफ इमैजिनेशन है। वस्तु स्थिति पर ध्यान रखते हुए यदि देखा जाय तो बजट में इमैजिनेशन की कमी नहीं है, यह ज़रूर है कि बजट इमैजिनरी नहीं है। अगर वास्तविकता पर ध्यान न रखा जाय, परिस्थिति को ध्यान में न रखा जाय, तो ज़रूर उस में इमैजिनेशन ज्यादा लगा सकते हैं और उस से इमैजनरी भी बना सकते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति पर ध्यान रखने से हमें ज़रूर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, व्यावहारिक होना पड़ेगा। बजट की वस्तुस्थिति का ख्याल

रखते हुए बिल्कुल प्रैक्टिकल बजट कहा जाय तो ज्यादा ठीक होगा।

उन के बाद माननीय गिडवानी जी ने कहा कि इकनामिक कंडीशन देश की सुधरी नहीं है, खराब ही है। जहां तक हम सभी लोग जानते हैं कि जरूर जैसा वह चाहते हैं, या जैसे गवर्नमेंट खुद चाहती है, और जैसी स्थिति बनाने के लिये वह पंचवर्षीय योजना लागू कर रही है, वैसी स्थिति अभी नहीं है। लेकिन पिछले साल दो साल पर ध्यान देने से यह साफ मालूम होता है, फिगर्स और फैक्ट्स यह बतलाते हैं कि इकनामिक कंडीशन भी सुधर रही है। जहां तक आम जनता की जरूरी चीजों का सम्बन्ध है, उस में अन्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज से साल डेढ़ साल पहले देश में जितनी अन्न की कमी थी, इस साल उतनी कमी नहीं है। जरूर कई जगह सूखा पड़ा, उत्तर प्रदेश में, रायल-सीमा में सुन्दर बन में। (अन्तर्बाधा)

मैं उस इलाके की बात कह रहा था, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की जहां पर ईख अधिक पैदा होती है, वहां दो साल तक सूखा पड़ा है और अन्न की बहुत कमी थी। वहा पर ईख अधिक पैदा होती है, देश को वह चीनी तो खिलाता है, लेकिन वहां अन्न की बहुत कमी है। दो साल के सूखे के कारण स्थिति ऐसी हो गयी कि भुखमरी भी हुई, लेकिन गवर्नमेन्ट ने स्थिति संभाली और बहुत अच्छी तरह संभाली। और केवल वहीं नहीं संभाली, देश में जहां भी कमी पड़ी, वहां उस ने अन्न पहुंचाया। बाहर से भी अन्न आया, लेकिन जरूर देश में दो साल पहले के मुकाबले में अन्न बढ़ा और अभी जैसा कि दो चार रोज पहले एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बतलाया था कि इस साल जितना स्टाक हमारे पास है पहले कभी नहीं था। लेकिन अन्न की जो यह बात है वह सामने है।

वस्त्र की बात का जहां तक सम्बन्ध है यह रेकार्ड है कि सन १९५२ में जितना कपड़ा हमारे देश में बना उतना कभी नहीं बना था। चार अरब साठ करोड़ गज कपड़ा बना और यही नहीं कि वह यहां के लिये काफी रहा हिन्दुस्तान के बाहर भी कपड़ा गया। उस की कीमत भी घटी और अन्न की कीमत भी घटी। खाद्य मंत्री जी को धन्यवाद है कि जिन की डीकंट्रोल की पालिसी पूर्णतः तो चालू नहीं हुई लेकिन कुछ ही चालू होने से जो अन्न संकट वाले क्षेत्र प्रदेश के पूर्वी जिले हैं जहां पर एक रुपये का एक सेर चावल मिलता था वहां पर दो सेर चावल भी मिलने लगा। इस तरह से कपड़े और अन्न के बारे में जो आदमी के लिये बहुत जरूरी है जो इकनामिक कंडीशन सुधारने के लिये बहुत आवश्यक हैं और जिस इकनामिक कंडीशन की बाबत माननीय गिडवानी जी ने कहा है उस में तो सुधार हुआ है।

फिर केवल अन्न और कपड़े की क़ीमत ही नहीं घटी, और चीज़ों की भी कीमतें घटीं और जनरल इंडेक्स नम्बर के अनुसार पिछले साल जो प्राइस थीं, उसमें कमी पड़ी। जो इस तरह क़ीमत घटी उस से आम जनता का लाभ हुआ। इस से उन की इकनामिक कंडीशन में ज़रूर कुछ कुछ सुधार हुआ। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे शक्कर के बारे में। आप की पंचवर्षीय योजना पूरी होने के समय १५ लाख टन शक्कर पैदा करने की बात निश्चित की गई थी। उस से पहले ही १९५१-५२ का जो पिछला सीजन था, उस में १४.९ लाख टन शक्कर तो हिन्दुस्तान में पैदा हो गयी और उस के साथ ही उस की क़ीमत भी घटी।

इस साल ज़रूर कुछ लोगों ने पहले इस और इशारा किया था कि चीनी की क़ीमत

[श्री बी० एन० राय]

बढ़ सकती है पारसाल के मुक़ाबले में, लेकिन जो बचत पारसाल के मुक़ाबले में हुई है उस से जितनी चीनी पारसाल थी, उतनी ही चीनी इस साल भी रहेगी। इसी तरह हम देखते हैं कि जूट का सामान भी हमारे देश में पिछले वर्ष की अपेक्षा ६९ हज़ार टन ज़्यादा बना है, सीमेंट भी सन् ५२ में सन् ५१ की अपेक्षा तीन लाख टन ज़्यादा तैयार हुई है, इसी प्रकार लोहे का सामान भी अधिक मात्रा में तैयार हुआ है, जूट और रुई भी और सालों के मुक़ाबले में सन् ५२ में अधिक पैदा हुई चूंकि इस साल जूट और रुई का सामान ज़्यादा बना है, इसलिये उन से बना सामान भी इस साल पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ सस्ता होना चाहिये इस तरह हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन हर क्षेत्र में बढ़ा है हमें इस बात को देखना होगा कि इस के फलस्वरूप हमारे देश की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होता है, यह प्रश्न रह जाता है, इस प्रश्न को गवर्नमेंट जनता और माननीय सदस्य हल करना चाहते हैं, यह ठीक है कि आज हम उस को पूरी तौर से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजना जो हम ने बनाई है वह इसी उद्देश्य से बनाई गयी है और इसलिये यह जो बजट पेश किया गया है, वह एक प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बजट है, पंचवर्षीय योजना के लिये उस में हर तरह के साधन मौजूद हैं। पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हो सकता है कि अभी उस में कठिनाई पैदा हो, उस का करीब आधा रुपया खर्च हुआ है और अगले दो सालों में उतना ही रुपया और खर्च करना है। या उस से अधिक लगेगा, यह कठिनाई की बात हो सकती है। हमें उस को हल करना होगा। लेकिन यह अवश्य है कि जिस तरीके से हम इस योजना में चल रहे हैं, वह उचित जान पड़ता है, इस में हम देखते हैं कि खेती के विस्तार, और उन्नति की ओर सब से अधिक ध्यान रक्खा गया है, पंचवर्षीय योजना में कृषि का सब से प्रमुख स्थान है, हो सकता है कि कहीं कहीं पर कुछ उपयोगी स्कीमें चालू न हो पाई हों और मैं अभी आप को उन के सम्बन्ध में बतालाऊंगा, लेकिन जितनी भी योजनाएं इस में चलाई गयी हैं आप जानते हैं वे योजनाएं दुनिया की कई बड़ी योजनाओं में से एक हैं। बजट में जो खास बातें हैं जैसे कृषि सम्बन्धी वे तो चल ही रही हैं। इसके अलावा बजट में मध्यम वर्ग को इनकम-टैक्स में जो राहत गई है उस से मुझे पूर्ण आशा है कि मध्यम श्रेणी के लोगों को काफ़ी आराम और सुविधा मिलेगी इसी प्रकार पिछले दिनों में चीज़ों की क़ीमतों में जो कमी हुई है, उस से निम्न श्रेणी के लोगों और मज़दूरों को काफ़ी लाभ हुआ है और जनता को काफ़ी राहत मिली है। इन अर्थों में अगर जनता का बजट कहा जाये तो अनुचित न होगा बल्कि इसे जनता का बजट कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा।

लक्ज़रीज और टायलेट्स वग़ैरह पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, उस का प्रभाव यह होगा कि बाहर से आने वाले सामन में कमी होगी और उस से हमारे देश के भीतर उन चीज़ों को बनाने की ओर ध्यान जायगा और उन के तैयार होने में विशेष सुविधा होगी इस पर बढ़ी हुई ड्यूटी बढ़ाने से गवर्नमेंट को लाभ भी होगा। पंचवर्षीय योजना में जहां और बड़ी २ और महत्वपूर्ण योजनाएं सम्मिलित हैं वहां गंडक वैली प्राजैक्ट का न होना हमें अखरता है। वह ऐसी योजना है जो रुपये के खर्च के बारे में दूसरी योजनाओं से कम खर्चीली पड़ेगी। उस में करीब ३१ करोड़ की लागत लगने का अनुमान है, लेकिन अगर यह देखा जाय कि उस योजना के पूर्ण हो जाने से देश को कितना फायदा

पहुंचेगा तब आप समझेंगे कि यह योजना भाखरा और दामोदर वैली प्राजैक्ट से कम महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उस के मुक़ाबले में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । इस गंडक वैली प्राजैक्ट के पूर्ण हो जाने से लगभग ३४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । नैपाल में क़रीब एक लाख एकड़, यू० पी० में क़रीब साढ़े सात लाख एकड़, सारन में १२.४८७४ लाख एकड़, चम्पारन में मुज्जफ़र-नगर और दरभंगा में कुल मिला कर १३.९२६ लाख एकड़ की सिंचाई होगी । इस योजना पर जो खर्च आने वाला है, वह भाखरा दामोदर वैली के मुक़ाबले में बहुत कम है । सिर्फ ६९ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च पड़ेगा । ये फिगर्स जो मैं ने दिये हैं वे किसी अख़बारी रिपोर्ट के आधार पर नहीं है । जिस समय हमारे वर्तमा राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे, उस समय उनके कहने पर वहां पर इस का प्रारम्भिक सर्वे हुआ था और बिहार सरकार ने उस ऐरिया का सर्वे कराकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उस के आधार पर मैं यहां उन को पेश कर रहा हूं ।

बस चूंकि मेरा समय खत्म हो गया, इसलिये मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन—दक्षिण) : सभापति महोदय, आज लगभग पूरे एक वर्ष के बाद मुझे आप के सामने बजट पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है । बजट बहुत सुन्दर है, संतुलित है और समयानुकूल है । लेकिन जब मैं यह कहता हूं तो आप को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि मैं यहां केवल उसकी तारीफ करने के लिये ही खड़ा नहीं हुआ हूं और मैं समझता हूं कि मनुष्य की कोई ऐसी कृति नहीं हो सकती, जिस में कुछ न कुछ त्रुटियां न हों, लिये आज मैं यदि उन त्रटियों की ओर सरकार और मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करूं तो यह न समझा जाय कि मैं केवल आलोचना करने की नीयत से ही ऐसा कर रहा हूं, बल्कि मैं उस में जो खामियों रह गयी हैं उन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि सुधार किया जा सके और साथ ही इसका यह मतलब भी नहीं लगाया जाना चाहिये कि जो बजट पेश किया गया है उस को सपोर्ट नहीं करता । मैं वित्त मंत्री महोदय को ऐसे संतुलित और सुन्दर बजट पेश करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, साथ ही जो उस में त्रुटि और ग़लती रह गयी है उन को भी बता देना बहुत मुनासिब समझता हूं ।

पहली ग़लती मेरी समझ में उन्हों ने यह की है कि इनकमटैक्स की लिमिट ३६०० से रेज़ कर के ४२०० कर दी है, उस से वास्तव में गरीबों को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है । हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की बहुत कम परसेन्टेज है जिन की ३६०० या ४२०० इनकम है । मैं तो समझता हूं कि अगर वह इनकमटैक्स की लिमिट को न बढ़ाकर पोस्टकार्ड पर एक पैसा कम कर देते और दो पैसे का पोस्टकार्ड कर देते तो इस कार्य से ग़रीबों को ज़्यादा राहत महसूस होती । या इनकमटैक्स की लिमिट अगर ३६०० से घटा कर ३००० भी कर दी जाती और पोस्टकार्ड का दाम कम कर दिया जाता तो सारी जनता कम से कम ९५ फीसदी जनता इस से खुशी होती और समझती कि हमारी सरकार वास्तव में हमारी हालत सुधारने के लिये कुछ कर रही है । आपने जो रजिस्ट्रेशन और पोस्टल चार्जेज़ पर बढ़ौती की है, उस में हमें कोई उज्र नहीं है ।

दूसरी बात जो मैं आप के सामने रखना चाहता हूं वह फ़ाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में है । फ़ाइनेंस कमीशन के सदस्यों ने पापूलेशन और वसूली दोनों

[पंडित डी० एन० तिवारी]

का हिसाब रक्खा है, पापूलेशन का जहां तक सम्बन्ध है वह ठीक है, लेकिन वसूली के सम्बन्ध में जहां जितना टैक्स वसूल होता है, उसे उस प्राविन्स की आय समझा जाता है, यह भ्रमोत्पादक है। बहुत से बिजनेस एक जगह होते हैं लेकिन उन के व्यापारी अपने हेडआफिस को दूसरी जगह रखते हैं, मसलन बिहार में बहुत से ऐसे फर्म्स हैं जैसे टाटा वग़ैरह जिनका कुल बिजनेस तो बिहार में होता है, लेकिन टैक्स वसूल होता है बम्बई, कलकत्ता अथवा दिल्ली में। वसूली के उस टैक्स को बिहार के हिस्से में जाना चाहिए न कि कलकत्ते, बम्बई या दिल्ली के हिस्से में।

श्री त्यागी : टैक्स की तकसीम में इस बात का लिहाज़ कतई नहीं किया जाता कि यह टैक्स किस जगह से वसूल होता है। सारा टैक्स चाहे वह जहां से भी वसूल किया गया हो पूल में शामिल हो जाता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : फाइनेन्स कमिशन ने जो बटवारा किया है उस में कुछ स्टेट्स में जहां से इनकमटैक्स वसूल होता है बीस पर्सेन्ट वहां रह जाता है और ८० पर्सेन्ट पूल में आ जाता है। लेकिन बिहार को इस पूल से बहुत कम मिलता है। अगर यह कर दिया जाता कि जो टैक्स वसूल हुआ है वह बिज़नेस के स्थान का समझा जाता तो बिहार को बहुत फायदा होता।

श्री त्यागी : बहुत थोड़ा।

पंडित डी० एन० तिवारी : व्यापारी बिजनेस करते हैं बिहार में और उस का हेड-आफिस है बम्बई या कलकत्ते में। उन बिहार के बिजिनेसमेनों का टैक्स वसूल किया जाता है बम्बई और कलकत्ते से।

श्री त्यागी : बीस पर्सेन्ट का बहुत बड़ा अंश बिहार को जाता है।

श्री बी० दास : बिहार बिक्री कर लगा रहा है जो उसे नहीं लगाना चाहिए।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं कहना चाहता हूं कि सेल टैक्स बिहार ही में नहीं पर दूसरे २ प्रान्तों में भी वसूल होता है सब को बन्द कीजिये तो वहां का भी बन्द कर दें। इन बातों को कह कर मैं आप के सामने जो आज देश की स्थिति है उस का कुछ दिग्दर्शन करना चाहता हूं। हमारी बेकारी बढ़ती जा रही है। एम्प्लायमेंट की स्थिति बहुत खराब है। एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज के फिगर्स देखने से पता चलता है कि १९५१ में १४ लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ था जिस में से चार लाख लोगों को एम्प्लायमेंट मिला, और सन् १९५२ में १६ लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन एम्प्लायमेंट मिला तीन लाख आदमियों को। रजिस्ट्रेशन तो बढ़ गया लेकिन एम्प्लायमेंट कम हो गया। इस के अलावा एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज में नाम वही लोग लिखाते हैं जो उस को जानते हैं। देहात की जनता नहीं जानती कि एम्प्लायमेन्ट एक्स्चेन्ज किस चिड़िया का नाम है। कम से कम हिन्दुस्तान की ९० प्रतिशत जनता अपना नाम दर्ज कराने नहीं जाती। हमारे देश में इतनी बेकारी है और एम्प्लायमेन्ट देने का काम कम होता जा रहा है, इस को दृष्टि में रख कर हमारी सरकार को ज़रूरी कदम इस ओर उठाने चाहियें। आप जानते हैं कि हमारे देश में टैलेन्ट भरा पड़ा है लेकिन उस का उपयोग नहीं हो रहा है, साथ ही आप एक बात और भी जानते हैं कि "आइडिल माइन्ड इज़ ए डेविल्स वर्कशाप।" इसलिये चान्स अगर हम साधारण पुरुषों को नहीं देंगे तो वह हमारे खिलाफ देश के खिलाफ अपने मरने जीने की परवाह छोड़ कर काम करने लगेंगे। इस को तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये।

आज कल लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज का बहुत ज़ोर है। चारों तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि भाषावार प्रान्त बने। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में सैकड़ों भाषायें बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। अगर भाषावार प्रान्त बनेंगे तो हमारे देश में १०० प्रान्तों से कम नहीं बनेंगे।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : १४-१५ प्रान्त से ज़्यादा नहीं बनेंगे।

पंडित डी० एन० तिवारी : आप जानते नहीं। एक एक प्रान्त में दो दो तीन तीन भाषायें बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। मैं समझता हूं कि जो हम लोग आज भाषावार प्रान्त बनाने पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं यह खतरे का घर है। इस से देश का डिसइन्टेग्रेशन होगा और लोग बहुत से हिस्सों में बंट जायेंगे। साथ ही हमारा एस्टेब्लिशमेंट एक्स्पेन्डिचर इतना बढ़ जायगा कि हम अपने खर्चे को भी नहीं मीट कर सकेंगे। नेशन बिल्डिंग हम क्या करेंगे। मेरे दोस्त मुझे माफ करेंगे। यह लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज का हउआ हमारे कुछ मनचले साथियों का खड़ा किया हुआ है जो चाहते हैं कि उन को एक आउटलेट मिल जाय। इस के अलावा और कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि इस की ओर हमें सतर्कता के कदम बढ़ाना चाहिये।

मैं करप्शन के सम्बन्ध में बोलना चाहता था लेकिन आज समय नहीं है, फिर भी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रीगण कम्प्लेसेन्ट हैं और समझते हैं कि अफसर लोग बहुत पाक और शुद्ध हैं, यह बात नहीं। हमारे साथी ने घूसखोरी के खिलाफ एक विभाग में कुछ कदम उठाया था, वह एम० पी० हैं लेकिन उन के खिलाफ़ अफसरों की ऐसी साजिश हुई कि वह खुद फेर में पड़ गये हैं और उन पर मुक़दमा चल रहा है। इतनी जबर्दस्त साजिश हमारे अफसर लोग करते हैं।

एक बात मैं प्लैन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जिस का कि हमारे भाई श्री विश्वनाथ जी ने ज़िक्र किया है। गंडक कैनाल स्कीम का ज़िक्र पहले पहल सन् १९४७-४८ में आया था और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बाईस हजार रुपया दिया उस गंडक के सर्वे करने के लिये। एक प्रश्न के सम्बन्ध में दस दिन हुए मुझे जवाब मिला था। उस स्कीम का बिहार गवर्नमेन्ट ने अनुसन्धान किया और स्कीम बना कर तैयार की है। मेरा दावा है कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो इस से सस्ती और ज़्यादा फायदे वाली हो। साथ ही बिहार में और कोई स्कीम भी नहीं है। प्लैनिंग कमीशन ने जितनी बातें रक्खी हैं बिहार का कभी उस से कोई फायदा होने वाला नहीं है। दामोदर वैली से सिंचाई का ज्यादा फायदा बंगाल को है। कोसी तो एक क्यू में खड़ा कर दिया गया है। शायद टिकट कटते कटते गाड़ी ही छूट जायेगी और उस को मौका न मिलेगा इतनी भीड़ है।

वहां रेलवे बनने का शायद ज़िक्र है और ६६ लाख रुपया बजट में दिये जाने की बात थी, लेकिन कुल सात लाख का प्राविजन है। इस सुस्ती से कोसी नहीं बन सकती। नार्थ बिहार एक ऐसा भूखंड है जिस के चार ज़िले सारन, चम्पारन, मुज्जफरपुर और दरभंगा का एक हिस्सा ऐसा है जहां की आबादी सवा करोड़ के करीब है। वह देश की आबादी का तीसवां हिस्सा है। लेकिन वहां के लिये कोई स्कीम नहीं। हमारे नंदा जी कहेंगे कि आप लोगों में प्लैन के लिये जोश लाइये। मैं नहीं समझता कि कैसे उन लोगों में जोश लाऊं। क्या उन से कहूं कि आप पांच सौ मील दूर दामोदर में काम कीजिये या और कहीं काम कीजिये। मैं उन के यहां जा कर क्या कहूं यह मेरी समझ में नहीं आता।

(पंडित डी० एन० तिवारी)

इसलिये मैं अपील करूंगा कि जो फिगर विश्वनाथ बाबू ने दिये हैं कि ३२ करोड़ रुपया खर्च होगा, ३४ लाख एकड़ ज़मीन पटेगी और साथ ही पचीस हज़ार कीलो-वाट बिजली पैदा होगी उस पर विचार क तो बिहार गवर्नमेन्ट से स्कीम मांग लीजिये। बिहार गवर्नमेन्ट के पास पैसा नहीं कि इस काम को वह कर सके। यदि आप फाइव इयर प्लैन में इस को ले लें तो अच्छा हो। यदि नहीं ले सकते हैं तो कम से कम पांच छः करोड़ रुपया आप दे दीजिये और हम लोग दस का जिम्मा लेते हैं कि देहातों में जा कर किसी न किसी तरह से पैसा वसूल कर के इस बारह करोड़ रुपया आप को दे सकते हैं। इस में केवल तीन ही जिलों का फायदा नहीं है। इस में यू० पी० का भी कुछ हिस्सा होगा और नैपाल का भी कुछ हिस्सा होगा।

मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। यही बात नहीं है कि सवा करोड़ की पापूलेशन को कुछ होने नहीं जा रहा है। बल्कि उस की दशा पर भी ग़ौर करें। वह हिस्सा ऐसा है जहां भादों में पहले तो बाढ़ आती है पीछे सूखा होता है। पंहले भादों में बाढ़ से फसल नष्ट हो जाती है। पोछ सूखा से फसल नष्ट हो जाती हैं। इन लोगों को दुःख सहते सहते बहुत समय हो गया है और वे लोग अपने खेत, गहना, गुड़िया बेच चुके हैं। मैं आप से अपील करूंगा कि इस ओर ध्यान दीजिये। सौभाग्य से इस समय हमारे प्लानिंग मिनिस्टर साहब और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब दोनों मौजूद हैं। हम ज़्यादा रुपया नहीं चाहते। आप पांच छः करोड़ रुपया हम को दीजिये और दस बारह करोड़ हम चन्दा कर के या कर्ज़ लेकर, वसूल कर लेंगे।

योजना तथा नदी घाटी मंत्री (श्री नन्दा): क्या कोसी को इस में से निकाल दें।

पंडित डी० एन० तिवारी : हम तो पांच छः करोड़ केवल चाहते हैं। आप कहते हैं कि प्रोपेगेन्डा करो, लोगों को एंथ्यूज करो। लेकिन हमें बताइये कि हम उन सवा करोड़ आदमियों से जाकर क्या कहें कि उन को क्या फायदा होगा। आप अपनी प्लान बतला दीजिये कि जिस से सारन, चम्पारन और मुजफ्फरपुर ज़िलों को लाभ होगा या यू० पी० के पूर्वी ज़िलों को लाभ होगा। मेरी अपील है कि अगर आप ज़्यादा न दें तो कम से कम ६ करोड़ रुपया दीजिये बाकी हम वहां से वसूल कर लेंगे।

इसके पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार, ६ मार्च, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।